Haryana Vidhan Sabha

Debates

17th January, 1972

Vol. 1 No. 6

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 17th January, 1972

	Page
Supplementaries to Starred Question No. 1373	(6)1
Starred Question and Answers	(6)4
Unstarred Question and Answers	(6)23
Question of Privilege	(6)53

Call Attention Notice	(6)55
Papers laid on the Table	(6)56
Presentation of the fourth Report of the Subordinate Legislation Committee	(6)56
Bill (s) –	
The Haryana Appropriation - 1972	(6)56
The Punjab sugarcane (Regulation of Purchase & Supply) Haryana Amendment – 1972	(6)90
The Haryana Official Language (Amendment) - 1972	(6)9100
The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amedment) - 1972	(6)102
The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) -	(6)103
Extension of time of the Sitting	(6)103
Bill (s)	
The Punjab Town Improvement (Haryana Amendmenet)-1972 (Resumptio of discussion)	(6)103
The Haryana Rural Sanitation Board -1972	(6)111

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 17th January, 1972

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 1373

Mr. Speaker: Honourable Members, the Question Hour starts with *supplementaries to Starred Question No. 1373.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री राम धारी गौड़): स्पीकर साहब, उस दिन जो जवाब दिया गया था वह बिल्कुल ठीक था।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि गांव भियाग खेड़ा से पानी निकालने के लिये कितने पम्पिंग सैट्स लगाये गये थे और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ था?

श्री रामधारी गौड़: भियाग खेड़ा ऊंची जगह पर होने की वजइ से वहां का पानी दूसरे गांव में पहुंच जाता है। मेरा मतलब है कि भियाग खेड़ा गांव ऊंची जगह होने के कारण वहां

का पानी मुरखी और गांगोली आता है और वहां पर पम्प लगा कर उस पानी को निकाल दिया गया है।

चौ. दल सिंह: वजीर साहब ने फरमाया है कि भियाग खेड़ा गांव ऊंची जगह पर है लेकिन सवाल तो यह था कि क्या वहां पर पानी जमा है और कया उस पानी को निकालने के लिये पम्पस लगाये गये हैं? पहले उन्होंने यह जवाब दिया है कि पम्पस नहीं लगाये गये लेकिन अब कहते हैं कि पम्पस लगाये गये। कौन सी बात सही है?

श्री रामधारी गौड: मैंने जो कहा है वह आपने फालो नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव भियाग खेड़ा ऊंची जगह पर है और वहां का पानी दूसरे गांव गांगोली वगैरा में पहुच गया था और वहां से पानी पम्प आउ ट कर दिया गया है।

चौ. दल सिंह: वह गांव कौन से हैं जहां पर यह पानी पहुंच जाता है?

श्री रामधारी गौड़: मैंने अर्ज किया है कि गांव भियाग खेड़ा ऊंची जगह पर ओर वहां का पानी मुरखी और गांगोली गांव में आकर इकट्ठा हो गया था ओर वहां से पम्प आउट कर दिया गया।

* Starred Question No. 1373 and reply thereof appears in H.V.S. Debates Vol. 1 No. 5, dated 14.1.72.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मेरा सवाल यह था कि क्या गांव भियाग खेड़ा, हाडवा और गांगोली में फल्ड आते हैं इसका जवाब अगर ये यह दे देते कि नहीं तो हमारे पासा कोई चारा नहीं था लेकन यह कहते हैं कि फल्उ आते हैं ओर फिर कहते हैं कि भियाग खेड़ा गांव गांगोली से ऊंचा है ओर उसका पानी वहां आ जाता हैं मैं कहता हूं कि वह पानी वहां नहीं आ सकता है और मैं इसके लिये गवर्नमैंट को गलत तो नहीं कहता लेकिन यह जयर कह सकता हूं कि महकमा से जो इनको इनफर्मेशन आई है वह गलत आई है। महकमा वाले बोगस बिल बनाकर पैसे वसूल करते हैं। मैं अब भी कहता हं कि उस गांव का पानी अब भी नहीं निकलता ओर वह खड़ा हैं यही हाल हाडवा और गांगोली गांव का है। इसको निकालने के लिये कोई पम्प नहीं लगा है। मुरखी में पम्प लगा था लेकिन वह श्री मांगेराम सरपंच ने डिपार्टमैंटल आदमियों को अपने पल्ले से तेल के पैसे देकर लगवाया था ओर 6 किल्ले जमीन को वह पानी दिया है। अब उससे आप देख लें फल्ड खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। वहां पर कोई पम्प डिपार्टमैंट की तरफ से नहीं लगाया गया।

श्री रामधारी गौड़: जो कुछ मैंबर साहब ने कहा है वह बिल्कुल गलत है। हमने अपने एस.ई.का मौका पर भेजा था ओर वह खुद तसल्ली करके आया है हमारे पास पम्पस के नम्बर हैं

और यह भी है कि वे कितने घंटे चले हैं। यह इत्तलाह मेरे पास है और इसमें लिखा है किः

"Water of villages Hadwa, Gangoli and Bhiag Khera colleced at low lying areas in villages Gangoli and Morkhi has been pumped out."

चौ. दल सिंहः क्या इसका मतलब यह है कि भियाग खेड़ा गांव में पानी नहीं था क्योंकि आप कहते हैं कि वहां का पानी दूसरे गांव में जाकर इकट्ठा हो गया था?

श्री रामधारी गौड़ः मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी ऊपर से नीचे आता है। पानी भियाग खेड़ा से गांगोली होता हुआ मुरखी इकट्ठा हो जाता है। तो जहां पानी इकट्ठा हो गया था वहां पम्प लगाया और पम्प लगाकर पानी पम्प आउट कर दिया गया।

चौ. जय सिंह राठीः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो भियाग खेड़ा गांव है और दूसरे गांव हैं गांगोली और मुरखी उनके सी लेवल में कितना–कितना फर्क है?

श्री राम धारी गौड़ः इसके लिये नोटिस दें पता करके बता देंगे।

Ch. Minister (Sh. Bansi Lal) Sir, the information received with the Government is as under:

Villae Bhiag Khera

Rabi sowing has taken place in all the areas except in village pond. Water of this village partly comes to Village Morkhi and partly to Gangoli from where it has since been de-watered. Some pits, along the canal, around Rojhla Minor, had water which appears sub-soil water.

Villae Gangoli

Rabi sown in all the area of Village Gangoli and de-watering was doen through one pump, which worked from 23-10-1971 to 15-11-1971. According to the Log Book maintained Pump at Serial No. AVI/127 Kirloskar ran for 301 hours.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या यह हकीकत है डी.सी. जींद ने 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैंसिज कमेटी के अन्दर जब एक्सीयन ड्रेनेज रोहतक वह काम नहीं करा सका तो एक्सीयन मकैनीयल के दफतर के हैड ड्राफटस मैन को उन्होंने कहा कि पानी को निकालने का इन्तजाम करें?

श्री रामधारी गौड़: हमारे पास ऐसी कोई इनफर्मेशन नहीं है।

श्री बंसी लाल: इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात होगी अगर मैंबर साहब बतायें कि अब किस गांव में तकलीफ है और उसे दूर करने की बात करें जो किया गया है वह किया गया है और अब अगर कोई काम करने में कमी रह गई है तो उस काम को करने के लिये तैयार हैं। मैंबर साहब सरकार के नोटिस में ला दें चाहे हाउस में बता दें।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, अब मेरी तसल्ली हो गई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की तरु से आश्वासन आ गया है और मेरी प्राबलम हल हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों गांव से कोई पानी नहीं निकाला गया है और अब भी खड़ा है। मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब परसों सफीदों जा रहे हैं। इनको वहां डी.सी. भी मिलेगा और रैवेनियू डिपार्टमैंट के तमाम आदमी भी मिलेंगे। आप उन से पूछ लेना और अगर मेरी बात गलत हो तो कह देना और यह भी देख लेना कि महकमा ने कितनी गलत इनफर्मेशन दी है।

श्री बंसी लाल: महकमों से कोई गलत खबर नहीं मिलती। यह ठीक है कि मैं सफीदों जा रहा हूं और इस किस्म की बात फल्ड के बारे में मेरे नोटिस में आई तो पूरी छानबीन करूंगा और शिकायत को दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे (श्री सत्य नारायण सिंगोल की तरफ से विध्न) हां मैं पूछुगा और अगर देखने की जरूरत पड़ी तो देख भी लूंगी। मेरी कोशिश होगी कि वहां पर पानी न रहे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: अगर डी.सी. कह दे कि पानी नही निकला तो क्या फिर भी आप महकमा की खबर सच्ची कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: वह बात तो हो गई हैं और उन्होंने कह दिया है।

श्री बंसी लाल: यह बात मैं अब भी कहता हूं कि कुछ जगह सबसायल पानी खड़ है। अगर सबसायलल वाटर खड़ा है तो उसका दूसरा इलाज होगा ओर अगर फल्ड वाटर खड़ा है तो उसका इलाज दूसरा होगा। जो बात मुनासिब होगी जरूर की जायेगी।

Starred Question and Answers

Mental Hospital

***1360. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether there is any Mental Hospital in the State where incurable mental patients are kept;

(b) whether the Haryana Government has been informed to take away mental patients belonging to Haryana from Mental Hospital, Amritsar;

(c) if reply to part (b) above be in the affirmative whether the Government will take such patients from the said Hospital, if so, the name of the place where they will be kept and treated;

(d) whether it is under consideration of the Government to open a Mental Hospital in Haryana; and

(e) if so, the period within which it is likely to be opened together with location thereof?

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed)

(a) No.

(b) Yes.

(c) Yes. The criminal and violent type of mental patients will be kept in jails and others in Psychiatric Department of the Medical College, Rohtak, for treatment.

(d) No.

(e) Question does not arise.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कितने पेशैंटस अनुसार से हरियाणा को आये हैं और कितनों के लिये हमारे पास साइकियाटिरक डिपार्टमैंट में इंतजाम है?

श्री खुरशीद अहमद: इस वक्त हरियाणा में कुल पेशैंटस 109 हैं और हमारे पास जो इंतजाम है इस वक्त यह 25 पेशैंटस का है ओर 33 बैडज का एक और विंग हस्पताल में अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 1972 में बनकर मुकम्मल हो जायेगा।

श्री मंगल सैन: मंत्री जी ने कहा है कि 109 पेशैटस अमृतसर से लाने हैं 25 का हमारे पास इन्तजाम है और 33 बैड्ज का एक विंग बन रहा है। यह टोटल 58 बनता है। बाकि के जो 51 हैं उनका क्या इंतजाम करैंगे?

श्री खुरशीद अहमद: जैसे कि मैंने जबाव में कहा हैं कुछ ऐसे वायलैंट पेशैटस भी होते हैं जिनको सेफ कस्टडी के लिए जेल में रखा जात है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर किसी विधायक का मैंटल केस हो जायेगा तो क्या उसको रियायत होगी? (हंसी)

Sh. Khurshed Ahemd: Top Priority will be given.

श्री सत्यनारायण सिंगोल: वह तो इलैक्शन क बाद देखना ....। (हंसी)

Mr. Speaker: Question over-ruled (Laughter...)

श्री मंगल सैन: गुप्ता जी ने एक बात कह दी है कि.....

श्री बनारसी दास गुप्ता: वह आपके लिये नहीं है डाक्टर साहब। (हंसी)

श्री मंगल सैन: मैं जानता हूं कि किन क लिये है (हंसी) आज कल टिकटें बांटने का वक्त है ..... (हंसी) सप्लीमैंटरी, सर। जनाब मेरा सप्लीमैंटरी यह है .....

Mr. Speaker: No, you missed the chance.

श्री मंगल सैन: सिर्फ एक ही क्वैशचन, सर। उन्होंने एक बात पूछी थी इसलिए मैंने उसके ऊपर कहा है। आप भी रोहतक के रहने वाले हैं, हम सब के काम आयेगा, इसलिए मुझे इजाजत दे दें।

Mr. Speaker: I am sorry, you did not ask you supplementary. Next question please.

Degree College

***1366. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to open a

Degree College at Safidon, a tehsil headquarter in a backward district?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik) No.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने एक कालेज के लिए रिक्वैस्ट की थी, उसका जवाब मिनिस्टर महोदय ने दे दिया। अगर पब्लिक कुछ पैसे–वेसे देने का सिलसिला बनाये तो क्या गवर्नमैंट कालेज खोल सकती है या नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अगर आप कालेज बनायेंगे तो हम पैसे ही सहायता देंगे। अगर वहां की जनता कालेज बनाये तो सरकार उनको सहायता देगी।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब ये बाहर कहते हैं कि जो आदमी मिनिस्टर साहब के कहने से वोट देगा वहां हाई स्कूल खोल देंगे। अगर हम यह आश्वासन दें कि हम उनको वोट देंगे तो क्या मिनिस्टर साहब वहां कालेज खोलेंगे।

श्री बंसी लाल: पहले तो चौ. दल सिंह जी जींद के उम्मीदवार थे, उनको वोट दिया और हमने वहां कालेज बनवा दिया है। (हंसी)

Brick kilns in District Hisar

***1396. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) where any brick kilns are working in district Hisar in the name of any Minister; if so, the total quantity of coal received by each brick kiln,

(b) the total number of class I and Class II received from each of brick kiln referred to in part (a) above; and

(c) The total number of bricks out of the total production of each of the said brick kiln sold to private customers and to the Government, separately?

Food and Supplies Minister (Sh. Rajinder Singh):

(a) No.

(b & c) question doest not arise.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर साहब ने कहा है किसी भी वजीर के नाम से कोई भट्ठा हिसार जिले में नहीं चलता। क्या वजीर साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार के नाम से कोई भट्ठा चलता है।

श्री राजेन्द्र सिंह: इसके लिए सैप्रेट नोटिस दें, जवाब दिया जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने क्वैश्चन में लिख कर दिया था कि अगर किसी मिनिस्टर के नाम बेनामी भट्ठा हो तो वह भी बताया जाए। वह चाहे डारैक्टली हो या इनडायरैक्टली हो, किसी तरह से भी मिनिस्टर से कंसर्न रखता हो वह बताया जाए।

Mr. Speaker: It is very difficult to find out about the benami, etc.

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, अगारब गांव में भट्ठा है। वह किी के नाम है। जिस गांव में वजीर साहब का भट्ठा है उस गांव का नाम मैंने बता दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह: जो भट्ठे का मालिक है उसी का भट्ठा है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री की सिसियरिटी पर हाऊट नहीं करती लेकिन मैं मुख्यमंत्री से यह

आश्वासन चाहती हूं कि अगर कोई मिनिस्टर गलत बयानी करे तो उसकी गलत बयानी करने पर मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई ऐक्शन लेंगे?

श्री बंसी लाल (मुख्यमंत्री): गलत बयानी साबित होने के बाद नोटिस दें। जो प्रासीजन है उसके मुताबिक करें।

Mr. Speaker: I must mention one thing. Unfortunately one word has been missed in the question as approved by me and accepted by the Goernment. Unfortunately that one word is not written in it. I am making enquiries.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं भी यही कह रही थी, मैं अभी प्वायंट आउट कर ही रही थी कि मैंने बेमानी भी लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष: बेनामी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। But 'relation' is a reasonable word and naturally must come in. In any case nothing can be done now.

श्री मंगल सैन: वजीर साहब साफ–साफ कह दें, इसमें शर्म वाली क्या बात है।

Sh. S.P. Jaiswal: On a Point of Order, Sir. Is the question to be answered by the Government here in accordance with the printed list or what has been sent to them by your office?

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, आम तोर पर क्वैशचन आवर में प्वांयअ आफ आर्डर रेज नहीं किया जाता .....

Mr. Speaker: There is no difference between this question and he one sent to the Government. What has happened is that in the question as approved by me, I had deleted the word 'benami' but the owrd 'relation' has been left as it was. This question somehow reached the Government without that word also.

श्री बंसी लाल: हमारा कसूर तो नहीं है?

Mr. Speaker: No, I do not think so.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैंने एक अन–स्टाई क्वैक्चन का जिक्र किया था। इन्होंने लिख दिा विद रेफ्रेस टू पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि मैंने पूछा था विदाउट रेफ्रेस टू पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या विद ओर विदाउट में कोई फर्क नहीं है?

Sh. S.P. Jaiswal: Mr. Speaker, no Ruling has been given on the point of order raised by me, which ddi not relate to this question which is now before the House. My Point of Order is whether the Government is required to send answer to the question as printed in the list, or should the answer be in accordance with the question sent by your office to the Government.

Mr. Speaker: It should be as sent by us to the Government. Next question please.

Memorandum Submitted to the Governor

***1398. Sh. Mangal Sein**: Will the Chief Minister be pleased to state whether any Memorandum was submitted against his Ministry by the Opposition to the Governor during the month of November, 1971; if so, the steps taken by the Government in the matter/

Ch. Minister (Sh. Bansi Lal): Yes. The replies to the allegations are uder preparation.

श्री मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो मैमोरैंडम राष्ट्रपति महोदय को विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से दिया गया है उसमें लिखा क्या है?

श्री बंसी लाल: मैमोरैंडम राष्ट्रपति जी को दिया गया है और उसकी कापी गवर्नर साहब को दी गई है। राष्ट्रपति को दिया गया मैमोरैंडम गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास है। उनकी पनमिशन के बगैर हम कोई कंटैट्स डाइवल्ज नहीं कर सकते।

चौ. जय सिंह राठी: क्या चीफ मिनिस्अर साहब बतायेंगे मैमोरैंडम में किस–किस के खिलाफ ऐलीगेशन्ज हैं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैमोरैंडम के कोई भी कंटैट्स हम हाइवल्ज नहीं कर सकते क्योंकि मैमोरैंडम राष्ट्रपति

को दिया गया है और राष्ट्रपति जी की इजाजत के बगैर कोई भी बात डिस्कलोज नहीं कर सकते।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर से बचने के लिए एक बात कही कि हम राष्ट्रपति की इजाजत के बगैर कोई बात डाइवल्ज नहीं करना चाहते। क्या आप यह बताने की तकलीफ करने के लिए तैयार हैं कि उस मैमोरैडम में क्या लिखा है?

श्री बंसी लाल: मैं उसके कंटैट्स डिस्कलोज करने के लिए तैयार नहीं हूं और न ही कोई कमेंट्स करने के लिए तैयार हूं।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, एक सवाल का जवाब आया है कि मिनिस्टर्ज के खिलाफ चार्जशीट है और गवर्नर साहब को उसकी एक प्रति दी जा चुकी है। जो गवर्नर साहब को पगति दी गई है उसके बारे में क्या मुख्यमंत्री जी इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं यह नहीं? जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके कंटैट्स को भी हम जानना चाहते हैं।

Sh. Bansi Lal: This question should not have been admitted by the Vidhan Sabha Secretariat because the Memorandum was submitted to the rashtra Pati and a copy of it was given to the Governor and the Governor has not asked for any comments from the Government. Because it was given to the President, it should not have been admitted, and if they ask for the reply of the question as it is, then I will say "No",

no Memorandum is given to the Governor. Only a copy of the Memorandum is given to the Governor.

Mr. Speaker: The question reads as:

"Will the chief Minister be pleased to state whether any Memorandum was submitted against his Ministry by the Opposition to the Governor during the month of November, 1971;

Sh. Bansi Lal: and for this we say, Government have no knowledge.

श्री बनारसी गुप्ता: क्या मुख्मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतिपक्ष के नेता जी सपलीमैंटरी कवैश्चन पूछ रहे हैं क्या उनके हस्ताक्षर भी मैमोरैंडम पर हैं या नहीं?

श्री बंसी लाल: मैं कोई बात डाइवल्ज नहीं कर सकता।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। इस मामले में स्पीकर साहब गवर्नर साहब को चौ. चांद राम और चौ. देवी लाल ने एक मैमोरैडम दिया जिस पर 20 आदमियों के सिगनेचर्ज थे और उसमें इनके और इनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ चार्जिज लगाए हुए थे। स्पीकर साहब, यह बात पब्लिक में फैली हुई है और प्रैस में भी आई है लेकिन ये कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं। यही नहीं, स्पीकर साहब, ये तो आपको चैलेंज भी करते हैं कि आपको इस क्वैश्चन का ऐडमिट नहीं करना चाहिए था। तो स्पीकर साहब .....

Mr. Speaker: He does not challenge, me.

Sh. Mangal Sein: Yes; he said like that.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैंने यह कहा है कि जो मैमोरैंडम गवर्नमैंट के खिलाफ राष्ट्रपति जी को दिया गया था वह कोमैंटस के लिए गवर्नमैंट के पास आया है और वह उसका जवाब तैयार कर रही हैं अगर मैंने टैक्निकली इनके सवाल का जवाब देना होता या फैक्टस को छुपाने की मेरी नीयत होती तो मैं ''नो'' कह सकता थां गवर्नर साहब ने गवर्नमैंट से कोई कोमैन्टस नहीं मांगे हैं क्योंकि मैमोरैन्डम राष्ट्रपति जी को दिया गया, वह कामैन्टस के लिए हमारे पास आया है और उसका जवाब तैयार हो रहा है।

Mr. Speaker: The answer is that you have in fact no knowledge about it.

Sh. Bansi Lal: No knowledge, Sir.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, गवर्नर कांस्टिच्युशन के अनुसार भारत का पार्ट एंड पार्सल है। कोई भी आर्डर मिनिस्ट्री का तब तक वैलिउ नहीं होता जब तक उसके ऊपर गवर्नर के आर्डर न हो। गवर्नर और गवर्नमैंट दो चीजें नहीं हैं, एक ही चीज है।

श्री बंसी लाल: उसी गवर्नमैंट के खिलाु अगर उसी गवर्नमैंट को मैमोरैन्डम है फिर तो उसका मतलब ही कुछ नहीं है, फिर तो सारा मामला ही खत्म हो गया।

Ch.Chand Ram: the Memorandum is against Mr. Bansi Lal and his Ministry and they do not constitute the Government as such.

श्री मंगल सैन: स्पीकरसा साहब, मैं बड़े अदब से रिक्वैस्ट कर रहा हूं। यह जो मुख्यमंत्री जी ने सवालों के जवाब देने से बचने के लिये प्ली ले रखी है कि गवर्नर क पास अगर कोई बात जाती है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं या मुझे उसका कुछ पता नहीं है, यह पोजीशन इनकी दुरूस्त नहीं है। गवर्नर तो गवर्नमैंट का पार्ट एंड पार्सल है। इसीलिए उनके पास जो चीज जाती है एक तरह से इनके पास जाती है। इमने इनके और इनके मंत्रिमंडल के बारे में उसमें चर्चा की है। तो स्पीकर साहब, आपका क्वैश्चन ऐडमिट करना वाजब है, दुरूस्त है, वेलिड है और मैं आपके द्वारा इनसे कहना चाहता हूं कि ये डरें नहीं, भागें नहीं मगर हमारी बात का जवाब दें। स्पीकर साहब, मैं एक बात जानता चाहता हूं क्योंकि बंसी लाल जी कहते हैं कि मैंने हरियाणा की बड़ी डिवैल्लपमैंट की ..... (विघ्न एवं शोर)

Sh. Bansi Lal: Sir, is he making a speech or putting a supplementary? He is making a speech. It is not a supplementary. This is something which is unheard of.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी प्रौटैक्शन चाहता हूं। आपने क्वैश्चन ऐडमिट कर दिया और सारी जनता को इससे कंसर्न है क्योंकि यह मिनिस्ट्री जो है इसके बारे में हमने सीरियस ऐलीगेशन्ज लगाई हैं और गवर्नर को उस मैमोरैन्डम की कापी दी है। मैं तो स्पीकर साहब केवल इतना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सरदार प्रताप सिंह कैरों की तरह केवल इतना बता दें कि क्या यह इंक्वायरी फेस करना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, इनको तो भाषण देने से बंद करना पड़ेगा। यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है। ये तो चीप पापुलैरेटी हालिल करने के लिये भाषण देने लगते है। And, I think, this is most undesirable. My submission is that the Hon. Member may not be allowed to deliver a speech.

श्री मंगल सैन: चीप प्रैक्टिस तो हम नहीं बरतने देंगे आपको बात टालने के लिए।

Mr. Speaker: Let me make an observation on this. The question pertained to the Memorandum given by certain gentlemen to the Governor and the answer was that it is not in the knowledge of the Leader of the House.

Sh. Bansi Lal: No. Sir.

Sh. Mangal Sein: He said so, far.

Sh. Bansi Lal: What I said was that a copy of the Memorandum was given to the Governor. He has not asked for the comments. So, I have no knowledge about it.

Sh. Mangal Sein: Knowing is something else. My question was whether any Memorandum was received by the Governor or not and he said 'yes'.

Mr. Speaker: But from the reply it appears that the Leader of the House took that Memorandum which was given to the President.

Sh. Bansi Lal: And a copy of that was given to the Governor. After it was submitted to the President, he is seized of the matter and nobody else can take cognizance of it.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि मुझे नहीं पता आया राष्ट्रपति महोदय ने इनको कमेंटस के लिए पूरा है या नहीं पूछा है? मैंने तो सिर्फ इतना जानना चाहा है कि क्या गवर्नर साहब के पास कोई मैमोरैंडम दिया गया है या नहीं? अगर दिया गया है तो उसके कमैन्टस क्या हैं? गवर्नर साहब को मैमोरैन्डम देने के बारे में तो इन्होंने कहा हे, ''हां''। अब मैं जानना चाहता हूं कि कया यह इस सम्बन्ध में इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं फिर इस बात को क्लैरिफाई कर दूं। जो राष्ट्रपति को मैमोरैन्डम दिया गया है उसकी एक कापी इन्होंने गवर्नर साहब को दी है। गवर्नर साहब ने जबनी मुझे बताया हैं उन्होंने मेरे कमैंटस नहीं मांगे क्योंकि मैमोरैंडम राष्ट्रपति जी को पहले दिया जा चुका था।

चौ. चंदा सिंह: क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि यह जो मैमोरैन्डम है यह उसी तरह का है जैसा कि अमेरिका का सातवां बेड़ा था या यू.एन.ओं. में 104 देशों ने दस्तखत कर दिए थे ....(व्यवधान एवं शोर).....

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, उनको तो ये एक बात नहीं कहने दे रहे हैं मगर स्वयं इतना लम्बा चौड़ा भाषण दे रहे थे।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो इन लोगों ने इल्जाम लगाने का गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है, क्या इसकी सरकार जांच करवायेगी ताकि ये आरोप झूठे साबित हो सकें। (व्यवधान एवं शोर) स्पीकर साहब, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने .....

श्री अध्यक्ष: चौ. लाल सिंह आप बैठ जाइए, आपको बाद में टाईम मिलेगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित दोस्त डाक्टर साहब ने कहा है कि मैमोरैन्डम प्रैस और प्लेटफार्म में आया है। तो क्या मुख्यमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आया यह उसमें अपोजीशन की तरफ से आया है या गवर्नमैन्ट किसी जिम्मेदार नेता की तरफ से?

श्री बंसी लाल: यह तो इनको ही पता होगा क्योंकि अपोजीशन ने ही लीक–आउट किया होगा, गवर्नमैंट के यहां से तो कोई चीज लीक आउट नहीं होती।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं बड़ी इज्जत के ससाथ चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग इतने ईमानदार नेता के विरूद्ध ऐसे आरोप लगाते हैं क्या सरकार उनको सजा देने को तैयार है? (शोर एवं हंसी)

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्अर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि मैमोरैन्डम का जवाब तैयार हो रहा है। क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि वह जवाब कब तक तैयार होकर चला जाएगा?

Sh. Bansi Lal: As early as possible.

चौ. जय सिंह राठी: क्या चीफ मिनिस्अर साहब बताएंगे कि उनके पास मैमोरेन्डम की कितनी कापियां आई हैं ओर कौन–कौन सी डेट की आई है?

श्री बंसी लाल: मेरे पास तो एक कापी आई है।

श्री मंगल सैन: क्या मुख्यमंत्री जी बड़ी फराखदिली से इस बात का जवाब देते हुए फरमायेंगे कि ऐसा मैमोरैन्डम राष्ट्रपति की ओर से भी उनके पास आया है?

श्री बंसी लाल: यह मुझे प्राईम मिनिस्टर से आया है जो कि डैमोक्रेसी में काम करने का तरीका है। राष्ट्रपति ने प्राईम मिनिस्टर को भेजा और प्राईम मिनिस्टर के यहां से मुझे आया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्अर साहब ने अभी फरमाया कि जमहूरियत का जो तरीका है। उसी रूट से मैमोरैन्डम इनके पास आया है। तो क्या ये अब यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्होंने उसका जवाब दे दिया है या अपने कमैन्टस भेज दिए है?

श्री बंसी लाल: वह तो मैं पहले कह चुका हूं।

Mr. Speaker: He has already said that the replies are under preparation.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, प्रैस और प्लेटफार्म से तो यह कहा गया कि आज एक मैमोरैन्डम दिया गया, दूसरे दिन ऐडीशनल दिया गया और तीसरे दिन साल और चार्जिज लगा करके एक और मैमोरैन्डम दिया गया। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे कि यदि उनमें से एक ही मिला है तो क्या बाकी फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं?

Sh. Bansi Lal: It is not to my knowledge.

चौ. चांद राम: क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि जो चार्ज–शीट प्राईम मिनिस्टर के पास से इनके जवाब के लिए आई

है कौन उसका जवाब तैयार कर रहा है और कब तक वह जवाब भेज दिया जाएगा?

श्री बंसी लाल: गवर्नमैंट मैमोरैंडम का जवाब तैयार कर रही है। जब जवाब तैयार हो जायेगा जल्दी से जल्दी भेज दिया जायेगा।

चौ. चांद राम: उसका जवाब तैयार कराने के लिए किसी एक डिपार्टमैंट को लगाया हुआ है या सारे ही महकमे लगे हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: जिस डिपार्टमैंट की डयूटी होगी वही तैयार कर रहा होगा।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरे पूछने का मतलब यह है कि एकाध डिपार्टमैंट ही जवाब तैयार करने में लगा हुआ है या सभी डिपार्टमैंट को भेजा हुआ है या उनके पोलिटिकल सैक्रेटरी या प्रिसीपल सैक्रेटरी जवाब तैयार कर रहे हैं।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्अर साहब से श्री बनारसी दास गुप्ता ने एक सवाल पूछा था, उसको मैं फिर रिपीट करता हूं कि क्या पहले जो दो मैमोरैन्डम दिये गये थे क्या उनके गवर्नमैंट ने कमैन्टस दिय हैं?

श्री बंसी लाल: पहले जो दो मैमोरैन्डम आये थे उन दोनों के कमैन्टस गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेज दिये थे और गवर्नमैंट आफ इंडिया ने उन दोनों को फाईल कर दिया हैं क्योंकि हमारे जवाब को सही समझा गया है।

चौ. जय सिंह राठी: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बतलायेंगे कि जिन दो मैमोरैन्डम का जवाब आपने गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेजा है उनके जवाब किस–किस महकमे से तैयार करवाये गए थे?

चौ. दल सिंह: क्या यह बात सच है कि दो जो मैमोरैन्डम पहले दिये गये थे उन पर उन लोगों के भी दस्तखत थे जो आज इस गवर्नमैंट में मिनिस्टर बने बैठे हैं?

श्री मंगल सैन: अभी मुख्यमंत्री जी ने एक सप्लीमैंटरी के जवाब में कहा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने उन दोनों मैमोरैन्डमज के जवाब को फाईल कर दिया है। तो मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा था?

Sh. Bansi Lal: I cannot divulge the contents of those also, Sir.

चौ. चांद राम: जिन आदमियों ने पहले दो मैमोरैन्डमज पर दस्तखत किये थे उनमें दो मैम्बर साहिबान इस कैबिनेट में हैं और कैबिनेट की जिम्मेदारी ज्वांयट होती है। क्या उन्होंने उस टाईम पर जिम्मेदारी के साथ दस्तखत किये थे या गैर–जिम्मेदारी

के साथ किये थे? अगर गैर–जिम्मेदारी से दस्तखत किये थे और वे इर–रिसपोंसिबल हैं। तो क्या उनके खिलाफ गवर्नमैंट ऐक्शन लेगी? अगर उन्होंने दस्तखत ठीक किये थे तो सारी कैबिनेट ने हमारी बात मान ली है। अगर नहीं मानी है तो क्या उन्होंने अपने दस्तखत विदड्रा कर लिये थे?

Sh. Bansi Lal: This supplementary does not arise out of this question.

चौ. चांद राम: यह सप्लीमैंटरी इनके जवाब से ही एराइज हुआ है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हमारा जवाब सैटिसफैक्टरी मान लिया है। जब उन्होंने उस टाईम पर एलीगेशन लगाये तो कया वे आदमी अब कैबिनेट में रह सकते हैं?

श्री बंसी लाल: मुझे तो पता नहीं कि कौन दस्तखत करने वाले हैं। मेरे पास जो मैमोरैन्डम की कापी आई उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे।

चौ. जय सिंह राठी: क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जो पहले मैमोरैन्डम मिला था उसके अन्दर जिनके दस्तखत थे, क्या उनमें से इस मैमोरेन्डम पर, जो अब आपके पास आया है, उनके भी दस्तखत हैं?

श्री बंसी लाल: मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास किसी सिगनेटरी का नाम नहीं आया है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, उस मैमोरैन्डम पर पंडित रामधारी गौंड, चौ. माडू सिंह और चौ. नेकी राम जी ने दस्तखत किये थे।

श्री अध्यक्ष: यह सभी को मालूम है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इस मंत्रि–मंडल के दो सदस्यों ने दस्तखत किये थे एक राव महाबीर सिंह ओर दूसरे री रामधारी गौड़ ने। क्या इन्होंने उस मैमोरैन्डम पर से अपने दस्तखत विदड्रा कर लिए है?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब मैं डाक्टर मंगल सैन जी से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या चौ. मुख्तियार सिंह जी ने भी दस्तखत किये थे?

श्री मंगल सैन: जीं हा, उस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

चौ. जय सिंह राठी: जो मैमोरैन्डम पहले मुख्यमंत्री जी के पास आया था उसमें उन सदस्यों के भी दस्तखत थे जो अब कैबिनेट में मौजूद हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदय ने उस मिनिस्टर्ज के ब्यान अटैच करके भेजे हैं कि उन्होंने इस मैमोरैन्डम पर गलती से दस्तखत कर दिये थे?

श्री बंसी लाल: मेरे पास नाम नहीं आये इसलिए बयान अटैच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैन: क्या मुख्यमंत्री महोदय इस मैमोरैन्डम की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं?

श्रीमती लेखवती जैन: क्या रैलेवेन्ट है कि एक सप्लीमैंटरी को बार–बार पूछा जाता है?

श्री अध्यक्ष: किस मैम्बर ने बार–बार पूछा है?

श्रीमती लेखवती जैन: यह तो आप ही जज कर सकते हैं।

STARRED QUESTION NO. 1361

Mr. Speaker: I want to bring to the notice of the Hon. Minister concerned that this question raised by Sh. Dya Krishan was sent to the Ministry concerned on 3rd January, in other words, 15 days were given to the Minister. Now a letter has come that the extension may be granted upton the 28th. We are finishing tomorrow and it is no point asking for extension upto a particular date when the House will not be there. The question put by the Hon. Member is very simple. If you read the question....

Ch. Chand Ram: Sir, the Session may not be there then.

Mr. Speaker: The Session may be adjourned tomorrow.

One Voice: Even the Assembly may be dissolved by then.

Mr. Speaker: Therefore, when 15 days' notice has been given and the question is very simple, as you would read it, I feel full justice is not being done to the Hon. Member. I would request the Hon. Minister and hope he may be able to answer it tomorrow.

Technical Institute

***1367. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to open a Technical Institute at Safidon, a tehsil headquarter in a backward district?

Minister for Public Works (Sh. Ran Singh): No.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, यह तो मिनिस्टरी साहब के पड़ोस का हल्का था, कर देते तो अच्छा ही था। कया मैं मिनिस्अर साहब से यह जान सकता हूं कि गवर्नमैंट की ऐसी कोई प्रोपोजल है कि नैकस्ट ईयर में कोई टैक्नीकल इंस्टीच्यूट खोला जाये।

श्री रण सिंह: सवाल तो सफीदों के बारे में पूछा है, इसलिये और जगह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

Committees

***1403. Smt. Chandravati**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of Committees of different departments in the Secretariat; and

(b) the number of official and non-official members (including M.L.As.) in the said Committees together with the amount of T.A./D.A. drawn by them, separately, during the last three years?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, प्रार्थना यह है कि बहिन जी ने जो क्वैश्चन पुट किया है, वह यह है .....

"Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of Committees of different departments in the Secretariat; and

(b) the number of official and non-official members (including M.L.As.) in the said Committees together with the amount of T.A./D.A. drawn by them separately during the last three years."

स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन एक्चुअली इतना इम्पोर्टेन्ट है कि हम बहिन जी के बड़े धन्यवादी हैं। इस सिलसिले में हमको तो पहले ही यह कह देना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी ने अपोजीशन को अनटचेबल समझ रखा है। सोशली तो अनटचेबिल्टी को खत्म करने की बात करते हैं, मगर अपोजीशन को सरकारी कमेटीज में नहीं लिया जाता। इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उससे कोई लाभ नहीं होगा, इस बारे में मेरी प्रार्थना यह है कि उससे लाभ तो बहुत भारी होगा।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, अपोजीशन के मैम्बर कमेटीज में हैं। ऐसी बात नहीं है कि ''नहीं''। पिछले 3 साल का हरेक मैम्बर का टी.ए./डी.ए. इक्ट्ठा करना बड़ा मुश्किल है and there is no use of that.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। हरेक चीज में लेबर लगती है और इस चीज के लिये तो मैम्बर्ज और हाउस का प्रिविलेज भी है There are too many committees,

too many meetings and too much waste of money. इसी चीज को जानने के लिये मैंने यह सवाल पूदा है। हम यह जानना चाहेंगे कि इन कमेटीज ने कितना सबस्टांशिल वर्क किया और उस पर गवर्नमैंट का कितना पैसा खर्च हुआ? अगर हमें यह पता चल जाये कि इन कमेटीज ने इतना सबस्टांशिल काम किया ओर इतना पैसा खर्च हुआ तो हम यह सोच सकेंगे कि इनका कोइ फायदा भी है या नहीं। इनके रिप्लाई से तो यह मतलब निकलता है कि इतनी कमेटीज हैं, और उनकी इतनी मीटिंज होती हैं कि उनकी इफार्मेशन इक्ट्ठा करना भी मुश्किल है। वैसे जो टी.ए./डी.ए. वगैरह दिया जाता है उसका बाकायदा रिकार्ड रखा जाता है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, कमेटीज हमेशा यूजफुल परपज के लिये बनाई जाती है। हरेक का अपना–अपना सोचने का तरीका है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं इनसे रिक्वैसअ करूंगी कि अगर हरेक मैम्बर का टी.ए./डी.ए. नहीं बता सकते तो हरेक कमेटी का ही बता दें।

Minor Irrigation Scheme

***1362. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total number of tube-wells working under Minor Irrigation Scheme as on 1-1-1972.

(b) whether any tube-well was out of order as on 1-1-1972;

(c) the total number of new tube wells installed during the period from 1-1-1969 to 31-12-1969, 1-1-1970 to 31-12-1970 and from 1-1-1971 to 1-1-1972 separately;

(d) the details of new schemes, if any, of the Corporation to increase irrigation facilities in the State; and

(e) whether the Corporation is running in loss or gain as on 1-1-1972?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Garu):

(a) 695

(b) 21 tubewells were out of order on 1-1-1972.

(c)
(i) 1-1-1969 to 31-12-1969 74

(ii) 1-1-1970 to 31-12-1970 79

(iii) 1-1-1971 to 1-1-1972 96

(d) (i) Installation of 100 Nos. Direct Irrigation Tubewells in Palwal and Ballabgarh Tehsils of Gurgaon District.

(ii) Installation of 31 Nos. Direct Irrigation Tubewells in Krishana Wati Belt of Mohindergarh District.

(iii) Installation of 100 Nos. Direct Irrigation Tubewells in Sahibi Nadi in Gurgaon District.

(iv) Installation of 100 Nos. Direct Irrigation Tubewells in Sirsa, Fatehabad, Tohana, Ghaggar Belt.

(v) Installation of 50 Nos. Direct Irrigation Tubewells in area of Hansi Branch in Jind/Hisar District.

(vi) Installation of 50 Nos. Direct Irrigation Tubewells in area south of Ambala, G.T. Road and Narwana Branch.

(vii) Installation of 100 Nos. Direct Irrigation Tubewells along both sides of Ambala-Jagadhri road in the area between river Markanda and Tangri.

(e) The Balance-Sheet of the Corporation for the year 1971-72 has not yet been prepared. It is, therefore, not possible to state whether the Corporation is running at a loss or profit as on 1-1-1972.

श्री मंगल सैन: क्या मिनिस्टर महोदय यह बातने की कृपा करेंगे कि आपने जो क्वैश्चन के उत्तर में 21 टयूबवैल खराब बतायें हैं, इनके खराब होने के क्या कारण है?

श्री रामधारी गौड़: कई दफा ऐसा होता है कि टयूबवैल की नाली गल जाती है या नीचे पानी कम हो जाता है, ऐसी हालत में टयूबवैल को दोबारा कमीशन करके उसकी दोबारा देखभाल करनी पड़ती है।

श्री दया कृष्ण: क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि खराब टयूबवैल कब तक ठीक हो जायेंगे?

श्री रामधारी गौड़: बहुत जल्दी ही हो जायेंगे। इन पर काम शुरू हो गया है।

श्री दया कृष्ण: क्य मिनिस्टर साहब यह बताने कि कृपा करेंगे कि माईनर इररीगेशन कारपोरेशन को 1970–71 में नफा हुआ है या नुक्सान हुआ है?

श्री रामधारी गौड़: इस साल का तो इसमें पूछा ही नहीं है, इसमें तो 1972 का पूछा है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इस सवाल के पार्ट (ई) का जवाब देखिये। इसमें ये फरमाते हैं कि कारपोरेशन की 1971–72 की बैलेन्स शीट अभी प्रिपेयर नहीं हुई हैं इसलिये यह नहीं बताया जा सकता कि कारपोरेशन 1 जनवरी, 1972 को लौस में थी या प्रोफिट मे थी। जिस साल के बारे में न पूछा हो उसके बारे में तो कहते हैं कि 'पूछा ही नहीं है' और जिस साल का पूछो उस साल का जवाब देते हैं कि बैलेनस शीट अभी बना नहीं, यह तो मामला ही गुल हो रहा है। इसमें करोड़ों रूप्ये का घपला है।

श्री रामधारी गौड़: यह बातें तो ओपन स्टेज पर कहने की हैं। यहां पर तो कायदे की बात कहनी चाहिए।

श्री रणधीर सिंह: क्या मिनिस्टर महोदय यह बतायेंगे कि एक टयूबवैल लगाये पर कितना रूपया खर्च होता है और उससे कितना एरिया इरीगेट होता है?

श्री रामधारी गौड़: एक टयूबवैल पर एक लाख से लेकर डेढ़–पौने दो लाख रूपये तक खर्च होता है।

चौ. लाल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि नारायणगढ़ में जो टयूबवैल लग रहे हैं, वह कब तक चालू हो जायेंगे?

श्री रामधारी गौड़: बहुत से चालू हो गये हैं और बाकी जल्दी ही चालू हो जायेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकरर साहब, जैसा इन्होंने बताया है कि नहर जमनगरबी पर जिला जीन्द और जिला हिसार में 50 टयूबवैल लगा रहे हैं, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने जीन्द जिले में लगेंगे और कितने हिसार जिले में लगेंगे?

श्री रामधारी गौंड: मेरे पास तो दोनों जिलों की इकट्ठी इनफर्मेशन है। कुछ जींद में लगेंगे और कुछ हिसार में लगेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, अगर डिपार्टमैंट इनको सारे सवालों की एक ही इंफर्मेशन दे दे तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। यह इन्फर्मेशन तो इन्हें लेकन अपनी चाहिए थी कि जीन्द में कितने लगेंगे और हिसार में कितने लगेंगे।

श्री रामधारी गौड: आप सवाल में दोनों के लिए सैपरेटली पूछ लीजिये, जवाब दे देंगे।

श्रीमती लेखवती जैन: क्या आनरेबल मिनिस्टर यह बताएंगे कि अम्बाला तहसील में कुछ और टयूबवैल लगाएंगे और वहां गवर्नमैंट के कितने टयूबवैल हैं?

श्री रामधारी गौड़: पानी मिल गया तो जरूर लगाएंगे।

श्रीमती लेखवती जैन: मैंने यह भी पूछा है कि वहां गवर्नमैंट के कितने टयूबवैल्ज हैं?

श्री रामधारी गौड़: अम्बाला तहसील का पूछा नहीं है, जहां का पूछा है वहां का बता दिया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अच्छा हुआ कि बहन जी ने यह सवाल पूदा लियां हम तो अपोजीशन के हैं। बहन जी ने जो कुछ पूछा है उसकी रैलिवेन्सी तो आप ही जान सकते हैं। स्पीकर साहब आईटम नम्बर आठ पर इन्होंने लिखा है कि "Installation of 100 Nos. Direct Irrigation Tubewells along both sides of Ambala-Jagadhri Road in the area between River Markanda and tangri" मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह इलका कौन से जिले में पड़ता है?

श्री रामधारी गौड़: यह नारायणगढ़ तहसील में पड़ता है (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या सिचाई मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर जमीन में ब्रेकिश पानी है वहां गहरी खुदाई के लिए कोई प्रबन्ध कर रहे है?

श्री रामधारी गौड़: हां, प्रबन्ध कर रहे हैं।

चौ. चांद राम: जमना आगमैंटेशन कैनाल के पानी के लिए जो टयूबवैल लगाए जा रहे हैं क्या वे भी इसमें शामिल है?

श्री रामधारी गौड़: इसमें शामिल हैं।

चौ. चांद राम: इनकी गहराई कितने फुट है?

श्री रामधारी गौड़: उनकी गइराई एक हजार से तेरह सौ फुट है।

चौ. चांद राम: आपने जो टयूबवैल लगाए हैं वे 1300/1400 फुट गहरे हैं। क्या गवर्नमैंट ने इस बात का इंतजाम कर लिया है कि जमींदारों ने जो शैलों टयूबवैल लगा रखे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए तो इतने गहरे हैं (शोर)

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, इन्होंने जो टयूबवैल लगाए हैं वे एक हजार से 1300 फुट गहरे हैं ओर जमींदारों ने जो टयूबवैल लगाए हैं वे 50/60 फुट गहरे हैं तो जो गहरे टयूबवैल हैं वे पानी को खींच लेंगे और इस तरह जमींदार को पानी नहीं मिल सकेगा और नहरों से उनको वैसे पानी नहीं मिलेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन जमींदारों की सिंचाई का क्या हाल होगा यह तो वह बात हुई to rob Peter to pay Paul वाली।

श्री रामधारी गौड़: आनरेबल मैम्बर को मालूम होना चाहिए कि जो शैलों टयूबवैल रहते है। उन पर कोई असर नहीं पड़ता।

चौ. चांद राम: उनको तो कहीं से भी पानी नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): गहरे टयूबवैलों का शैलो टयूबवैलों पर कोई इफैक्ट नहीं पड़ता।

Upgradation of Tehsil Safidon as Sub-Divisional Headquaters

***1368. Sh. Satya Narain Syngol**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to upgrade tehsil Safidon as Sub-Divisional Headquarter, like Hansi, Panipat, Gohana and Kaithal?

Revenue Minister (Sh. Neki Ram): No. Sir.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, इस दफा मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था और वह भी इसलिए कि मंत्री जी अपने जिले के ही हैं शायद हां भर लें। क्या यह बताएंगे कि इसका कारण क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने सफीदों का हांसी, पानीपत, गोहाना और कैथल से कम्पेरीजन किया है। मैं बताऊं कि सफीदों का रकबा 97595 एकड़ है, हांसी का 516191 एकड़ है, पानीपत का 304616, गोहाना का

356178 और कैथल का 520513 एकड़ है। सफीदों तहसील में गांव हैं, 60, हांसी मे 138, पानीपत में 186, गोहाना में 123 और कैथल में 220। पटवार सरकल सफोदो में 20, हांसी में 120, पानीपत मं 70, गोहाना में 71, और कैथल में 77। नम्बर आफ कानूनगो सरकल सफीदों में दो, हांसी में 6, पानीपत में 3, गोहाना में चार, कैथल में चार। नम्बर आफ ब्लाक्स सफीदों में 1, हांसी में 3, पानीपत में 4, गोहाना में 4 और कैथल में 5।

श्री अध्यक्ष: ये सैटिसफाइड हैं।

Harijan Welfare Fund

***1404. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Development be pleased to lay on the Table of the House a list showing the number and names of the Harijan applications who have received money from the Harijan Welfare Fund during the years 1970-71 and 1971-72 together with the amount so received by them in all and by each of them separately?

Development Minister (Sh. Prabhu Singh): The time and labour involved in collecting the information will not commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्रीमती चन्द्रावती: हमारे आनरेबल मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी इस सवाल का जवाब न देकर खुश हो रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो कर्जा दिया गया था उसमें हरिजनों के नाम से गलत दरख्वास्तें देकर कुछ और लोगों ने पैसा लिया है। मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहतती हूं कि सरकार इसकी इनक्वायरी कराए। यह जो कर्जे दिए गए हैं वह गल्त लोगों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि जवाब मत दो (हंसी)। स्पीकर साहब, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह लोग कहते तो हैं कि हम हरिजनों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह सूबेदार साहब हरिजनों के नाम से यहां मंत्री बने हुए हैं। Sir, I want your protection for the welfare of the Harijans and against mis-utilization of the funds.

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहह, जैसा कि बहन जी ने काह कि हरिजनों के नाम से मंत्री बने बैठे हैं। यह सप्लीमैंटरी तो थी नहीं यह तो इनके दिमाग की बात थी। यह कहती हैं कि हरिजन वैलफेयर फंड से नान–हरिजन लोगों ने पैसा लिया है। यह बिल्कुल बेसलैस और बेबुनियाद बात है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी करवाएगी?

श्री प्रभु सिंह: आनरेबल मैम्बर यह हाउस का कोई मैम्बर लिखकर दे, मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा और अगर यह साबित

हो जाए कि मेरे आफिस से कोई गलत कार्यवाही हुई तो मैं उस अफसर को सजा दूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हम क्यों लिखकर दें। जब हम एक बात आन दी फलोर आफ दी हाउस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो इनका फर्ज बनता है कि उस सवाल का जवाब दें। जब तक यह इन्क्वायरी नहीं करेंगे तो सच क्या है और झूठ क्या है, इसका कैसे पता चलेगा। जब हमने सवाल पूछा है तो इसका फर्ज बनता है कि उसकी इन्क्वायरी करवाएं तभी तो पता लगेगा कि गल्तबयानी है या नहीं।

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि नान–हरिजनों को पैसा नहीं दिया गया है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं कई बार उठा हूं।

Mr. Speaker: What can I do?

श्री मंगल सैन: मैंने बहुत जरूरी बात कहनी है।

Mr. Speaker: I cannot extend the time of the Question Hour.

Ch. Dal Singh: Sir, I have to make a submission;

Mr. Speaker: Not connected with the question.

Ch. Dal Singh: No, Sir.

UNSTARRED QUESTION AND ANSWERS

Cases Under Sections 107/151 Criminal Procedure Code.

423. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Home be pleased to stat the total No. of Accused/respondents who were not released on bail and remained in jail under Section 107/151 Cr.P.C. in the State Tehsil-wise during the period from 1-1-71 to date?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Total 976

Tehsilwise break-up

1	Panipat	6
2	Gurgaon	1
3	Hisar	221
4	Bhiwani	127
5	Hansi	29

6	Sirsa	12
7	Fatehabad	135
8	Narnaul	37
9	Mohindergarh	277
10	Dadri	51
11	Rohtak	10
12	Sonepat	22
13	Jhajjar	24
14	Gohana	2
15	Ambala	22
	Total	976

National Defence Fund

424. Rao Dalip Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount collected in the National Defence Fund in the State Tehsilwise to-date?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Constributions to the National Defence Fund are deposited either direct in the various branches of the authorized banks/post-offices or sent

to the Prime Minister's Secretariat. It is, therefore, not possible to give Tehsil-wise break-up of the amount collected in the National Defence Fund.

Surajpur Cement Factory

425. Ch. Chand Ram: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the date when the old lease of the Surajpur Cement Factory expired and whether the lease was renewed, if so, for what period and on what terms;

(b) a copy of the renewed lease along with the name of he party in whose name the lease has been renewed, be laid on the Table of the House; and

(c) is it a fact that in the old lease, it was stipulated that with the expiry of the lease, the who machinery and other investments will vest in the Government?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) The old leases expired on 24-11-1967. a lease over an area of 809 acres was renewed for a period of 20 years under the Mineral concession Rules, 1960. A

mining lease for another area of 42.555 acres, already held by the Company under one of the old leases, was alo granted for a period of 10 years under the Punjab Minor Minerals Concession Rules, 1964. The terms on which these leases have been renewed/granted are given in the lease deeds.

(b) Copies of lease deeds are placed on the Bable of the House. The leases were renewed/granted in the name of M/s The Associated Cement Companies Ltd.

(c) It was not stipulated in the old lease that with the expiry of lease the whole machinery and other investment will vest in the Government. However, the Government had a right to purchase all or any of the machinery, plant, building etc. erected upon the leased land by paying a price equivalent to the cost of the same at the time of their erection on the said lands after deducting from such costs a sum equal to 5% there of for every year which has elapsed since that time.

RENEWED MINING LEASE EXECUTED BETWEEN THE A.C.C. SURAJPUR AND GOVERNMENT OF HARYANA ON 3-9-71

THIS INDENTURE made this 3rd day of September, 1971 between the Governor of Haryana (hereinafter referred to as "the State Government" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and

assignees) of the one part and the Associated Cement Companies Limited, a company registered under the Indian Companies Act, 1913, and having its registered office at 121, Maharshi Karve Road, Bombay-20 (hereinafter referred to as the lessee which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignees) of the other part.

AND WHERE by the mining lease agreement dated the 24th November, 1937 the Government of the former State of Patiala granted to F.E. dinshaw Limited, a Company Act, 1913 (predecessor of "the company") a mining lease for limestone, shale and clay etc. over an area of 795 acres in Malla Forest, in Tehsil Narayangarh, District Ambala upto the 24th November, 1967;

AND WHEREAS by a supplementary lease deed dated the 4th November, 1953 Government of the erstwhile State of Patiala and Est Punjab States Union granted to the Company a further lease over an additional area of 14 acres of aldn at Malla contiguous to the area demised to the Company by the mining lease agreement dated the 24th November, 1937 upto the 24th November, 1967;

AND WHEREAS the company by its letter dated 10th November, 1966 applied to the Government for renewal of the mining lease at Malla for limestone and shale for a period of 20 years over an area of 809 Acres covered by the mining lease agreements dated the 24th November, 1937 and the 4th November, 1953 pursuant to the provisions constained in the aforesaid agreements and the Mineral Concession Rules, 1960;

AND WHEREAS on the said application of the lessee the State government vide its orders contained in letter No. 6709-(I) IBII 70/34300, dated 4th/7th December, 1970 sanctioned the renewal of the said lease fro a further period of 20 years.

WHERE THE lessees have applied to the State Government in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said Rules) for a mining lease for limestone and shale in respect of the lands described in Part I of the schedule hereunder written and have deposited with the State Government the sum of Rs. 1000 only as security and the sum of Rs. Nil for meeting the preliminary expenses for a mining lease and whereas the lessee is in possession of a valid certificate of approval and Income-Tax clearance Certificate.

Now this deed witbesseth that in consideration of the rents and royalties covenants and agreements by and in these presentsand the schedule herewnder written reserved and contained and on the part of the lessees to be paid, observed and performed, the State Government hereby grants and demises unto lessees all those the mines beds/vains seems of limestone and shale (hereinafter and in the schedule referred to as the said minerals) situated lying and being in or under the lands which are referred in part I of the said scheduletogether with the liberties, powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection herewith which are mentioned in part II of the said schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoument of such liberties, powers and privileges which are mentioned

in part III of the said schedule Except and reserving out of this demise unto the State Government the liberties, powers and privileges mentioned in part IV of the said schedule to hold the premises hereby granted terms of twenty years thence next ensuing yielding and plauing therefore unto the State Government the sereval rents and royalties mentioned in part V of the said schedule at the respective times there in specified subject to the provisions contained in part VI of the said schedule and the lessees hereby covenant with the State Government hereby covenants with the lessees as in part VIII of the said schedule as expressed and it is hereby mutually agreed between the parties hereto as in part IX of the said schedule is expressed.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to:

PART I

The Area of this Lease

All that tract of lands situated at Malla Forest (Description of area or areas) in (pargana) in Kalka Tehsil in the District of Ambala sub-District and Thana Pinjore bearing cadastral survey Nos. 53-B/13 constaining an area of 327.38

hectares or 809 acres or thereabout delineated on the plan hereto *annexed and thereon coloured red and bounded as follows:-

On the Noth by	Village Naraini
On the South by	Villages Nandpur-Kidorpur and Tunda Nadi
On the East by	Forest lands
And	
On the West by	Malla Village

hereinafter referred to as “the said lands”.

*Placed in the Library.

PART II

Liberties, powers and privileges to be exercised and enjoyed by the lessees subject to the restrictions and conditioins in Part III.

1. Libertry and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to search for mine, bore, dig, drill, for win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the said mineral/minerals.

2. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to sink, drive, make maintain and use in the said lands and pits, shafts inclines, drifts, levels, water-ways, air-ways and other workds (and to use, maintain, deepen or extend and existing works of the like nature in the said lands).

3. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or under the said lands any engines, machinery, plant dressing floors, furnaces, coke ovens, brickkilns, workshops, store-houses, bungalows, godowns, sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands.

4. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, railways, roads, aircraft landing grounds and other ways in or over the said lands and to use, maintain and go and repass with or without houses, cattle, wagon, aircrafts, locomotives or other vehicles over the same (or any existing tramways, railways, roads and other ways in or over the said lands) on such conditions as may be agreed to.

5. Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to quarry and get stone, gravel and other building and road materials and clay

and and to use the employ the same and to manufacture such clay into bricks or titles and to use such bricks or tiles but not to sell any such material bricks or tiles.

6. Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned in this part but subject to the rights of any existing or future lessees and with the written permission of collector to appropriate and use water from any streams, water courses, springs or other sources in or upon the said lands and to divert, step up or dam any such stream or water course and collect or impound any such water and to make, construct and maintain any water-course, culverts, drains or reservoirs but not as so to deprive any cultivated lands, villages, buildings or watering places for livestock of a reasonable supply of water as beore accustomed nor in any way to foul or pollute any streams or springs: Provided that the lessees shall not interfere will the navigation in any navigable strem nor shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

7. Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of stacking, heaping, storing or depositing there in any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.

8. Liberty and power ot enter upon and use a sufficient part of the said lands to beneficiate any ore produced from the said lands and to carry away such beneficialted ore.

9. Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned in this part and subject to the existing rights of others and save as provided in clause 3 of Part III of this schedule to clear under-growth and brushwood and to fell and utilize and trees or timber standing or found on the said lands provided that the State Government may ask the lessees to pay for any trees or timber felled and utilized by them at the rates specified by the Collector or the State Government.

PART III

Restrictions and conditions as to the Exercise of the liberties, powers and privileges in part II.

1. No building or thing shall be erected, set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure, ground, burning or burial ground or place held sacred by any class of persons or any house or village site, public road or other which the State Government may determine as public ground not in such a manner as to injure or prejudicially effect any buildings, works, property or rights of other persons and no Land shall be used for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for work or purposes not included in this lease. The lessees shall not also interfere with any right of way, well or tank.

2. Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessees shall give to Collector of the District two calendar months pervious notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said ladnd shall not be so used if objection is issued by the Colector within two monts after the receipt by him of such notice unless the objections so stated shall or reference to the State Government be annulled of walved.

3. The lessees shall not without the express sanction of the Collector cut down or injure any timber or trees on the said lands but may without such sanction clear away any brushwood or undergrowth which interferes with any opweations authorized by these presents. The Collector or the State Government may require the lessees to pay for any trees or timber felled and utilllised by them at the rates specified by the collector of the District.

4. Notwithstanding anything in this schedule contained the lessees shall not enter upon any reserved forest included in the said lands without previous sanction in writing of the District Forest Offficer onr fell,cut and use any timber or trees without obtaininig the sanction in writing of the officer nor otherwise than in accordance with such conditions as the State Government may prescribe.

5. The lessees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within a distance of 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway

Administration concerned or from any reservoir, canal or other public works such as public roads and buildings or inhabited site except with the previous written permission of the Collector or any other officer authorize by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions, restrictions and conditions either general or special which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres, shall be measured in the case of railway reservoir or canal horizontally fromr the outer of toe of the bank or the outer edge of the cutting as the case may be and in case of a building horizontally from the plinth thereof. In the case of village roads no working shall be carried on within a distance of 10 metres of the outer edge of the cutting except with the previous permission of the collector or any other Office duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission.

Explanation:- for the purposes of this clause the expression 'Railway Administration' shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railway Act, 1890, by clause (6) of Section 3 of that Act. 'Public Road' shall mean a road which has been constructed by artificially surfaced as distinct from a trace resulting from repeated use. Village road will include any track shown in the revenue record as village road.

6. the lessees shall allow existing and future holders of Government licences or leases over any land which

is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lessees reasonable facilities or access thereto;

Provided That no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of licences or leases to the operations of the lessees under these presents and fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be made to the lessees for all loss or damage sustained by the lessees by reason of the exercise of this liberty.

PART IV

Liberties, powers and privileges reserved to the State Government.

1. Liberty and power for the State Government or to any lessee or person authorized by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to search for win, work, dig, get raise, dress, process, convert and carry away minerals other than the said minerals and any other substrances and for these purposes to sink, drive, make, erect, construct, maintain and use such pits, shafts, inclines, drifts, levels and other lines, waterways, airways, water courses, drains, reservoirs, engines, machinery, plant, buildings, canals, tramways, railways, roadsays and other works and conveniences as may be deemed necessary or converient.

PROVIDED THAT in the exercise of such liberty and power no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessees under these presents and that fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be made to the lessees for all loss or damage sustained by the lessees by reasons or in consequences of the exercise of such liberty and power.

2. Liberty and power for the State Government or any lessee or person authorized by it in that behalf to enter into and upon the said lands and to make upon over or through the same any railway, tramways, roadways, or piplelines for any purpose other than those mentioned in Part II of these presents and to get from the said lands stones, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railways, tramways and roads or any existing railways and roads andto go and repass at all times with or without horses, cattle or other animals, carts, wagons, carriages, locomotives or other vehicles over or along any such railways, tramways, roads lines and other ways for all purposes and as occasion may require, provided that in the exercise of such liberty and power by as other lessee or person no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessees for all loss or damage sustained by the lessees by reasons or in

consequence off the exercise by such lessee or persons of such liberty and powers.

PART V

Rents and Royalties reserved by this Lease

1. The leasee shall pay, for every year, except the first year of the lease yearly dead rent as specified in clause 2 of this part in respect of each mineral;

Provided that lessees shall be liable to pay the dead rent or rolalty in respect of each mineral whichever is higher in amount but not both.

2. Subject to provisions of clause 1 of this part, during the subsitence of the lease, the lessees shall pay to the State Government annual deed rent at the following rate/rates or at such revised rate/rates which may be communicated in writing to the lessees by the State Government per mineral per hectare of the lands demised and described in Part 1 of this schedule:

Name of mineral	Dead rent fixed per hectare	Area of demised land	Deed rent payable	Total dead rent payable in a year
1. Limestone and shale	Rs. 37.50 per hectare per	327.38 hectares (809	Rs. 6138.37 half yearly	Rs. 12282.75

	annum	acres)		

(Here insert the manner in which and the time at which the dead rent, surface rent should be paid)

3. Subject to the provision of clause 1 of this part, the lessees shall during the subsistence of this lease pay to the State Government at such times and in such manner as the State Government may prescribe royalty in respect of any mineral/minerals removed by them from the leased area at the rate for the time being specified in the second schedule to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

4. The lessees shall pay rent to the State Government in respect of all parts of the surface of the said lands which shall from time to time be occupied or used by the lessees under the authority of these presents t the rate of Rs. 2.47 per hectare per annum i.e. Rs. 1 per acre per annum of the area so occupied or used and so in proportion for any area less than an hectare during the period from the commencement of such occupation or use until the area shall cease to be so occupied or used and shall as far as possible restore the surface lad so used to its original condition. Surface rent shall be paid as hereinbefore detailed in clause 2 provided that no such rent shall be payable in respect of the occupation and use of the area comprised in any roads or ways to which the public have full right of access.

PART VI

Provisions relating to the Rents and Royalties

1. The rent, and royalties mentioned in Part V of this schedule shall be paid free from an deductions to the State Government at its headquarters and in such manner at the State Government may prescribe provided always and it is hereby agreed that Rs. Nil the balance standing to the credit of the lessees on account of the deposit made by them as a licensee/licesees over an area which included the said lands shall be retained and accepted by the State Government in satisfaction of the rents and royalties mentioned in Part V until they reach that amount.

2. For the purposes of computing the said royalties the lessess shall keep a correct account of the mineral/minerals produced and dispatched. The accounts as well as the weight of the mineral/minerals in stock or in the process of export may be checked by an officer authorized by the Central or State Government.

(Here specify the mode of arriving at sale price/prices at pits mouth of mineral/minerals)

The sale price of minerals shall be worked out on the basis of the cost of production plus 105 or as may be determined by Government from time to time after giving due consideration to the representation, if any by the lessee.

3. Should any rent, royalty or other sums due to the State Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessees within the prescribed time, the same may be recovered on a certificate of such officer as may be specified by the State Government by general or

special order, in the same manner as an arrear of land revenue.

PART VII

The Convenants of the Lessees

1. The lessees shall pay the rent, water rate and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in parts V & VI of these presents and shall also pay and discharge all taxes, rates, assessments and impositions whatsoever being in the nature of public demands which shall from time to time be charged, assessed or imposed by the authority of the Central and State Government upon or in respect of the premises and works of the lessees in common with othe premises and works of a like nature except demands for land revenues.

2. The lessees shall at their own expense erect and at all times maintain and keep in repair boundary marks and pillars according to the demarcation to be shown in the *plan annexed to this lease. Such marks and pillars shall be sufficiently clear of the shrubs and other obstructions as to allow easy identification.

3. Unless the State Government for good cause permits otherwise the lessees shall commence operation within one year from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of this lease search for, win, work and develop the said minerals without voluntary intermission in a skillful and workman like manner

and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops, buildings, structures or other property thereon. For the purposes of this clause operation shall include the erection of machinery laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine.

4. the lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be sone by them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnied fully and com

*Placed in the Libray

pletely the State Government against all claims which may be mae by any persons or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

5. The lessees shall during the subsistence of this lease well and sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits, shafts and working that may be made or used in the said lands and make and maintain sufficient fances to the satisfaction of the State Government round every such pit, shaft or working whether the same in abandoned or not and shall during the same period keep all working in the said lands except such as may be abandoned accessible free from water and foul air as far as possible.

6. The lessees shall strengthen and support to the satisfaction of the railways Administration concerned or the State Government, as the case may be any part of the mine. Which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any Railways, reservoir, canal, road and any other public works or structures.

7. The lessees shall allow any officer authorized by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessees shall with proper person employed by the lessees and acquainted with the mines and work effectually assist such officer agent, servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information, connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and obsere all orders and regulations which the Central and State Government as the result of such inspection or otherwise may from time to time see fit to impose.

8. The lessees shall without delay send to the Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury t property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this lease.

9. The lessees shall report to the State Government the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease within sixty days of such discovery along-with full

particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessees shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained therefore.

10. The lessees shall at all times during the said term keep or cause to be kept at an office to be situated upon or near the said lands correct and intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time.

(1) Quantity and quality of the said minral/minerals realized from the said lands.

(2) Quantity of the various qualities of ores beneficiated or converted (for example coal converted into coke)

(3) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals sold and exported separately.

(4) Quantities of the various qualities of the said mineral/minerals otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal.

(5) The prices and all other particulars of all sales of said mineral/minerals.

(7) Such other facts, particulars and circumstances as the Central or the State Government may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such time as Central and State Government may appoint true and correct

abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the State Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the Central Government or State Government shall in that behalf appoint to entre into and have free access to the said officers for the purpose of examing and inspecting the said books of accounts, plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom.

11. The lessees shall at all times during the said term maintain at the mine office correct intelligible up-to-date and complete plans and sections of the mines in the said lands. They shall show all the operations, and workings and all the trenches, pits and drillings made by them in the course of operations carried on by them under the lease, faults and other disturbances encountered and geological data and all such plans and sections shall be amended and filled up by and from actual serveys to be made for that purpose at the end of twelve months or any period specified from time to time and the lessees shall furnish free of charge to the Central and State Government true and correct copies of such plans and sections whenever required. Accurate records of all trenches, pits and drillings shall show.

(a) The sub-soil and strata through which they pass.

(b) Any mineral encountered.

(c) Any other matter of interest and all data required by the Central and State Government from time to time.

The lesssees shall allow any officier of the Central or the State Government, authorized in this behalf by the Central Government, to inspect the same at all reasonable times. They shall also supply when asked for by the State Government/the Coal Controller/composite plan of the area showing thickness, dip, inclination etc. of all the seems as also the quantity of reserves quality-wise.

12. The lessees shall be bound by such rules as may be issued from time to time by the Government of India under Section 18 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act 67 of 1957) and shall not carry on mining or other o[perations under the said lease in any way other than as prescribed under these rules.

13. Unless specifically exempted by the State Government has lessees shall provide and at all times keep at or near the pit head or each of the pit heads at which the said minerals shall be brought to bank a properly construced and efficient weighing machine and shall weigh or cause to be weighed thereon all the said minerals from time to time brought to bank sold exported and converted and also the converted products and shall at the close of each day cause the total weight, ascertained by such means of the said minerals, ores products raise sold, exported and converted during the previous twenty-four hours to be entered in the aforesaid books of accounts. The lesssees shall permit the state Government at all times during the said term to employ

any person or persons to be present at the weighing of the said minerals as aforesaid and to keep accounts thereof and to check the accounts kept by the lessees. The lessees shall give days previous notice in writing to the Collector of every such measuring or weighing in order that he or some officer on his behalf may be present thereat.

14. The lessees shall allow any person or persons appointed in that behalf by the State Government at any time or times during the said term to examine and test every weighing mathiner to be provided and kept as aforesaid and the weights used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order any if upon any such examination or testing any such weighing machine or weight shall be found incorrect or out of repair or order the State Government may require that the same be adjusted repaired and put in order by and at the expense of the lesees and if such requisition be not complied with within fourtheen days after the same shall have been made, the State Government may cause such weighing machine or weights to be adjusted, repaired and put in order and the expense of so doing shall be paid by the lessees to the State Government on demand and if upon any such examination or testing as aforesaid any error shall be discovered in any weighing machine or weights to the predudice of the State Government such error shall be regarded as having existed for three calendar months previous to the discovery thereof of from the last occasion of so examining and testing the same weighing machine and weights in case such occasion shall be within such period of three months and the said rent and royalty shall be paid and accounted for accordingly.

15. The lessees shall make and pay reasonable satisfaction and compensation for all damage, injury or disturbances of person or property which may be done by or on the part of lessees in exercise of th liberties and power granted by these presents and shall at all times save harmless and keep indemnified the State Government from and against all suits, claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of any such damange, injury or disturbance.

16. The lessees will exercise the liberties and powers hereby granted in such a manner as to offcer no unnecessary or reasonably avoidable obstruction or interruption to the development and working within the said lands of any minerals not included in this lease and shall at all times afford to the Central and State Government and to the holders of prospecting licences or mining leases in respect of any such minerals or any minerals within any land adjacent to the said lands as the case may be reasonable means of access and safe and convenient passage upon and across the said lands to such minerals for the purpose of getting, working, developing and carrying away the same provided that the lesee shall receive reasonable compensation for any damage or injury which they may sustain by reason or in consequence of the use of such passage by such lessees or holders of prospecting licences.

17. (1) The lessees shall not, without the previous consent in writing of the State Government which in the case of a mining lease in respect of any mineral specified in the

first schedule to the Art shall not be given except after previous approval of the Central Government:-

(a) assign, sublet, mortgage or in any other manner, transfer the mining lease, or any right, title or interest therein, or

(b) enter into or make any arrangement, contract of understanding whereby the lessees will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the lessee's operations or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of persons other than the lesees.

Provided that the State Government shall not give its written consent unless:-

(a) The lessees have furnished an affidavit alongwith their application for transfer of the mining lease specifying therein the amount that they have already taken or propose to take as consideration from the transferee;

(b) The transfer of the mining lease is to be made to a person or body directly undertaking mining operations.

(2) Without prejudice to the above provisions, the lessees may, subject to the conditions specified in the proviso to rule 35, of said rules transfer this lease or any right, title or interest therein, to a person holding a certificate of approval and an income-tax clearance certificate from the

Income Tax Officer concerned on payment of a fee or rupees on hundred to the State Government.

Provided that the lessees shall make available to the transferee the origingal or certified copies of all plans of abandoned workings in the area and in a belt 65 metres wide surrounding it.

(3) The State Government may by order in writing determine the lease at ay time if the lesees have in the opinion of the State Government, committed a breach of any of the above provisions or have transferred the lease or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with the clause (2).

Provided that no such order shall be made without giving the lessees a reasonable opportunity of stating their case.

18. The lease shall not be controlled and the lessees shall not allow themselves to be controlled by any Trust, syndicate, Corporation, Firm or person except with the written consent of the Central Government. The lessees shall not enter into or make any arrangement compact or understanding whereby the lessees will or may be directly or indirectly financed by or under which the lesees operations or undertaking will or may be carried on directly or indirectly by or for the benefit of or subject to the control of any Trust, Syndicate, Corporation, Firm or person unless with the written sanction given prior to such arrangement, compact or understanding being entered into or made of the Central Government and any or every such arrangement, compact or

understanding as aforesaid (entered into or made with such sanction as aforesaid) shall only be entered into or made and shall always be subject to an express condition binding upon, the other party or parties thereto that on the occasion of a State of emergency of which the President of India in his discretion shall be the shall be the sole judge it shall be terminable if so required in writing by the State Government and shall in the event of any such requisition being made be forthwith thereafter determined by the lessees accordingly.

19. Whenever the security deposit of Rs. 1000 or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the Central or State Government pursuant to the power in hereinafter declared in that behalf the lessees shall deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government upto the sum of Rs. 1000.

20. The lessee shall at the expiration or sooner determination of the said term or any renewal thereof deliver upton the State Government all mines, pits, shafts, inclines, drifts, levels, waterways, airways, and other works now existing or hereafter to be sunk or made on or under the said lands except such as have been abandeened with the sanction of the State Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery, plants, buildings, structures, other works and conveniences which at the commencement of the said term were upon the under the said lands and all such machinery set up by the lessees below

ground which cannot be removed without causing injury to the mines or works under the said lands (except such of th same as may with the sanction of the State Government have become disused) and all buildings and structures of bricks or stone erected by the lessees above ground level in good repair, order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.

21. (a) The State Government shall from time to time and all times durng the said term have the right (to be exercised by notice in writing to the lessees) or preemption of the said minerals (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lessees and the lessees shall with all possible expendition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provision in the quantities at the times in the manner and at the place spedified in the notice exercising the said right.

(b) Should the right of pre-emption conferred by this present provision be exercised and a vessel chartred to crry the minerals or products thereof procured on behalf of the State Government or the Central Government be detained on demurrage at the part of leading the lessees shall pay the amount due for demurrage according to the terms of the charter party of such vessel unless the State Government shall be satisfied that the delay is due to causes beyond the control of the lessess.

(c) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in

exercise of the right hereby conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre-emption provided that in order to assist ini arriving at the said fiar market price the lessees shall if so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government particulars of the quantities descriptions and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.

(d) IN the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof), the State Government with the consent of he Central Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessees) forthwith take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the lessees on or in connection with the said lands or operations under this lese and during such possession or control the lessees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government or State Government regarding the use or employment of such works, plants, premises and minerals Provided that fair compensation which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the lessees for all loss or damage sustained by them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause and Provided also that

the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the Provision of this clause.

22. The lessees shall not employ, in connection with the mining operation any persons who is not an Indian national except with the previous approval of the Central Government.

23. If any of the works or matters which in accordance with the convenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried or performed by the lessees be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessees shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

24. The lessees shall furnish –

(a) all geo physical data relating to mining fields or engineering and ground water surveys, such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, collected by them during the course of mining operations to the Director, Geological Survey of India, Calcutta.

(b) all information pertaining to investigations of radio active minerals collected by them during courseof mining operation to the Secretary, Department of Atomic Energy, New-Delhi.

Date of information referred to above shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the mining lease.

PART VIII

The covenants of the State Government.

1. The lessees paying the rents, water rate and royalties hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessees to be observed and performed shall and may quietly held and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the State Government or any person rightfully claiming under it.

2. If in accordance with the provision of Clause 4 of Part VII of this Schedule the lessees shall offer to pay to an occupier of the surface of any part of he said lands compensation for any damange or injury which may arise from the proposed operation of the lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the right and powers reserved to the State Government and demised to the lessees by these presents and the lessees shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the Central/State Government are satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it is not so satisfied and the lessees shall have deposited with it such frther amount as the State and Central Governments shall consider fair and reasonable the

State Government shall order the occupier to allow the lessees to enter the land and to carry out such operations as may be necessary for the purpose of this lease. In assessing the amount of such compensation the State Government shall be guided by the principles of Land Acquisition Act.

3. Where the mining lease relates to any mineral not specified in the First Schedule to the Act, it shall be renewable for one period not exceeding the period specified in sub-section (2) of Section 8, at the option of he lessees;

PROVIDED that the State Government may for reason to be recorded in writing reduce th area applied for.

If the lease is in respect of mineral s specified in the First Schedule to the Act, renewal will be subject to the prior approval of the Central Government.

If the lessees be desirous of taking a renewed lease of the premises hereby demised or of any part or parts of them for a further term from the expiration of the term hereby granted and is otherwise eligible, they shall prior to the expiration of the last mentioned term give to the State Government six calendar months previous notice in writing and shall pay the rents, rates and royalties hereby reserved and shall observe and perform the several convenants and agreements herein contained and on the part of the lessees to be observed and performed upto the expiration of the terms hereby granted. The State Government on receipt of application for renewal, shall consider it in accordance with Rule 28 of the said rules and shall pass orders as it deems fit. If renewal is granted, the State Government will at the expense

of he lessees and upon his executing and delivering to the State Government if required a counterpart thereof execute and deliver to the lessees a renewed lease of the said prmises or part thereof fo the further term not exceeding twenty years at such rents, rates and royalties and on such terms and subject to such rents, rates and royatties and on such terms and subject to such convenanits and ageeements, including this present convenant to renew as shall be in accordance with the Mineral concession Rules, 1960, applicable to limestone and shale (names of minerals) on the day next following the expiration of the terms hereby granted.

4. The Lessees may at any time determine this lease by giving not less than 12 calendar months notice in writing to the State Government or to such officer, or authority as the State Government may specify in this behalf and upon the expiration of scuh notice provided that the lessees shall upon such expiration render and pay all rents, water rates, royalties, compensation for damanges and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other persons or persons and shall deliver these present to the State Government then this lease and the said term and the liberties, powers nd privileges here by granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

4-A. The State Government may on an application made by the lessees permit them to surrender one or more minerals from their lease which is for a group of minerals on

the ground that deposits of the mineral have since exhausted or depleted to such en extent that it is no longer possible to work the mineral economically, subject to the condition that the lessees –

(a) make an application for such surrender of mineral at least six months before the intended date of surrender; and

(b) give an undertaking that they will not cause any hindrance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a mining lease for that mineral.

5. On such date as the State Government may elect within 12 calendar months aftr the determination of this lease or of any renewal thereof, the amount of the security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessees. No interest shall run on the security deposit.

PART I

General Provisions

1. In case the lessees or their transferee/assignee does/do not allow entry or inspection by the Officers authorized by the Central or State Government, under clauses (i), (j) or (l) of sbu-rule (1) of Rule 27 of the said rules, the State Government shall give notice in writing to the lessess

requiring them to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and their security deposit forfeited; and if the lessees fail to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the State Government, the State Government may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

2. If the lessees or their transferee or assignee make any default in payment of rent or water rat or royalty as required by Section 9 of the Act or commits a breach of any of the conditions and convenants other than those referred to in convenant above, the State Government shall give notice to the lessees requiring them to pay the rent, water rent, royalty or remedy the breach, as the case may be, within sixty days from the date of receipt of the notice and if the rent, water rates and royalty are not paid or the breach is not remedied within such period, the State Government may without predudice to any proceedings that may be taken against them, determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

3. In case of repeated breaches of convenants and agreements by the lessees for which notice has been given by the State Government in accordance with caluses (1) and (2) aforementioned on earlier occasion, the State Government without giving any further notice, may impose such penalty not exceeding twice the amount of annual dead rent specified in clause 2, Part V.

4. Failure on the part of the lessees to fulfil any of the terms and conditions of this lease shall not give the Central or State Government any claim against the lesees or be deemed a breach of this lease, in so far as such failure is

considered by the said Government to arise from force majeure, and if through force majeure the fulfillment by the lessees of any of the terms and conditions of this lease be delayed, the period such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the expression “Force Majeure” means Act of God, war insurrectin, riot, fire, earthquake and any othe happening which the lessees could not reasonably prevent or control.

5. the lessees having first paid and discharged the rents, rates and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within six calendar months thereafter (unless the lease shall be determined under clauses 1 and 2 of this part and in that case at any time not less than three calendar months nor more than six calendar after such determination) take down and remove for their onw benefit all or any engines, machinery, plant, buildings, structures, tramways, railways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessees in or upon the said lands and which the lessees are not bound to deliver to the State Government under clause 20 of part VII of this Schedule and which the State Government shall not desire to purchase.

6. If at the end of six calendar months after the expiration or sooner determination of the side term under the provision contained in clause 4 of part VIII of this Schedule become effective there shall remain in or upon the said land any engines, machinery, plant buildings, structures, tramways railways and other works, erections and conveniences, or

other property which are not required by the lessees in conection with operations in any other lands held by them under prospecting licence or mining lease the same shall if not removed by the lessees within one calendar month after notice in writing requiring their removal has been given to the lessees, by the State Government be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lesees in respect thereof.

7. Every notice by these presents required to be given to the lessees shall be given in writing to such person resident on the said lands as the lesees may appoint for the purpose of receiving such notices and if there shall have been no such appointment then every such notice shall be sent to the lessess by registered post addressed to the lessess at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessees may from time to time in writing to the State Government designate for the receipt of notices and ever such service shall be deemed to be proper and valid service upon the lessees and shall not be questioned or challenged by them.

8. If in any event, the orders of the State Government are re-revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings undr chapter VII of the Minral Cencession Rules, 1960, the lessees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the lessees in exercise of the powers and privileges conferred upon them by these presents.

9. For the purpose of Stamp duty the anticipation royalty from the demised land is Rs. 555750 per year.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

Witnesses:-	for and on behalf of the Governor of the State of Haryana
1. Sd/- Prabhu Dayal Khurana, Under Secretary to Government Hayrana	
2. Sd/- Umeed Singh Ahlawantt, PA/Liaison Officer, Government of Haryana, New-Delhi.	Sd/- M.L. Batra Secretary to Government, Haryana Industries Department
Witnesses:-	for and on behalf of the Associate Cement Companies Limited, Bombay.
1. Sd/- Manage, The Cement Marketing Company of India Ltd; New-Delhi	
2. Sd/-	Sd/-

Accounts Officer A.C.C. BCW, Surajpur.	Manager, Bhupendra Cement Works, the Constituted Attorney of the Associated Cement Companies Limited; pursuant to Power of Attorney dated 17th June, 1971.

Grant of Minor Mineral lease of Clay to the ACC Ltd. by the Government of Haryana – Execution of lease dated on 2-9-71

This indenture made this 2nd day of September, 1971 between the Governor of Haryana, acting through the Under Secretary to Government of Haryana, Industries Department (hereinafter referred to as the "Government" which expression shall where the context so admits, include the successors and assigns) of the one part and M/S The Associated Cement companies, Limited, a public Limited Company (Private sector) Registered Office at Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Bombay-20 (hereinafter referred to as the "Lessee" which expression shall where the context so admits, include its successors and permitted assigns) of the other part.

Whereas the Lessee had applied to the Government in accordance with the Punjab Minor Mineral Concession Rules, 1964 (hereinafter referred to as the 'Said Rules') for a Mining Lease for Clay in respect of lands hereinafter described in Clause I(b) and has deposited with the Government the sum

of Rs. 200 as security. And whereas the lessee is in possession of a valid certificate of approval and Income-tax clearance certificate.

Now, therefore, this deed witnesses and the parties hereto agree as follows:-

DemisedI(a) In consideration of the rents and royalties, Convenants and agreements hereinafter contained and on the part of the Lessee to be paid, observed and performed, the Government hereby grants and desises unto the Lesses all those mines/beds/vains/seems of clay (hereinafter referred to s the said minor minerals) situated, lying and being in or under the lands which are referred to in clause I(b), together with the liberties, powers and privileges to be executed or enjoyed in connection herewith which are hereinafter mentioned in Part I subject to the restrictions and conditions as to exercise and enjoyed of such liberties, powers and privileges which are hereinafter mentioned in Part II and subject to other provisions of this lease.

(b) The area of the said land is as follows:-

All that tract of land meansuring 42.555 acres situated at village Rajipur Jhajra, Forest Range, Pinjure (District Ambala) comprising of following Khasra Nos. or these abouts delineated on the *plan hereto annexed and bounded as follows:

Village Rajipur Jhajara Forest Range Pinjore (Ambala)

Khasra No.	Area in acres
46	0.5
½	12.997
10 (old of 1937)	23.260
As per application, 1/1	5.798
25 & parts of Khasra No. 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 26, 46 & 52	42.555

*Placed in the Library.

(c) The Lease shall hold the premises here by granted and demised from the 24th day of Novermber, 1967 for the term of ten years thence next ensung.

PART I

Liberties Powers and Privileges to be Exercised and Enjoyed by the Lessee

The following liberties, powers and privileges may be exercised and enjoyed by the lessee subject to the other providions of this lease:

1. To Enter Upon Land and Search for win work etc.

Liberty and power at all times during the term hereby demised to enter upon the said lands and to search for mine, bore, dig, drill for win work, dress, process, covert, carry away and dispose of the said minor minerals.

2. To Silk and drive and make pits shafts and inclines etc.

Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this clause to sink, drive, make, maintain and use in the said lands and pits, shafts, inclines, drifts, levels, waterways, airways, and other works (and to use, maintain deepen or extend any existing works of the like nature in the said lands).

3. To bring and use Machinery Equipment.

Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this clause to erect construct, maintain and use on or under the said lnds any engine, machinery, plant dressing, floors, furnaces, coke, ovens, brick-kins, workshops store-houses, bungalows, godowns,

shed and other buildings and otherworks and conveniences of the like nature on or under the said lands.

4. To use water from Streams etc.

Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this clause but subject to the rights of any existing or future lessee and with the written persmision of the Collector, Ambala, to appropriate and use water from any streams, water-course, springs or other sources in or upon the said lands and to divert, step up or dam any such stream or water-course and collect or impound any such water and to make, construct and maintain in any water-course, cultivated land, village buildings or watering places for livestock of a reasonable supply of water as before accustomed not in any way to foul or pollute any streams or springs. Provided that the lessee shall not interfere with navigation in any navigable stream nor shall divert such stream without the previous written permission of the Government.

5. To fell Undergrowth and Utilise timber and Trees etc. –

Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned inthis lease deed, to clear undergrowth and brushwood. Lessee shall not feel any trees or timber standing or found on the said lands without obtaining prior permission in writing from th collector of the district or the Chief Conservator of Forests in case of Forest areas as the

case may be. In case such permission is granted, he shall pay in advance the price of the trees/timber to be felled to the said officer at the rates, fixed by him.

6. To get Building and Road Materials etc.

Liberty and power for or in connection with any of the purposes, mentioned in this lease deed, to quarry and get stone, gravel and other building and road materials and ordinary clay and to use and employ the same and to manufacture such clay into bricks ro tiles and to use such bricks, tiles but not to sell any such material, bricks, tiles.

7. To use Land for Stacking Purposes.

Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purposes of stacking, storing or depositing therein and produce of the mines and works carried on and tools, equipment andother materials needed for mining operations.

PART II

Restriction as to the Exercise of the Liberties by the Lessee etc.

The liberties, powers and privileges granted under part I, are subject to the following restrictions and subject to the other provisions of this lease:-

1. No Mining Operation within the Limit of Public Works etc.

The lessee shall not carry on, or allow to be carried on any mining operations at any point within a distance of 75 metres from any railway line, except under and in accordance with the written permission of the railway administration concerned, or bridges or 60 metres from national highways or 50 metres from any reservoir tank, canal, roads or other public works or buildings or inhibited sites except under and in accordance with the previous permission of the Government. The railway Administration of the Government may in granting such permission, impose such conditions as it may deem fit. Providided that except in cases of sand, no mining operations shall be carried on within 50 metres of any river banks.

Explanation:

For the purpose of this clause the expression Railway Administration shall have the same meaning as it is defined to have in the Indian Railway Act, 1890 by sub-section (4) of secton 3 of that Act.

2. Permission for Surface Operation in Land not Already in use.

Before using for surface operations any land which has not already been used for such operation the lessee shall give to the Collector of the District, the Director of Industries, Haryana and the Mining Officer/District Industries Officer, Ambala two calendar months previous notice in writing, specifying the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used, if objection is issued by the Collector within two months after receipt by him of such notice unless the objection so stated shall or reference to the Government, be annulled or waived.

3. Not to use the Land for other Purposes.

The lessee shall not cultivate or use the land for purposes other than these specified in the lease deed.

PART III

Covenants of the Lessee

The lessee hereby covenants with the Government as follows:-

1. (a) **Rate of royalty.**

The lessee shall pay royalty on the quantity of the said minor mineral despatched from the leased area at the following rate:-

Rs. 0.50 (Paise fifty) per tonne.

(b) **Mode of determination of sale price at the Pit's mouth.**

The sale price of the minor mineral at the Pit's mouth shall bethe current maket price for the mineral of the same grade less:-

(i) transport charges from the mine head to the nearest Rail Head;

(ii) railway freight from the Rail head to the market; and

(ii) estimated handling charges and other incidental expenditure not exceeding 5 per cent of the market price.

(c) For calculating the royalty, the lessee shall submit half yearly returns for the period ending 30th September and 31st March in form 'G' to the Director and the Mining Officer/District Industries Officer, Ambala.

2. Surface rent.

The lessee shall pay for the surface area occupied by him, surface rent at the rate of Rs. 0.08 paise per acre per annum.

3. Dead Rent.

The lessee shall pay for every year, yearly dead rent at the rate of Rs.20 per acre per annum for the first year of the lease, Rs. 15 per acre per annum for the 2nd year and Rs. 10 per acre per annum for the subsequent years of the lease and if the lease permits the working of more than one minor mineral in the same area, the Government may charge separte dead rent in respect of each minor mineral. Provided that the mining of one minor mineral does not involve the working of another minor mineral. Provided further that the Lessee shall be liable to pay the dead rent or royalty is respect of each mineral, whichever be higher but not both.

4. Working of newly discovered minerals.

If any minor mineral, not specified in the lease, is discovered in the leased area, the lessee report the discvery without delay to the Government and shall not win or dispose of such minor mieral without obtaining a lease therefore. If he fails to apply for such a lease within 6 months from the discovery of the minor mineral, the Government or the authorized Officer may give the lease in respect of such mineral to any other person.

5. To commence mining operation within six months and carry on properly.

Unless the Government for sufficient cause permits otherwise, the lessee shall commence mining operation within six months from the date of execution jof the lease and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workmanlike manner.

Explanation:

For the prupose of this clause 'Mining operation' shall include the erection of machinery, laying of tramway or construction of a road connection with the working of the mine.

6. To erect and maintain boundary pillars etc .

The lessee shall, at his won expense,erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars according to the plan annexed to the lease.

7. Accounts.

The lessee shall keep correct accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained from the mines and the number of persons employed therein and a complete plan of the mine and shall allow any officer authorized by the Haryana Government or the Central

Government in that behalf to examine at any time any accounts and records maintained by him, and shall furnish to the Haryana Government or the Central Government with such information and returns as it may require.

8. To allow facilities to other lessees etc.

The lessee shall allow existing and future licences or lease holders/Contractors of any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land, held by the lessee, reasonable facilities for access thereto.

9. To alow entry to officers.

The lessee shall allow any officer authorized by the Haryana Government and the Central Government to enter upon any building, excavaton or land comprised in the lease for the purpose of inspecting the mines.

The Lessee shall:

(a) submit a return in form 'H' by the 10th of every month to the Director and also to other Officers specified in that form giving the total quantity of minor mineral raised and despatched from the leased area in the prececing calendar month and its value;

(b) also furnish a statement giving information in 'I' by the 15th April every year to the Director and the other officer, specified in that form regarding quantity and value of minor minerals obtained during last financial year, average number of regular labourers employed (men and women separately) number of accidents, compensation paid and number of days worked, separately.

11. To strengthen and support the mines.

The lessee shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration or the State Government, as the case may be, any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, bridge, National Highway, reservoir, tank, canal, road or any other public work or buildings.

12. Notice for use of explosives etc.

The Lessee shall immediately give to:-

(i) The Chief Inspector of Mines, Government of India, Dhanbad.

(ii) The Director, Indian Bureau of Mines, Government of India, Nagpur.

(iii) The District Magistrate of the District in which mine is situated, a notice in writing in form 'J' as soon as:-

(a) The workings in the mine extent below superjacent ground; or

(b) the depth of any open cast excavation measured from its highest to the lowest point reaches six metres; or

(c) the number of persons employed on any days is more than 50; or

(d) any explosives are used.

13. Mode of payment of royalty/dead rent and suface rent.

The lessee shall pay in the office of the Officer authorized by the Director of Industries, Haryana, in this behalf dead rent/royalty and surface rent in two half-yearly instalments on the 15th April and 15th October each year during the subsistence on the lease.

14. Maintence of Sanitary conditions.

The Lease shall maintain sanitary condition in the area held by him under the lease.

15. To pay compensation for damage and indemnify the Government.

The Lessee shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation for all damage, injury or disturbance which may be done by him in exercise of the power granted by the lease and shall indemnify the Government against all claims which may be made by third parties in respect of such damage, injury or disturbance.

16. Abiding by rules.

The Lessee shall abide by all existing Act and Rules enfored by the Government of India or the Haryana Government and all such other Acts or Rules as may be enforced from time to time in respect of working of the mine and other mine and other matters affecting safety, health and convenience of the employees the Lessee or of the public.

17. To report accident.

The Lessee shall without dealy report to the Deputy Commissioner of the District concerned and the Director or any other Officer authorized by him, any accident which may occur at or in the leased area.

18. Delivery of possession of land and mines on the surrender determination of the lease.

At the end or sooner determination or surrender of the lease, the Lessee shall deliver up the said lands and all mines (if any dug therein) in a proper and workable state, save in respect of any working as to which the Government might have sanctioned abandonment.

19. To provide weighing machine.

The Lessee shall provide and at all times keep at or neat the Pit-head at which the said mineral shall be brought to bank a properly constructed and efficient weighining machine and shall weigh or caused to be weighed thereon all the said minor minerals, from time to time broght to bank sold, exported and converted products, and shall at the close of each day cause the total weights, ascertained by such means of the said minor minerals, ores, products raised, sold, exported and converted during the previous twenty four hours to be entered in the aforesaid books of accounts. The Lessee shall permit the Government at all times during the said term to employ any person or persons to be persent at the weighing of the said minor minerals as aforesaid and to keep accounts thereof and to check the accounts kept by the lessee. The Lessee shall give 15 days previous notice in writing to the Mining Officer/District Industries Officer, Ambala of every such measuring or weighing in order that he or some officer on his behalf may be present thereat.

20. To Secure Pits Shafts not fill them up.

The Lessee shall well and properly secure pit and shafts and will not without permission in writing willfully close, fil up or choke any mine or shaft.

21. Not to enter upon or to commence operations in the reserved or protected forest.

The lessee shall not enter upon or commence any Mining Operations in any reserved or protected forest comprised in the leased area except after previously obtaining permission in writing of the Chief Conservator of Forests, Haryana.

22. To respect water rights and not injure adjoining property.

The Lessee shall not injure or cause to detericrate any source of water, power or water supply and shall not in any other way render any spring or stream of water unfit to be used to do anything to injure adjoining land, villages or houses.

23. Stocks lying at the end of the lease.

The Lessee shall on the termination or sooner determination of the lease remove all extracted minerals from the premises of the leased areas. All extracted minerals in the said lands left over undisposed after the termination or determination of lease shall be deemed to be property of the Government.

24. Paymets of taxes.

The Lessee shall duly and regularly pay to the appropriate authority all taxes, cases and local dues in respect of the leased area, said minor minerals or the working of the mines.

PART-IV

Rights of the State Government

1. The Government may determine the lease.

The Government shall have the right to determine the lease after serving anotice on the lessee to pay the dues within 30 days from the date of receipt of the notice, if the deed rent or royalty or surface rent reserved or made payable by the lessee is not paid within 15 days next afer the date fixed in the lease for payment of the same Government or any other Officer authorized by it in this behalf may also at any time after serving the aforesaid notice, enter upon the said premises and distrain all or any of the minerals or moveable property therein and may carry away, detain or order the sale of the property so distrained, or so much of it as will suffice for the satisfaction of the rent or royalty due and all costs and expenses occasioned by the non-payment thereof.

2. Determination of lease in public interest.

The Government may by giving six months prior notice in writing determine the lease if the Government consider that the minor mineral under the lease is required for establishing an Industry beneficial to the public.

Provided that in the State of National Emergency or War the lease may be determined without giving such notice.

3. right of pre-emption.

The Government shall from time to time and at all times during the terms of lease have the right (to be exercised by notice in writing to the lessee) of per-emption of the said minerasl (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lesee and the lessee shall deliver all mineral or products thereof to the Government at current market rates in such quantities and in the manner, at the place spedified in the notice exercising the said right.

4. Penalty for not allowing entry to officers.

If the lessee or his transferee or assignee does not allow any entry or inspection under clause (9) of Part III, the Government may cancel the lease and forfeit in whole or in part the security deposit paid by the lessee under Rule 16 of the Punjab Minor Mineral Concession Rules, 1964.

5. Acquisition of land of third parties and compensation thereof.

In case the occupier or owner of the said land refuses his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the Government and demised to the lessee under these presents, the lessee shall report the matter to the Government who shall ask the Collector of the District concerned to direct the occupier or owner to allow the lessee to enter the said lands and to carry out such operations as may be necessary for working the mine, or payment in advance of such compensation to the occupier or owner by the lessee, as may be fixed by the Collector under the Land Acquisition Act, 1894.

6. Power of the State Government to purchase property.

If at the expiration or sooner determination of the said lease the State Government shall desire to purchase all or any of the engines, machinery plant, building structures, tramways, railways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in oor upon the said lands such desire shall be signified by a notice in writing given to the lessee by the State Government six calendar months before the expiration or sooner determination of the said lease or if the lease is determined under clauses 1 and 2 of the Part IV at any time then within three calendar month after such determination the articles and things specified in such notice shall not be

removed by the lessee and shall be purchased by the State Government at a price equivalent to the cost of the same at the time of their erection upon the said lands after deducting from such cost a mum equal to five percent thereof for every year which shall have lapsed since that time.

PART-V

General

1. Cancellation.

The lease shall be liable to be cancelled by the Director if the leasee ceases to work the mine for a continued period of six months without obtaining written sanction of the Government.

2. Notice

Every notice by these presents required to be given to the lessee shall be given in writing to such person resident on the said lands as the lessee may appoint for the purpose of receiving such notices and if there shall have been no such appointment then every such notice shall be sent to the lessee by registred post addressed to the lessee at the address recorded in this lease or at such other address in India as the lessee may from time to time in writing to ..... the Government designate fro the receipt of notices and every such service

shall be deemed to be proper and valid service upon the lessee and shall not be questioned or challenged by him/them.

3. Recovery under the Public demand Act.

Without prejudice to any other mode of recovery authorized by any provision of this lease or by any law, all amounts, falling due hereunder against the lessee may be recovered as arreas of land revenue under the law in force for such recovery.

4. Forfeiture of property left more than three months after expiry of determination of lease.

The lessee should remove his property lying on the said lands within three months after the expiry or sooner determination of the lease or after the date from which any surrender by the lessee of the said lands under Rule 23 of the Punjab Minor Minerals concession Rules, 1964, becomes effective, as the case may be the property left after the aforesaid period of three months shall become the property of the Government and may be sold or disposed of in such manner as the Government deem fit without liability to pay any compensation therefore, to the lessee.

5. Security and forfeiture thereof.

(a) The Government mayh forfeit the whole or any part of he amount of Rupees two hundred

deposited by the lessee as security under this lease, in case the lessee commits, a breach of any covenant to be performed by the lessee under this lease.

(b) Whenever the said security deposit or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the Government in replenishment thereof shall be forfeited under sub-clause (a) or applied by the Government under this lease (which the Government is hereby authorized to do) the lessee shall immediately deposit with the unappropriated part thereof to bring the amount in deposit with the Government up to the sum of Rs. 200.

(c) The rights conferred by this clause shall be without prejudice to the rights conferred on the State Government by any other provision of this lease or by any law.

(d) On such date as the Government may elect within twelve calendar months after the determination of this lease or any renewal thereof, the amount of security deposits paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the security deposit.

6. Survey and demarcation of the area.

When a mining lease is granted by the Government arrangements shall be made, if necessary, at the expense of the lessee, for the survey and demarcation of the area granted under the lease. The lessee shall have to bear actual expenses of the staff deputed for the work. Actual expense will include traveling allowances and daily allowances and salary of staff plus 10 per cent as instruments charges.

7. Right of the lessee to determine the lease.

The lessee may determine the lease at any time by giving not less than six calendar months notice in writing to the Government after paying all outstanding dues of the Government.

IN WITNESS WHEREOF these persents have been executed in the manner hereunder appearing on the day and year first above written.

Witness:	For and on behalf of the Governor of the State of Haryana.
1. Sd/- State Geologist	

2. Sd/- Assistant Mining Engineer,	Sd/- 2-9-71 Under Secretary to Government Haryana Industries Department
	For and on behalf of the Associated Cement Companies Limited, Bombay.
Witness:	
1. Sd/- M.L.A.	Sd/- Manager Bhupendra Cement Works The Constituted Attorney of the Assoicated Cement Companies Ltd. Pursuant to power of Attorney Dated
2. Sd/- Accounts Officer, A.C.C. Bhupendra Cement Works, Surajpur.	

Engineers recruited in the Irrigation Department

426. Ch. Chand Ram: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the number of temporary engineers recruited in the Irrigation Department with reference to the Public Service Commission during the last two years;

(b) whether candidates belonging to territories outside the State of Haryana have been considered for such appointment. If so, the number of such candidates recruited and

(c) Whether any consideration is shown to the members of the Scheduled Castes and Backward Classes belonging to the areas outside the State in the matter of adhoc appointments, if so, whether any such candidate applied for these posts?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur): (a) Nil

(b) In view of (a) above question does not arise.

(c) Any resident of India including the Scheduled Caste is eligible for appointment to the State Services. Only two candidates had applied for the posts of Temporary Engineers on adhoc basis and both were selected. In so far as backward classes and concerned the benefit of reserved seats is available only to such persons residing in Haryana.

Increase in Bus Fares:

427. sh. Mangal Sein: Will the Minister for Transport be pleased to state whether any complaint was received against the recent increase in the bus fares;if so, the

contents thereof and the steps taken by the Government thereon.

Transport Ministet (Shri Mahabir Singh): Objections had been received against the recent in bus fares. These were mainly as follows:-

(a) The proposed enhancements are unjustified because the States Transport Undertaking is making progressive profits.

(b) The returns on capital invested are the highest in the country.

(c) The enhancements will mainly affect the middle and lower middle classes who are already badly affected by rising prices and increasing taxes.

(d) The enhancement can be avoided if economies in expenditure are effected and losses caused by thefts, leakages of revenue etc. are prevented.

(e) Enhancement can be avoided by imposing taxes on luxury goods like imported liquor, refrigerators, of conditioned motor cars, etc.

The objectors were given a personal hearing by an officer of the Haryana Government specially appointed for the purpose. He heard the objections in the presence of the members of the State Transport Authority and also had discussions with them with respect to the various objections made by the representatives of the interests affected by the

proposal. After hearing these representatives of the interests affected in officer concerned decided that the draft directions regarding the proposed increase in the bus fares may be confirmed. The final directions to the State Transport Authority regarding increase in the bus fare were published in Government Gazette dated the 30th November,1971 for implementation with immediate effect.

Sale of Residential Plots:

428. Shri Mangal Sein: Will the Minister for public Works be pleased to state whether the Government proposes to sell any residential plots at Faridabad, Murthal and Manimajra; if so, the time by which the applications will be invited there for and the date so fixed for receiving such applications?

Public Works Minister (Shri Ran Singh): Residential plots in Faridabad are proposed to be advertised for sale to public in the near future. The date for the receipt of applications for thes purpose will be indicated in the said advertisement.

At Murthal no land has yet been acquired for residential plots. It is hoped that some residential plots will be sold there during the next finceal year.

So far as Manimajra is concerned, it is presently under the control of Chandigarh Administration and as such the question of sale of residential plots in this area by

Harbana Government, does not arise. However, at Panchkula, Government is proposing to sell residential plots in one sector within about 3 months. The details of the policy of allotment and date fixed for the receipt of applications for this purpose, will be advertised beforehand, in newspapers.

Persons Employed in Central Co-operative Bank Mohindergarh

429. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) The total number of persons employed by the Central Cooperative Bank Mohindergarh including the Branchesfrom 1-1-71 to date;

(b) whether the above mentioned posts were huly advertised or filled through employment exchanfe ; and

(c) the complete addresses of persons employed by the said Cooperative Bank?

Minister for Excise. **Taxation** (Shri Sarup Singh) : (a) 44

(b)	Through advertisement	23
	Through Employment exchange	13
	On ad-hoc basis	8

(c) As per statement attached.

List of Staff Employed from 1-1-1971 to date in the Mahendergarh Central Cooperative Bank

Sr. No.	Name of the Employee	Designation	Address
1	Sh. Om Parkash Pahil	Deputy Manager	Village Datoli, Teh. Dadri, Distt. Mahendergarh
2	Sh. Hamir Singh	Asstt. Manager	Village Gobindpur, Teh. Rewari, Distt. Gurgaon
3	Sh. Lokender Singh	Senior Accountant	Village, Teh. & Distt. Rohtak
4	Sh. Sish ram	Junior Accountant	Village Fatehgarh, Teh. Dadri, Distt. Mahendergarh
5	Sh. Rattan Singh	Junior Accountant	Village Noalgarh, Teh. & Distt. Jhujanu, Rajasthan
6	Sh. Jagdeo Singh	Junior Accountant	Village Baruwas, Teh. & Distt.

			Jhujanu, Rajasthan
7	Sh. Kartar Singh	Cashier	Village Baruwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
8	Sh. Ramautar	Cashier	Village Baruwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
9	Sh. Dharmapal Singh	Supervisor	Village Bisalwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
10	Sh. Mahender Singh	Supervisor	Villlage Jhojhu Kalan Teh. Dadari, Distt. Mahendergarh
11	Sh. Sahi Ram	Supervisor	Village Dhakhora, Teh. Rewari, Distt. Gurgaon
12	Sh. Mahender Singh	Supervisor	Village Nakhrale, Teh. Bhiwani, Distt. Hisar
13	Sh. Ram Kumar	Supervisor	Village Mansarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
14	Sh. Hoshiar Singh	Supervisor	Village Sisoth, Teh. &

			Distt.Mahendergarh
15	Sh. Norangai	Junior Clerk	Village Doltpuria, Teh.Fatehabad, Distt. Hisar
16	Sh. Ram Singh	Junior Clerk	Village Gagarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
17	Sh. Kulwant Singh	Junior Clerk	Village Ding Tehsil Sirsa, Distt. Hisar
18	Sh. Ram Chander	Junior Clerk	Village Jamalpur, Teh. Hansi, Distt. Hisar
19	Sh. Rajinder Singh	Junior Clerk	Village Moondi, Teh. & Distt. Churu (Rajasthan)
20	Sh. Samunder Singh	Junior Clerk	Village Ladan, Teh. Jhajjar, Distt. Rohtak
21	Sh. Satbir Singh	Junior Clerk	Village Gagarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
22	Sh. Ram Kumar	Junior Clerk	Village Bisalwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar

23	Sh. Mahabir Singh	Junior Clerk	Village Dhani, Teh. Bhiwani, Distt. Hisar
24	Sh. Bijindar Singh	Junior Clerk	Village Bahuakharpur, Teh. Rohtak
25	Sh. Hoshiar Singh	Junior Clerk	Village Sulkhania, Teh. & Distt. Churu (Rajasthan)
26	Sh. Pyare Lal	Junior Clerk	Village Asawari, Teh. & Distt. Mahendergarh
27	Sh. Surender Singh	Junior Clerk	Village Rawaldhi, Teh. Dadari, Distt. Mahendergarh
28	Sh. Amar Singh	Junior Clerk	Village Nimbi, Teh. & Distt. Mahendergarh
29	Sh. Jai Parkash	Junior Clerk	Jind
30	Sh. Madan Lal	Junior Clerk	Alwar (Rajasthan)
31	Sh. Attar Singh	Field Inspector	
32	Sh. Om Parkash	Driver	Village Gagarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar

33	Sh. Raj Pal	Gunman	Village Bisalwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
34	Sh. Ram Chander	Peon	Village Manwarwas, Teh. & Distt. Hisar
35	Sh. Ram Chander	Peon	Village Kusalpura, Teh. Loharu Distt. Hisar
36	Sh. Om Parkash	Peon	Village Malhana, Teh. Jhajjar, Distt. Rohtak
37	Sh. Subash Chander	Peon	Village Gagarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
38	Sh. Daya Nand	Peon	Village Ranila, Teh. Dadri, Distt. Mahendergarh
39	Sh. Pritam Singh	Peon	Village Pandwan, Teh. Dadri, Distt. Mahendergarh
40	Sh. Jagmal Singh	Peon	Village Gagarwas, Teh. Loharu, Distt. Hisar
41	Sh. Shamsher Singh	Peon	Village Dulana, Teh. & Distt.

			Mahendergarh
42	Sh. Gaja Nand	Peon	Mahendergarh
43	Sh. Ram Niwas	Peon	Village Dharunda, Teh. & Distt. Mahendergarh
44	Sh. Hukam Singh	Peon	Village Gadikheri, Teh. & Distt. Rohtak

Prizes to Panchayats

430. Smt. Shakuntla: Will the Minister for Development be pleased to state the names of the Panchayats in the State to which prizes, if any, were gvein during the year 1971 together with the names of places where such prizes were distributed?

Development Minister (Sh. Prabhu Singh): In the year 1971 prizes were awarded by the Panchayat Department to the following Panchayats for doing good works :-

S.No.	Name of Panchayat	Block	Amount
1	Matur Sham	HisarII	Rs. 500

2	Masudpur	Kalanaur	Rs. 400
			Rs. 900
7 District Prizes			
1	Asarkah	Bawal	Rs. 250
2	Dhanana	Barana	Rs. 250
3	Talot	Narnaul	Rs. 250
4	Rata Khera	Safidon	Rs. 250
5	Anwali	Gohana	Rs. 250
6	Salwan	Assandh	Rs. 250
7	Ladwa	Hisar-I	Rs. 250
			Rs. 1750

The amount of prizes was remitted for distribution to the Panchayats concerned through the District Development and Panchayat Officers concerned. No special function at any place was organized for the distribution of these prizes.

Loans and Grants to Harijans

431. Shrimati Shakuntla: Will the Minister for Development be pleased to state-

(a) the total amount of loans and grants earmarked for Harijans in Haryana during the year 1970-71;

(b) the total number of applications received together with the number of persons to whom loan was advanced in 1970-71;

(c) the amount of loan advanced Tehsil- wise during the calender year 1971;

(d) the total number of District Welfare Officers together with the castes to which they belong; and

(e) the total number of Tehsil Welfare Officers together with the castes to which they belong

Development Minister (Shri Prabhu Singh): (a) Loan ..

Rs.

29,50,000

Grants ..Rs. 9,11,000

(b) the total number of applications received during the year 1970-71 was 13,215 out ot which 2,613 were advanced loans.

(c) A statement is laid on the table of the house (Annexure 'A')

(d) Seven (excluding one under suspension). Their caste-wise number is as follows:

Chamar	4 (including one under suspension)
Ramdasia	2
Jat	1
Khatri	1

(e) Thirty (excluding two posts lying vacant). Their caste-wise number is as follows:-

Chamar	15
Balmiki	3
Ramdasia	2
Dhanak	1
Jogi Nath	1
Megh	1
Kathik	1
Sansi	1
Bhed Kut	1
Bauria	1 (Absent)
Tagh	1 (Under

	suspension)
Kumhar	1
Mazbi Sikh	1
	30

ANNEXURE 'A'

(c) Statement showing the amount of Loans Advanced Tehsil during the Calendar Years, 1971

S.No.	District	Tehsil	Amount	
			Rs.	Rs.
1	Ambala	Ambala	1,64,600	
		Naraingarh	86,820	
		Jagardhri	1,35,950	
		Kalka	22,400	4,09,770
2	Gurgaon	Gurgaon	79,350	
		Rewari	1,14,520	
		Nuh	37,900	
		Ferozapur		

		Jhirka	29,100	
		Ballabagh	56,600	
		Palwal	86,100	4,03,570
3	Hissar	Hissar	1,27,000	
		Fatehabad	1,18,900	
		Hansi	1,21,700	
		Sirsa	1,32,700	
		Bhiwani	1,30,850	6,31,150
4	Jind	Jind	51,180	
		Narwana	82,900	
		Safidon	41,600	1,75,680
5	Karnal	Karnal	1,65,050	
		Kaithal	1,60,850	
		Panipat	1,04,300	
		Thanesar	1,14,950	
		Guhla	30,900	5,76,050

6	Mohindergarh	Mohindergarh	58,880	
		Dadri	70,300	
		Narnaul	52,300	1,84,480
7	Rohtak	Rohtak	1,31,140	
		Gohana	93,950	
		Sonepat	1,24,100	
		Jhajjar	1,27,050	4,76,240
		Grand Total:-		28,53,940

Central Co-operative Bank Rest House Mohindergarh

432. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) the total amount paid by the Assistant Registrar Cooperative Societies Mohindergarh for the use of the rest house of the Central Co-operative Bank Mohindergarh;

(b) The rate of rent and electricity and the water charges per month paid by the Assistant Registrar Co-operative Societies Mohindergarh; and

(c) for how long the Assistant Registrar is staying in the Rest House?

Minister for Excise, Taxation and Co-operation Haryana (Sh. Sarup Singh): (a) Rs. 825.00.

(b) The rent has been paid at the rate of 10% of the basic pay of the Assistant Registrar and the electricity and water charges have been paid at the rate of rs. 10 per month.

(c) The Assistant Registrar is staying in the rest house since 20th June, 1970.

QUESTION OF PRIVILEGE

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान पिछले सेशन में हुई एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली बार इस हाउस में विशाल हरियाणा नामक एक हिन्दी साप्ताहिक पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उसके सम्पादकीय लेख में यह छपा है कि इस हाऊस के 90 प्रतिशत मैम्बरान शराब पीते हैं। उस वक्त इस मामले पर, हाउस में बड़ी आपति उठाई गई थी और आपने फिर यह मामला प्रिवलिज कमेटी के सुपुर्द भी कर दिया

था। आज हिन्दोस्तान टाईम के अन्दर भी एक खबर छपी है, जिनको मैं अभी यहां पढ़ कर सुना देता हूं (विघ्न)

Kindly listen to me. The news-item appearing in 'The Hindustan Times' of today reads :-

"Minister opens Government bar

Chandigarh. Jan. 16- Two Ministers and more than 30 officers of the Haryana Government participated in a function making the inauguration of a public bar at the Mughal gardens at Pinjore.

They talked of the good old days and emptied their glasses lest someone should see them and say; "so you are here."

It was an unusually quiet inaugural function. A Minister picked up a pair of shining scissors embedded in pink rose petals and cut the string of roses barring the way to the bar. Those standing around winked, smiled and clapped.

They moved towards the counter glistening with wine glasses. Teetotallers-only a few-reached out for soft drinks and sipped them slowly.

The scent of flowers, the flavour of wines, wall paintings showing flok dancers and delightful furnishings lent the bar a faly tale atmosphere....."

Mr. Speaker: You give notice and we will examine .....

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, यह मामला भी बड़ा सीरियस है, इस मामले को भी प्रिवलिज कमेटी के सुपुर्द किय जाना चाहिये।

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन हैं पिछली सिटिंग में गवर्नमेंट ने यह ऐशोरेन्स दी थी कि हिसार में ट्रेक्टरज खरीदने के लिये, जिनकी लोन दिया गया है, उनकी लिस्ट हम सप्लाई कर देंगे पर अभी तक वह लिस्ट हमें नहीं मिली है। तो मैं आपकी मार्फत सरकार से कहूंगा कि वह लिस्ट जल्दी से जल्दी हमें भिजवा दे ताकि हम एफीडेविट दे सकें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, वह लिस्ट हम हासिल करके दे देंगे।

Mr. Speaker: an assurance has been given. It will be complied with.

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, वे इसके लिये तारीख तो बता दें कि कौन सी तारीख तक दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: पांच–चार रोज में दे देंगे।

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, इन्होंने हाउस में वह लिस्ट देने के लिये कहा था।

Mr. Speaker: I do not remember.

श्री बंसी लाल: नहीं, हाउस में देने के लिये नहीं कहा था, मगर हम दे देंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि अभी अभी एक आनरेबल मैम्बर ने एक बड़ी सीरियस बात कही है जो खबर अखबार में छपी है, उसकी कटिंग भी उन्होंने पढ़कर सुनाई हैं उसमें यह कहा गया है कि दो मंत्री ओर 30 अफसर पिंजौर में मुगल गार्डन में दारू की दुकान का उद्घाटन करने के लिए गये और उन्होंने किस तरह से वहां पर गिलास खाली किये ताकि उन्हें कोई देख न लें। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे खुद तो नहीं पीते, कम से कम अपने कैबिनेट वाललों को तो समझाएं कि वे ऐसा न करें। कितनी बुरी बात है चह! जब हमारी विधान सभा के सदस्य, मंत्री और सरकार के अफसर ऐसा काम करते हैं तो फिर हम ऐसी ही एक बात पर, जोकि विशाल हरियाणा में छपी थी, शोर डालें, यह ठीक बात नहीं है। स्पीकर साहब, इस मामले पर कोई न कोई एक्शन जरूर होना चाहिये।

Mr. Speaker: Let notice come. We will examine and take necessary action as per rules.

Call Attention Notice

Mr. Speaker: Notice of Call Attention Motion No. 10 given by Ch. Chand Ram, M.L.A. concerning the alleged continuing strike by students of Kurukshetra University and the posting of the Police force in the campus of the Uniersity

and the alleged harassment and torture of the peaceful students and the expulsion of some students by the Vice-Chancellor is disallowed as the matter is of a countinuing nature.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह मामला तो बड़ा ही सीरियस है, यह तो बड़े दिनों से चल रहा है (शोर)

Mr. Speaker: Let me complete my Ruling.

Moreover, strikes, lock-outs, fasts and agitations do not form the subject matter of a Call Attention Motion. Besides, the Hon. Member can raise this point during the discussion on the Appropriation Bill.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, आप जब इजाजत दे देंगे तो उस वक्त मैं अपनी बात का जिक्र कर लूंगा।

Mr. Speaker: I will give you some time.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि अभी भी मेरे पास स्टूडेन्टस की कीतनी ही डिमांडज आई हुई हैं। स्टूडेन्टस का जीवन पीसफुल नहीं है। वहां पर एटमासफियर बहुत खराब हो गया है। तीन स्टूडेन्टस को नक्सली बताया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप टाइम अभी चाहते हैं या कि बाद में चाहते है। हम आपको पांच सात मिनट एप्रोप्रिऐशन

बिल पर बोलने के लिये दे देंगे। You cannot have time on both the occasions.

Sh. Bansi Lal: On a Point of Order, Sir, Can any Member deliver a speech eve after the ruling of the Chair?

Mr. Speaker: This is what I am trying to persuade him not to do.

Sh. Bansi Lal: Then there are other ways to deal with hime if he does not comply with the ruling of the Chair.

Mr. Speaker: Ch. Chand Ram, you will get some time later.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैं तो चेयर की इज्जत करता हूं, इस बात का आपको पता ही है। आप जय कलिंग देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। तो इनके कहने की जरूरत ही नहीं है।

Papers Laid on the Table

Agriculture Minister (Sh. Bhajan Lal): Sir, I beg to lay on the Table the Third Annual Report & Accounts of the Haryana Agr Industries Corporation Ltd. for the year 1969-70, as required under Section 619-A of the Indian Companies Act, 1956.

Presentation of the Report of the Suboridinate Legislation Committee

Chairman, Committee on Subordinate Legislation (Ch. Chand Ram): Sir, I beg to present the Fourth Report of the Commiettee on Subordinate Legislation for the year 1971-72.

Bills

The Haryana Appropriation Bill, 1972

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1972.

Smt. Om Prabha Jain: Sir, I beg to move –

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

राव दलीप सिंह: स्पीकर साहब, हमें भी बोलने के लिये टाईम मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आपको भेज देंगे।

श्रीमत चन्द्रावती: स्पीकर साहब, इस एप्रोप्रिऐशन बिल पर कितना टाइम लगेगा, मैं भी बोलना चाह रही थी।

श्री अध्यक्ष: दो घंटे।

चौ. जय सिंह राठी (नौल्था): इस वक्त स्पीकर साहब, एप्रोप्रिऐशन बिल हमारे सामने है। हरियाणा की हालत का देखते हुए यह एप्रोप्रिऐशन बिल नहीं हैं बल्कि मिन–एप्रोप्रिऐशन बिल है (बिल) मैं यह बात बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ (शोर)

एक आवाज: क्या एक पढ़े लिखे आदमी के लिये ऐसी बात कहना ठीक है?

चौ. जय सिंह राठी: अगर पढ़ा लिखा न होता तो इसको मिस–एप्रोप्रिएशन न कहता।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. चांद राम पदासीन हुए)

चेयर मैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हरियाणा की हालत को देखा जायें और हरियाणा में जो कुछ इस सरकार ने खर्च किया है और जो छुरी लोगों के गले में फेरी है उसको देखते हुए इस सरकार को यह इजाजत नहीं मिलनी चाहिये कि ऐसे बिल को पास करवा ले जाये। जो मौजूदा सरकार आई है यह बिल्कुल उस तरह से आई है जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी इंडिया में आई थी।

एक आवाज: कया आपको याद है?

चौ. जय सिंह राठी: मैं ग्रेजुएट हूं, आप प्राईमरी पास मेरे से कया मुकाबला कर सकते हैं।

चौ. दल सिंह: श्री सत्य नारायण सिंगोल जी ने अभी मुझे एक बात कही है कि * * * * श्रीमती ओम प्रभा जैन जी के बारे में कुछ न कहो। क्या यह * * * * शब्द पार्लियामेंटरी है या नहीं?

श्री सभापति: वैसे यह अनपार्लियामेन्टरी लफ्ज नहीं है मगर हाउस में श्रीमती ओम प्रभा जी फाइनैंस मिनिस्टर हैं * * * *। यह लफ्ज एक्सपंज कर दिया जाए।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस सूरत में ईस्ट इंडिया कम्पनी इस देश में आई ओर इसने इस देश को साने की चिड़िया कहा तथा यहां हकूमत करके इस देश के पैसे का लूटना शुरू किया उसी तरह इस सरकार ने भी हरियाणा को एक बड़ा पोटैशिल समझा है। इस सरकार ने स्टेट का पैसा खूब लूटा है। जहां तक डिवैल्पमेंट का ताल्लुक है डिवैल्पमेंट का अन्दाजा तो वही लोग लगा सकते हैं जहां डिवैल्पमेंट हुई है। बिजली और सड़कों का नाम लेकर ये कहते हैं कि हम इलैक्शन में जायेंगे और फिर कहते है कि 1973 तक हर जगह सड़कें बिछा देंगे। मैं कहता हूं कि 1973 तक यहां रेत उड़ती नजर आयेगी (व्यवधान) तो चेयरमैन साहब मैं कह रहा था कि इन्होंने इस प्रकार का कम्पेयन किया ..... फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा तो जा रही हैं .....

चौ. ओम प्रभा जैन: मैं अभी जा रही हूं।

चौ. जय सिंह राठी: बहिन जी ने कहा था कि हमारा बजट पंजाब से भी आगे चला गया है। ज्वांयट पंजाब के वक्त जब हरियाणा नहीं बना था उस समय हरियाणा की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था और इसके लिये बहुत कम बजट रखा जाता था। अगर उस समय हरियाणा का ख्याल रखा जाता तो हरियाणा वजूद में भी न आता। मै। कहता हूं कि हरियाणा की प्रगति के लिये इनके क्रेडिट की कोई बात नहीं है हमारा पोटशिल तो उस वक्त भी कायम था आज भी कायम है। इस बहाने से कहना कि हमने बिजली दे दी, सड़कें बिछा दीं, इसलिये क्रैडिट हमें मिलना चाहिये ठीक नहीं। मैं इस सरकार को ओर खासकर चीफ मिनिस्टर साहब को एक चीज बता देना चाहता हूं कि सरकार प्रताप सिंह कैरों ने अपने हल्के में कोई गांव नहीं छोड़ा था जिसमें बिजली, स्कूल, हस्पताल, सड़कें और वहां के लोगों को नौकरी न दे दी हो लेकिन जनता इसके साथ साथ बुरे

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

काम भी देखती है जिसका नतीजा सबके सामने था कि कैरों साहब 33 वोटो का घपला करके फिर चीफ मिनिस्टर बन पाये। हरियाणा में इन्होंने करोड़ो रूपये का घपला करके रख दिया और इसके बावजूद यह लोगों के सामने जाने की हिम्मत रखते है?जब किसी चीज के बारे में पूछो तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैंने

यह कर दिया और मैंने वह कर दिया और इसी तरह से फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा से पूछो वह भी कहती हैं मैने यह कर दिय मैंने वह भी कर दिया। एक मिसाल मुझे याद आ गई कि एक भाई सिंघापुर चला गया। किसी ने पूछा कहां गये थे? उसने कहा मैं विदेश यात्रा करके आया हूं उस आदमी ने फिर पूछा कि फ्रांस तो आप गये होंगे तो उसने कहा फ्रांस तो मैं दो महीने रहा। उस आदमी ने फिर पूछा कि जर्मनी भी गये होंगे तो उसने कहा कि जर्मनी में मैं तीन महीने रहा और यू.एस.ए. में मैंने चार महीने काटे। उस आदमी ने फिर पूछा कि ज्योग्राफी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हौंगे तो उस आदमी ने कहा कि ज्योग्राफी में तो मैं नौ महीने रहा हूं (हंसी) इस सरकार भी यही हालत की है (शोर) तुम्हारी इनती ही नालेज है कि ज्योग्राफी में मैं नौ महीने रहा हूं (शोर) हरियाणा में जो पहली सरकार बनी थी वह मुश्किल से तीन महीने टिक सकी थी उसके बाद दूसरी सरकार 6 महीने चली उसके बाद इलैक्शन हुए और मैं उन आदमियों में से हूं जिसने चीफ मिनिस्टर का नाम प्रोपोज किया था।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या उसकी कीमत चुकाना चाहते हो?

चौ. जय सिंह राठी: मैं तो उसकी कीमत को ठोकर मार कर ठुकराता रहा हूं।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): हाउस में इस किस्म की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिये। (शोर)

श्री सभापति: आप आराम से बोल लो। (शोर)

श्री भजन लाल: हाउस में कुछ ढंग से कुछ मर्यादा से बोलना चाहिये।

श्री बनारसी दास: अगर किसी बात में कोई डिफैक्ट है तो उसके बारे में बतायें लेकिन यह कहना कि लूट खसूट मचा रखी है, यह कर रखा है वह कर रखा है यह ठीक नहीं है। सारा हरियाणा इनको जानता है जो कीमत ये उठाना चाहते है और वह कीमत तो इनको मिल नहीं सकती।

चौ. जय सिंह राठी: जिल लैवल पर ये डिबेट को लाना चाहते है उस लेवल पर मैं नहीं आना चाहता। मैं आपके सामने नम्रता से एक बात कहूंगा कि मेरी सारी स्पीच में ऐसी कोई बात बता दो जो मैंने गलत कही हो। मैं रिक्वेस्अ करूंगा कि मुझे खामोशी का थोड़ा सा दान दे ताकि मैं बोल सकूं। चेयरमैन साहब, पिछले तीन सालों में जो कुछ इस सरकार ने किया है मैं समझता हूं कि वह डिवैल्पमेंट का काम नहीं है बल्कि हरियाणा को ये ऐसी हालत में छोड़ कर चले जायेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी चली गई थी। (शोर)

श्री सभापतिः (ट्रेजरी बैंचिज की ओर इशारा करते हुए) अब जब इन्होंने लूट–खसूट की बात नहीं की तो अब इन्हें आराम से बोलने दो।

चौ. जय सिंह राठीः चेयरमैन साहब, आराम का मतलब ये समझते हैं कि मैं स्ट्रेचर मंगवा लूं और उस पर लेटकर बोलू।

श्री सभापतिः आप इनकी तरफ ध्यान क्यों द`ते हैं?

चौ. जय सिंह राठीः चेयरमैंन साहब, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा का पिछले तीन साल का रिकार्ड देखें। अगर हम बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं और उस फैक्ट्री में मशीनें भी लगा देते हैं अगर उसमें कोई नो हाऊ रखता हुआ काम करने वाला न हो तो उस फैक्ट्री का कोई लाभ नहीं है। डैमोक्रेसी में जो चीज जरूरी होती है वह है तालीम। हरियाणा में तालीम का जितना बड़ा गर्क हुआ है, जो स्टैडर्ड नीचे गिरा है उसकी कोइ इन्तहा नहीं है। एक बात मैं और जरूर कहूंगा कि बिजली के सवाल को लेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने बिजली बोर्ड के चेयरमैंन की बड़ी तारीफ की। इन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के चेयरमैंन बहुत बढ़िया आदमी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को एक बात बताना चाहहता हूं कि मैं उस चेयरमैंन को जानाता हूं वाकई उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। यही चेयरमैंन कैरों साहब के दोस्त थे आपको पता है कि कैरों साहब ने इनको किस घर तक पहुंचाया था? मैं समझता हूं कि उसी घर तक बंसी लाल जी भी

इनको जरूर पहुंचायेंगे। बिजली बोर्ड के चेयरमैंन बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने हरियाणा का कल्याण करना है। हम ने तो बड़ी कोशिश की चेयरमैन साहब लेकिन वह हमारे बस में आया नहीं।

श्री सभापति: जो आफिसर अपने आप को यहां पर डिफैंड नहीं कर सकता उसका यहां पर जिक्र नहीं किया जाना चाहिए।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब मैंने तो कुछ नहीं कहा, वह तो चीफ मिनिस्अर साहब ने ही उनका जिक्र किया था।

Sh. S.P. Jaiswal: Mr. Chairman, a reference cannot be made by name. But a reference to an officer can be made by designation.

Mr. Chairman: He had not mentioned the name. I just cautioned him.

चो. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, मैं तो उनको जानता ही नहीं कि बिजली बोर्ड के चेयरमैन कौन साहब हैं।

Mr. Chairman: Why need you plead so innocent?

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब यहां पर अफसरों के बारे में बहुत सी बात आई। श्री जयसवाल साहब ने भी यहां पर जिक्र किया था और मेरी भी एक आफिशियल से बात हुई थी और उन्होंने मुझे जवाब में कहा था कि हम तो बिल्कुल समाजवाद में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोठियों भी बेशक न

ही जाएं ओर जितना आराम का साजो सामान है वह भी हमसे ले लिया जाए लेकिन हमारे बुजरा साहिबान चाहते हैं कि हमारी लग्जरी पूरी होनी चाहिए। इसलिए आफिसरों ने कोई नुक्स नहीं है, नुक्स जो है वह ऊपर से चलता हैं जिस महकमें का वजीर कुरप्ट है उसके नीचे के अफसर भी कुरप्ट हो जाएंगे, वजीर अगर आराम पसंद हो तो वे भी आराम पसंद हो जाएंगे और अगर चीफ मिनिस्टर में नुक्स हो तो फिर सब के सब ही खराब हो जाएंगे। पिछले तीन सालों में उन्होंने कुरप्शन फैलाने के सिवाए या हमें आपस में लड़ाने के सिवाए कोई मौरल स्टैंडड्ड नहीं छोड़ा। आज हालत यह है कि हम सब यहां पर कोलीग बैठे है लेकिन कोई एक दूसरे का यकीन नहीं करता, वे हमको बर्दाश्त नहीं करते हम उनको नहीं करते। उन्होंने इस किस्म का टैंस माहौल पैदा कर रखा हैं। इन्होंने सड़कें बना दी हैं। (विघ्न) मैंने चेयरमैन साहब पहले भी कहा था कि इन्होंने बाहर से मजदूर लाकर सड़कें ता बना दी लेकिन कैसी बनाई हैं वह मैं बताना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कैरों साहब को बहुत फालो करते हैं। लेकिन कैरों साहब अपपने वक्त में कहा करते थे कि मैं तीन चीजें जरूश्र कर दूंगा, एक तो टीचरों की थोड़ नहीं रहने दूंगा, दूसरे पटवारियों के मरोड़ और तीसरे सड़कों के मोड़ जरूर दूर कर दूंगा। लेकिन आज इस हरियाणा में न तो टीचरों की थोड़ दूर हुई है उन्हें तो भगा–भगा कर उनका बुरा हाल कर रखा है। सड़कों के मोड़ों की यह हालत है कि अगर किसी वजीर साहब के ससुराल बीच में आ गई तो उस तरु मुड़ा दी, किसी एम.एल.ए. का

गांव आ गया तो उस तरफ मुड़वा दी और अगर किसी की जमीन आ गई तो उस को बचाने के लिए मोड़ डाल दिया।

श्री सभापति: राठी साहब इस तरह से आप अपनी स्पीच खत्म नहीं कर पाएंगे।

चौ. जय सिंह राठी: मैं अर्ज करूंगा कि बाहर की दुनियां में अगर आप जाएंगे तो लोग अपने आप ही यह बता देते हैं कि हरियाणा ने इनकी रहनुमाई में कितना नुक्सान उठाया है और कितना कर्जा हरियाणा के सिर हो गया है। उस कर्जे को वापिस देने के लिए इन्होंने कोई साधन पैदा नहीं किए हैं। मैंने पहले भी चैलेंज किया था कि कोई भी हरियाणा में जो सड़कें बनी हैं उनमें से एक को भी कोई वह दो इन्च की थिकनैस की भी दिखा दें तो में मान जांऊगा जबकि वह चार इन्च की होनी चाहिए। (विघ्न)

कुछ कहने से तूफान उठा लेती है दुनिया।

इस दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते।।

चेयरमैन साहब, मैं कहूं क्या, अगर सच्चाई कहता हूं तो उनको तकलीु होती है, वे शोर डालना शुरू कर देते हैं। आप हैरान होंगे कि हरियाणा में आपकी पूरी स्पैसीफिकेशन की नहीं मिलेगी। बिजली के खम्बे लगाने के लिए जो गढ़े खोदे गए वहां पर पूरी मिकदार में सीमिंट नहीं लगाया गया। (विघ्न) मैं आपको रोहतक की बात बताता हूं। यहां पर वजीर साहब ने एक स्टेटमैंन

दिया जो कि एक सवाल के बारे में था कि आया रोहतक की शूगर मिल मे शीरे में चीनी तो नहीं चली गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चली गई होगी। लेकिन मेरी औथैटिक इन्फर्मेशन है कि उसमें चार परसैंट चीनी गई थी और वही चीनी 6 रूप्ए कविन्टल से कम कीमत पर बिकी ओर उस मिल को लौस हुआ। यहां पर जब यह पूछा गया कि गवर्नमैट क्या उन आफिशिल्ज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है जिनकी नगलीजैंस की वजह से नुकसान हुआ है तो उसका जबाव देते हैं कि नुक्सान हुआ ही नहीं है, मगर उधर यह चीज रिकार्ड पर है कि वहां के चीफ कैमिस्ट और चीफ इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरीके से यह लोगों को गुमराह रखते हैं। चेयरमैन साहब, एक साल की बात है वनमहोत्सव पर जंगलात के मुलाजमों को कहा गया कि इस हफ्ते में द्रख्त लगाने है। एक बेचारा ईमानदा कर्मचारी था उसने सवेरे उइकर जाना और 10 द्रखत लगाकर आ जाना और हफ्ते के बाद उसने स्टेटमैट भेजी कि मैंने 70 द्रखत लगाए हैं। उसकी ईमानदारी का नतीजा यह हुआ कि उसे बैड रिपोर्ट दी गई। उसने सोचा कि अब मेरी रिआयरमैंट होने वाली है इसलिए आयंदा प्रोग्रेस दिखानी है, चुनाचे उसने अगली बार कामजात में 700 द्रखत शो कर दिये ओर उसे गुड रिपोट्र मिल गई। किसी ने उसको पूछा कि पिछली बार तो तुम 70 द्रखत लगा पाए थे, इस बार इतने कैसे लगा दिए, तो उस पर उसने जवाब दिया कि कागजी तोर पर लगाए है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर कागजात में ज्यादा काम होता है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: चेयरमैन साहब वह कहीं डी.पी. सिंह की बात तो नहीं कर रहे हैं?

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, अगर कोई सवाल पूछा जाए तो यह कह कर टाल दिया जाता है कि इसमें टाईम एंड लेबर इन्वाल्वड है, इसलिए इन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती। मैं हैरान हूं कि सरकारी अफसर किस बात की तनखाह लेते हैं। दस–दस दिनों तक अगर वे फिग्सर तैयार नहीं कर सकते तो क्या हम यह समझें कि हमारे आफिसर कम्पीटैंट नहीं हैं? चेयरमैन साहब वे कम्पीटैंट हैं मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनको कहतें हैं कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। उनको इस तरह से इन्सट्रक्शन्ज दी जाती हैं जिसकी वजह से वे ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। जहां पर यह हालत हो वहां पर आप अन्दालजा लगा सकते हैं कि स्टेट का क्या भला हो सकता है। हमारे यहां ग्रीवैंसिज कमेटी में एक डिप्टी मिनिस्टर साहब गएण उनके सामने एक बात जो कि मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। चेयरमैन साहब हिन्दोस्तान को कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो डिफेंसफंड न दे जिन लोगों को औलाद, बच्चे लड़ाई में काम आए उनमें से मैं भी एक हूं। हमने भी जिनके घरों के बच्चे इस लड़ाई में काम आये हैं, डिफेंस फंड में पैसे दिये हैं हर किसी को देने भी चाहिये और हर कोई देना भी चाहता है लेकिन उस डिफेंस फंड की आड़ में लोगों से पैसे कैसे किये जाते हैं और कैस उनको बहकाया जाता है उसका एक सबूत मेरे पास है

जिसका मैंने ग्रीवैंसिज कमेटी में जिक्र किया था ओर मांग की थी कि इसकी इन्कववायरी कराई जाये। वहां डिफेंस फंड के लिये लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिये फर्जी टिकट बनवाये गये टिकटों के ऊपर रैड क्रास लिखा गया जबकि उन पर रैड क्रास का कोई निशान नहीं है और उन पर किसी के कोई दस्तखत नहीं हैं। उनका रंग पीला कर दिया ताकि वे रैडक्रास के लगें। उनका यह एक नमूना मेरे पास है जो मैं हाउस के सामने पेश करता हूं . ....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: क्या डिफेंस फंड के लिये पैसा इकट्ठा किया गया है?

चौ. जय सिंह राठी: जी हां। लोगों से रूप्ये लिये गये, यह टिकटें देकर। किसी से सौ ले लिया तो यह पचास पैसे की पर्ची दे दी और किसी से हजार ले लिया तो यही पचाय पेसे वाली पर्ची दे दी। सरकार के पास एक पेसा नहीं जाता क्योंकि सरकार ने कोई रसीदें इशू नहीं कर रखी हैं और यह पैसे खाते जाते हैं फिर पंजाब सिक्योरिटी एंड डिफेंस फंड के नाम पर हरियाणा में रूपया इकट्ठा हो रहा है। हरियाणा ने तो कोई हरियाणा सिक्योरिटी एंड डिफैंस फंड जारी नहीं किया और यह पंजाब सिक्योरिटी एंड डिफैंस फंड के मातहत यह पैसा आ रहा है ओर यह सारा पेसा चीफ मिनिस्अर साहब के परसनल फंड में जाता है .....।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: हरियाणा सिक्योरिटी एंड डिफैंस फंड की रसीद मैं आपको दिखा देती हूं वह मेरे पास है।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, मैं आपकी इतलाह के लिये कह रहा हूं कि इसमें जो आदमी इनवाल्वड हैं वह हैं एस. डी.एम. पानीपत और सिविल हस्पताल के डाक्टर। इन दोनो ने मिलकर रसीदें छपवाई और यह जो रसीद है इसमें आप देख लें कहीं नहीं लिखा कि यह कहां से रसीद छपवाई है किस जगह लोगों ने इकट्ठे होना है कौन इसे छपवाने वाला है चेयरमैन कौन है और जनरल सैक्रेटरी कौन है इस सोसायटी का.....

मर्हत गंगा सागर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं अर्ज करता हूं कि बजाये हाउस को इस तरह मिसलीड किया जाये अगर राठी साहब को कन्फीडैंस है कि वाकई किसी आदमी ने एमवैजलमैंट की है तो फ्राखदिली के साथ एफीडेविट देकर सरकार के पास लिख कर दें और सरकार जरूर इस बात की इन्क्वायरी करायेगी और जो अफसर कसूरवार होगा उसे अवश्य सजा मिलेगी। सरकार यह बात बार–बार कह चुकी है। (विघ्न) यह पंजाब का नाम लेते हैं पता नहीं किस आदमी ने पंजाब में चंदा दिया हो या लिया हो (विघ्न) तो मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है .. ..

श्री सभापति: अब आपकी बात हो गई है आप बैठ जायें यह प्वायंट आफर आर्डर नहीं है।

महंत गंगा सागर: यह तो मैंने चेयरमैन साहब आपसे प्वायंट आफ आर्डर उठाना सीखा हैं जब आप जैसे प्वायंट आफ आर्डर उठाते हैं उसी से मैंने सीखा हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हाउस का टाईम खराब होता है .....

श्री सभापति: आपकी बात आ गई है अब आप तशरीफ रखें। यह हाउस सावरन है और यहां पर जो बात भी की जाती है किसी मैंबर साहब की तरफ से, उसके लिये एफीडेविट की जरूरत नहीं होती। जो भी स्टेटमैंट कोई मैंबर साहब दतेा है निहायत जिम्मेदारी के साथ देता है। अगर कोई मैंबर इस हाउस में डिफैंस फंड की कुलैक्शन के बारे में कोई एलीगेशन लगाता है तो गवर्नमैंट का यह फर्ज है कि वह इसकी इनक्वायरी कराये और गड़बड़ को रोके।

मंहत गंगा सागर: आपने फरमाया है कि कोई एफीडेविट नहीं होता है क्योंकि हर मैंबर जिम्मेदारी के साथ बोलता है लेकिन मैं आपके दस ब्यान बाता सकता हूं कि आपने एक ही दिन में तीन–तीन तरह की बातें कहीं हैं। तो अब आपके बारे में क्या सोचूं कि आपने कौनसी बात दरूस्त कही है। कई बार यह चीजें हुइ हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात है तो बाहर जाकर एफीडेविट देकर बात करें और सरकार सारी इन्क्वायरी करेगी।

श्री सभापति: आप दो बार यह प्वायंट आफ आर्डर कर चुके हैं। आप बैठ जायें यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं आप चेयर के रूलिंग को चैलेज नहीं कर सकते। राठी साहब आप कटीनियू करें।

चौ. जय सिंह राठी: तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने यही बात ग्रीवैंसिज कमेटी के सामने जब वहां डिप्टी मिनिस्अर साहब भी बैठे थे कही थी और वह रसीदें पेश की थीं। यह एक ही रसीद नहीं है बल्कि इन्हीं आदमियों ने दूसरी रसीदें भी छपवा रखी हैं और वह दूसरी रसीद भी मेरे पास है .....

एक आवाज: आप इनको टेबल पर रख दें।

चौ. जय सिंह राठी: यह है वह दूसरी रसीद इसे आप देख सकते हैं। मैं इनकी हाउस की टेबल पर रखता हूं। (इस समय दोनों टिकटें फायनैंस मिनिस्टर साहिबा ने ले लीं) आप इस सारी चीज की इन्क्वायरी करायें मुझे भी बुलाये वहां पर मैं सारे सबूत दूंगा और लोग वहां आयेंगे और एफीडेविटस भी देंगे।

श्री सभापति: आपका यह प्वायंट आ गया है आप और बात करें .....(विघ्न) It is a case of common good. Now you proceed with your regular speech.

चौ. जय सिंह राठी: तभी तो मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि यह कामन गुड की बात है.....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: यह जो रसीदें इन्होंने पैश की हैं हास्पीटल वैलफेयर सोसायटी की तरु से कोई फीट हुआ था उसके लिये यह 25 ओर 50 पैसे की टिक्अस रखी गई मालूम होती हैं। क्या आपका मतलब है और शिकायत है कि 25 और 50 पैसे की टिक्टस देकर सौ–सौ रूपये लिये गये हैं? .....(शोर)

चौ. जय सिंह राठी: यह तो आप बतायें कि कहां की यह रसीदें हैं और कौनसी वैलफेयर सोसायटी की हैं .....(विघ्न और शोर).....

चौ. दल सिंह: चेयरमैन साहब यह जो बार–बार इन्ट्रप्शनज की जा रही हैं यह आप अलाउ न करें।

चौ. जय सिंह राठी: उन्होंने कहा है कि यह वैलफेयर सोसायटी की टिकटें हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह कहां की वैलफेयर सोसायटी है अम्बाला की है, जालंधर की है, अमृतसर की है या गुरदासपुर की है?

श्री सभापति: आपका यह प्वायंट आ गया है एमबैजलमैंट के बारे में कोई और बात हो तो बाद में इनको बता देना .....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: इन्होंने इस बात पर बड़े जोर शोर से तकरीर की है लेकिन इनको पता होना चाहिये कि कई किस्म की वैलफेयर सोसायटीज होती हैं जो फीट अरेंज करती हैं

और उनके लिये 25 और 50 पैसे की टिकटें जारी करती है और छपवा लेती है।

चौ. जय सिंह राठी: यह कहां कि सोसायटी है जिसके यह टिकट हैं यह तो बता दें। इन टिकटों पर तो किसी का नाम धाम कुछ नहीं लिखा।

श्री सभापति: राठी साहब आपकी यह बात आ गई है। वह आपको बाद में बुलाकर पूछ लेंगे और अगर इन्क्वायरी कराना मुनासब होगा तो करवा लेंगे।

चौ. जय सिंह राठी: वह बात तो उन्होंने कहीं नहीं अगर कह देते तो ठीक था। मैं तो उनके पास जाने के लिये तैयार हूं और बताने के लिये तैयार हूं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर एक सवाल पूछा गया था और चौ. रणबीर सिंह जी ने भी यह बात कही थी कि इन्होंने अगपने प्रिटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमैंट के लिये मशीनें मंगा ली हैं लेकिन अभी तक लगाई नहीं हैं और वह लाखों रूपये की मशीनें वैसे बेकार पड़ी है। इसी डिपार्टमैंट के जो कंट्रोलर हैं 1969–70 में कुछ पेपर परचेज के सिलसिले में डी.जी.ऐस.डी. ने उनकी कोई चार लाख की आफर रिजैक्ट कर दी लेकिन उनके मना करने के बावजूद उस चार–पांच लाख का कुछ पता नहीं चलता और सरकार ने कोई इनक्वायरी नहीं की। यही वह आदमी है जो मैट्रीकुलेट है लेकिन उसे 950–1350 रूपये का ग्रेड दिया गया है। यह 250 के ग्रेड में

आया था और दो साल में 950–1350 के ग्रेड पर आ गया है। अगर यही वारे–नियारे रहे और इतनी बेरहमी से सरकार ने स्टेट के पैसे की खुरदबुर्द होने की इजाजत दे दी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की हालत क्या है और वह किधर जा रही है। इन खर्चों के बारे में जब मैंने पहले बात की थी तो फायनैंस मिनिस्टर साहिबा गुस्से में आ गई थीं। तब मैंने कहा था कि यह एप्रोपरिएशन बिल नहीं बल्कि यह तो मिस–एप्रोपरिएशन हुआ हैं हम टैक्स देते हैं तो जो पैसा खच्र किया जाता है उसका पूरा मुआवजा तो लोगों को मिले और वह पैसा जाया न जाये यह देखना हमारा हक है। आज एक फंड नहीं कई फंडज हैं। डिफैंस फंड अलैहदा है ओर बंगला देश फंड अलैहदा है। मैंने पहले भी जब इस बारे में बिल हाउस में आया था कहा था और यह प्वायंट रेज किया था कि जब आपने बंगला देश रिकगनाइज ही नहीं किया तो उसके नाम पर आप कैसे यह काम कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। रिकगनीशन तो आपने अब दी है लेकिन बंगला देश के नाम पर फंड पहले ही लेना शुरू कर दिया था। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले मुझे बता दें कि मेरा टाईम कितना बकाया है ताकि मैं उसी के मुताबिक अपनी स्पीच खत्म करने की कोशिश करूं।

उपाध्यक्षा: मुझे मालूम है दो घंटे हैं जिनमें से अपोजीशन के लिए 37 मिनट हैं। अब आप ज्यादा टाईम न लें।

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, Deputy Speaker, may I know the criteria on which the Oppositon is being given 37 minutes and the rest of the time is being given to the Ruling party?

उपाध्यक्षा: प्रोपोर्शन से किया है।

Sh. S.P. Jaiswal: May I know by what convention or by what Rules the Opposition is entitled to time according to their number in the House.

उपाध्यक्षा: मुझे सैक्रेटरी साहब ने बताया है वह मैं आपको बता देती हूं कि 80 मैम्बरों में टाईम डिवाईड करके जितना अपोजीशन पार्टी का बनता था उतना दे दिया हैं बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी में सिंगोल साहब ने कहा था कि जिस रेशो से दोनों तरफ के मैम्बर हैं उस रेशो से बोलें।

श्री एस.पी. जयसवाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप काफी पुरानी पार्लियामेंटैरियन हैं और आपको तजुरूबा है कि हमेशा अपोजीशन वालों को ज्यादा टाईम दिया जाता रहा है चाहे अपोजीशन कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपोजीशन को रूलिंग पार्टी से ज्यादा टाईम दिया जाना चाहिए क्योंकि रूलिंग पार्टी तो कम बोल सकती है और उनका एक आदमी बोले तो भी काफी है। अगर आप मेम्बर्ज के बेसिज पर टाईम पर प्रोपोशनेट कट लगाएंगे तो अपोजीशन वालों को टाईम ही नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्षाः यह बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी का फैसला है।

चौ. जय सिंह राठीः मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा लेकिन एक बात कहूंगा कि इस हाउस में जितनी अन–डैमोक्रेटिक सिलसिला फायनैंस मिनिस्टर साहिबा ने बताया है मेरे ख्याल में इतना किसी ने नहीं बताया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। शुक्रवार को डिमांडज पर डिस्कशन हुई और वे उसी दिन पास हो गई। मैंने इनको प्रैस किया था कि बोलने के लिए और टाईम दे दो लेकिन नहीं दिया गया और कहा गया कि गिलोटिन सवा बारह बजे लगेगा। इस तरह सवा बारह बजें गिलोटिन लागू करके 40 मिनट हाउस का टाईम खराब किया जो कि मैम्बर्ज को दिया जा सकता था।

Smt. Om Prabha Jain: I stonngly challege to what he has said. The business of passing the Demands was to be completed by the Chair and the guillotine was to be applied by the Chair. The Chair had given a ruling/decision that it will be applied at 12.15 p.m.

Deputy Speaker: I was not in the Chair then.

Smt. Om Prabha Jain: Whosoever was in the Chair. मैं हाउस की मैम्बर तकरीबन पन्द्रह साल से चली आ रही हूं, गिलोटिन हमेशा आधा घंटा पहले अप्लाई होता है। यह बात अलग है कि डिमांडज आदि पौने घंटे या आधा घंटे या पांच मिनट में पास हो जाएं। मेरे पास चेयर की तरफ से प्राईवेट सैक्रेटरी तीन

दफा कहने के लिए आए कि आप उठें और बोलें क्योंकि सवा बारह बजें गिलोटिन लगना है। इस तरह डिमांडज पास हो गई थी। I am not to be blamed as undermocratic. He should know how to speak.

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनका आखिरी सैन्टैस क्या है? Should I tell her how to speak or she will withdraw those words?

Smt. Om Prabha Jain: But he should also know what is the previous practice. The guillotine was to be applied by the Chair.

Ch. Jai Singh Rathi: You were repeatedly requested through the Chair several times that you extend the time of the stitting but you did not agree. (Interruptions) She was not going to give time to the Opposition.

Smt. Om Prabha Jain: I was never asked whether the House should be extended. I never got any indication about the proposal whether the time of the sitting be extended or not.

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप किसी भी तरफ देख लें हरियाणा में .....

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि अपने फरमाया है कि अपोजीशन को 37 मिनट दिए जाएंगे लेकिन आनरेबल मैम्बर अकेले ही 45 मिनट बोल चुके हैं।

अब टाईप हमारी साईड का जा रहा हैं, इसलिए हमं टाईम दिया जाए।

चौ. जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, शायद आनरेबल मैम्बर यह चाहते हैं कि मैं इससे ज्यदा न बोलूं, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। मैं कह रहा था, आप किसी भी तरफ देख लें, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट हो, चाहे कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट हो, चाहे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट हो और चाहे कोई भी डिपार्टमैंट हो, सब में धांधली मची हुई है। खासतौर पर तीन महकमों ने ज्यादा खराबी कर रखी है – एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट, दूसरा सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट और तीसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट। पैसा इकट्ठा करने के लिए इन तीन डिपार्टमैंटस को आगे ले आते हैं। कौन आफिसर कितना रूपया इकट्ठा कर लेता है, इसका कोई हिसाब–किताब नहीं होता। इनके लिए कोटा मुकर्रर हो जाता है कि तुमने इतना रूपया इकट्ठा करना है, चाहे कैसे भी करें। मैं यह बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया था लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। उनसे ये कह देते हैं कि आपने एक लाख रूपया इकट्ठा करना है, किस से लेना है, कैसे लेना है, यह नही बताया जाता। कभी सेल्ज टैक्स का अफसर बुला लिया, कभी सिविल सप्लाईज का अफसर बुला लिया और कभी एस.डी.एम. बुला लिया और रूप्या इकट्ठा करवा लिया। आपको कया मालूम कि एक लाख रूप्या इकट्ठा किया है या दो लाख किया है? दो लाख में से एक

लाख रूप्या आपको पकड़ा देते हैं और बाकी का हिसाब–किताब कुछ नहीं दिया जाता, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो अफसर लोगों से पेसा लेते हैं उन्होंने आपको लौटाना तो होता है कि इतनी कुलैक्शन हुई है, चाहे टैक्स से लिए हो, चाहे किसी और तरीके से लेकिन खुदा के वासते कुछ न कुछ रसीद पर्ची तो लोगों को दिला दो ताकि हिसाब–किताब का पता चले। फायनैंस मिनिस्टर साहिबा, खुदा के वास्ते इस स्टेट को ऐसी हालत में छोड़ जाना, इतना पैसा छोड़ जाना ताकि आगे आने वाले बच्चे भी इस्तेमाल कर सकें, इनको मकरूज न बनाते जाएं। बजट पास होने के बाद आपके दो दो बार सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेंट्स आते हैं, दो–दो स्पीचें आती हैं, आप यह दो–दो वाली बात छोड़ दो। थोड़ा बहुत छोड़कर चले जाओ दूसरों के लिए ताकि आपके बच्चे पीछे से याद यिका करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आनरेबल मैम्बर के लिए कितना छोड़ जाएं? (हंसी)

चौ. जय सिंह राठी: आप तो एक पैसा भी मेरे लिए छोड़ कर नहीं जाएंगे।

उप–मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान): डिप्टी स्पीकर साहिबा ....। (इस समय चौ. जय सिंह राठी हाउस से बाहर चले गए) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनके लिए ही कह रहा था लेकिन

ये बाहर चले गए हैं। इन्होंने ये रसीदें मुझे दिखाई थीं क्योंकि मैं गिरिविएंसिज कमेटी का चेयरमैंन हूं। जब इन्होंने रसीदें दिखाई तो मैंने आफिसर्ज साहिबान से पूछा था। यह ठीक है कि ये चार–चार, आठ–आठ आने में इशू हुई थीं क्योंकि इनका सम्बन्ध एक हस्पताल के फंक्शन से था, उसके लिए यह इशू हुई थी। यह गलत बात है कि ज्यादा पैसे लिए गए या जबरदसती चार्ज किए गए थे? ये भाई बाहर चले गए हैं, मैंने इनको चैलेंज किया था लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज ये हाउस में गलत स्टेटमैंट देकर चले गये हैं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप चेयर पर नहीं थीं, चौ. जय सिंह राठी ने गवर्नमैंट पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए जिनको दोबारा यहां पर कहना मुश्किल है और कह कर वे बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि डिफैंस फंड के नाम पर सौ–सौ, दो–दो सो रूप्ये इकट्ठे होते है .....

उपाध्यक्षा: क्या आप परसनल ऐक्सप्लेनेशन दे रही है?

Smt.Om Prabha Jain: It is not a personal explanation. I just wanted to draw you attention (Interruptions) मैं आपको बता रही हूं कि वे रसीदों को हाउस का पार्ट बनाना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि इनको हाउस के टेबल पर न रखा जाए।

लाला बलवन्त राय तायल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि क्या फायनैंन मिनिस्टर साहिबा स्पीच कर रही थी? अगर स्पीच नहीं थी तो क्या थी?

Sh. S.P. Jaiswal: If there is no objection, they are deemed to have been placed on the Table (Interruption).

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन्होंने टिकटें अपनी स्पीच के दौरान टेबल पर रखी हैं। अगर रसीदें गलत हैं तो उसमें क्या बात हैं, टेबल पर रखने में कया हर्ज है ..... (व्यवधान)।

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, Deputy Speaker, the receipts were placed on the Table by the Honourable Member while making his speech and the Hon. Chairman did not object to that, which means he consented to their being placed and now they are the property of the House and no-body can take them away from the House.

Deputy Speaker: I want not in the chair, and therefore I do not know what happened.

Sh. S.P. Jaiswal: The record is there.

Deputy Speaker: I will enquire about it.

Smt. Om Prabha Jain: Madam, I would like to know from you whether papers can be placed on the Table or the House without the explicit permission of the Chair or if the Chairman is silent can they be placed like that. Should the

Speaker or the Chair give explicit permission to lay papers on the Table of the House or not?

Deputy Speaker: They can be laid if the Chair allows.....

Smt. Om Prabha Jain: Madam, the Chairman did not allow; he was just silent. (Interruptions)

Ch. Dal Singh: He did not object.

Sh. S.P. Jaiswal: What the Hon. Finance Minister is telling is not correct. The Hon. Member said that here are the receipts, placing them on the Table. The hon. Chairman, sitting in the Chair, did not object to their being placed on the Table. You will recollect, Madam, the other day some papers were being placed and you stopped their being placed on the table.

Deputy Speaker: Just a minute, We will enquire from Ch. Chand ram, the then Chairman, whether he allowed them to be placed on the Table.

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी गैर–हाजरी में जो स्पीच हो चुकी है क्या उसके किसी पोर्शन को आप अब ऐक्सपंज करवा सकती हैं।

उपाध्यक्षा: ऐक्सपंज कौन करा रहा है?

चौ. दल सिंह: आपने खुद फरमाया हे कि मैं देखूंगी, मैं चैक करूंगी। Under what rule your are going to do it .....

Ch. Jai Singh Rathi: He had allowed them to be placed on the Table.....

Smt. Om Prabha Jain: He did not allow. He was silent.

Ch. Jai Singh Rathi: Silence means that permission is given.

Deputy Speaker: We will just enquire into the matter.

चौ. दल सिह: आप रिकार्ड चैक कर लीजिए। जब उन्होंने परमिशन दे दी तो आप कैसे ये गलत चीज कर रहे हैं?

Deputy Speaker: How can you say that it is wrong? (Interruption) चौ. चांद राम जी ने बताया है कि टेबल पर नहीं रखे थे बल्कि फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा को दिए गए थे।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, गलत बात नहीं होनी चाहिए। मैंने रिपोर्टर को दिए हैं, आप रिपोर्टर से पूछ सकते हैं।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, गलत बात नहीं होनी चाहिए। मैंने रिपोर्टर को दिए हैं, आप रिपोर्टर से पूछ सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से तो हाउस का टाईम खराब हो रहा है। हम न तो बजट पर बोले हैं और न ही डिमांडज के ऊपर बोले हैं। जब हम बोलना चाहेंगे

तो टाईम नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं जानता हूं कि हाउस का टाईम कब तक इस तरह से खराब होता रहेगा?

उपाध्यक्षा: जिनको खराब नही करना चाहिए वे कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: आप उनको बोलने नहीं दीजिएगा।

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज (रोड़ी): मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहिबा, चार दिनों से बजट, फिर डिमांडज और आज ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बहस जारी है ओर मैं भी इस सिलसिले में चन्द अलफाज अर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो हरियाणा की तरककी मौजूदा सरकार के तीन, साढे तीन साल के अर्से में हुई है वह मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद आई सभी सरकारों द्वारा की गई डिवैल्पमेंट से कई गुना ज्यादा हैं। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद कई सरकारें अपना शासन चला गई, डिवैल्पमैंट के काम करने का वे भी दावा करती रहीं लेकिन जितना इन सालों में काम हुआ उससे कई गुणा ज्यादा काम इस अर्से में हुआ हैं। जादू वही है जो सिर चढ़कर बोलें यह चीज स्पष्ट है। आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। 1968 तक हरियाणा में टयूबवैलों की तादाद बारह हजार के करीब थी जो कि आज एक लाख से ऊपर पहुंचने वाली है। 21 साल में तो बारह हजार टयूबवैल और साढ़े तीन साल के अर्से में लाख से ऊपर तादाद पहुंचने वाली हो तो इसमें क्या दो

राय हो सकती हैं कि हरियाणा में इस सरकार ने काम किया है या नहीं। इसी तरह से बाकी सारे कामों में भी हमारे हरियाणा ने उन्नति की है। बिजली 21 सालों में केवल 1200 गांवों में दी गई थी जबकि इन तीन सालों में बाकी के 5800 के करीब गांवों में पहुंचाई गई। इसी तरह 271 हस्पताल हमारे यहां थे जो कि आज 306 हो गए हैं। कालेज सारे हरियाणा में 54 थे जो आज 94 हो गए हैं। इसी तरह से हाई स्कूलों और मिडल स्कूलों आदि की तादाद भी सवाई से ज्यादा बढ़ गई है। सड़कं पहले 5651 किलोमीर थी जो इस वक्त दस हजार किलोमीटर के करीब हो गई हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें नैशनलाईजेशन करने के बाद 566 से बढ़कर 1100 के करीब हो गई हैं और सबकी सब बड़ी कामयाबी से चल रही हैं। तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन सब बातों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस गवर्नमैंट ने हरियाणा की बे–मिसाल तरक्की की हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान में अव्वल नम्बर पर पंहुच चुका है। परन्तु अफसोस की बात है कि विरोधी दल के लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। चार दिन से विरोधी दल की बातों को मैं सुन रहा हूं। वे कहते हैं कि कुछ तरक्की नहीं हुई, यहां बददयानती हो गई और वहां पैदा दबा लिया। इस सम्बन्ध में डिप्टी स्पीकर साहिबा मुझे एक शेर याद आया है:–

मुश्क आं अस्त के खुद बगोयद,

नाकि अतार गोयद।

कस्तूरी वह है जो खुद खुशबू दे। पन्सारी तो कह जाएगा कि मेरी कस्तूरी बहुत अच्छी है। यह तरक्की का मामला सूरज की तरह सामने आया हैं अगर आंखें मूंद कर कोई कहे कि अंधेरा है तो सूरज का इसमें कोई कसूर नहीं विरोधी दल क आनरेबल मैम्बर्ज साहबान ने केवल मुखालिफत के लिए मुखालिफत करना सीख रखा है और इसका एक कारण भी है। कोई ठोस चीज कहने को इनके पास रह नहीं गई हैं। तामीरी मुखालिफत ये करते नहीं। दरअसल कुर्सी की जुदाई में ये बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कुर्सी के दु:ख की बीमारी की वजह से ये बड़े बेकरार हैं। कहते है कि हरियाणा की जनता का कुछ नहीं हुआ। शोर भी बहुत डालते हैं। हमारे सी.एम.साहब ने समझा कि वाकया ही ये जनता के दुख में घुट रहे हैं और उसके पिछड़ेपन की वजह से ही ज्यादा शोर डालते हैं। तो उन्होंने जोर–शोर से तरक्की की ताकि यह रोना–धोना बंद हो जाए। हर जगह बिजली पहुंचाई, स्कूल खोले, सड़कों का काम किया तथा और भी तरक्की के काम किए। परन्तु बात उल्टी हुई। ज्यादा तरक्की होने से इनकी फूंक निकल गई। यह तो वह बात हुई जेसे कहते हैं:–

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की

मर्ज बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की।

ज्यों–ज्यों हरियाणा की तरक्की हो रही है, ज्यों–ज्यों हरियाणा की जनता की बेहतरी हो रही है त्यों–त्यों ये ज्यादा

शोर डालते जा रहे हैं। सी.एम. साहब ने तो यह महसूस किया था कि ये हरयिाणा को आगे देखना चाहते हैं इसलिए बेचारे शोर डालते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा मर्ज ज्यादा हो गया क्योंकि कुर्सी और भी दूर चली गई।

श्री एस.पी जयसवाल: मैंडम, आनरेबल मैम्बर अपोजीशन के मैम्बरों के ऊपर बोल रहे हैं या ऐप्रोप्रिएशन बिल पर?

उपाध्यक्षा: आनरेबल मैम्बर कृपया ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें।

चौ. हरकिशन लाल कम्बोज: इन अलफाज के साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे अपोजीशन वाले भाई सो गए हैं, जागते हुए सो गए हैं। इनको कौन जगाए? कोई सचमुच सोया हुआ हो तब तो जगाएं मगर जो जानबूझ कर खुर्राटे लेने लग जाए उसको जगाया नहीं जा सकता। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही निवेदन करता हूं कि आज जो ऐप्रोप्रिएशन बिल सरकार की तरफ से पेश हुआ है मैं उसका पूरा–पूरा समर्थन करता हूं और सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि हमें इसे पास कर देना चाहिये क्योंकि इस दौरान जो तरक्की हरियाणा की हुई है उसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं।

उपाध्यक्षा: अब श्री कंवर सिंह दहिया बोलेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे पहले भी तीन–चचार दफा अर्ज कर चुकी हूं इसलिए मुझे अब की बार टाईम जरूर दिया जाये।

उपाध्यक्षा: जो मैम्बर्ज सारे सैशन में एक बार भी नहीं बोले हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरे जो मैम्बर्ज बैक बैंचिज पर बैठे हैं उन पर भी चेयर की निगाह रहनी बहुत जरूरी है।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं भी सारे सैशन में अभी तक नहीं बोली हूं।

उपाध्यक्षा: आपको तो फिर भी कुछ टाईम मिला होगा परन्तु कंवर सिंह दहिया को तो बिल्कुल ही टाईम नहीं मिला।

श्रीमती चन्द्रावती: मुझे इस सैशन में बिल्कुल टाईम नहीं मिला है। इसलिए इनके बाद मुझे टाईम दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: डिप्टी स्पीकर साहिबा मुझे भी बिल्कुल टाईम नहीं मिला है। इसलिए आप हमारा भी कुछ ख्याल रखें।

उपाध्यक्षा: आपको भी टाईम मिलेगा। चन्द्रावती भी आप बैठ जाइये मैंने रूलिंग दे दी है। आप बार–बार खड़े होने का कष्ट न करें। आपको भी समय मिलेगा।

श्री कंवर सिंह दहिया (रोहट): डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट डिमांडज और एप्रोप्रिएशन बिल पर कई दिनों से बहस चल रही है। इस बजट को पढ़ने से पता चलता है कि यह बजट बहुत अच्दा और प्रशंसा योग्य बजट है। यह बजट जनता के हित के लिए हैं इस बजट में जो चीजें रह गयी हैं उनके विषय में कुछ सुझाव ओर अमेंडमैंट्स अपनी तरफ से देना चाहता हूं। आशा है कि सरकार उनको स्वीकार करेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा आज हरियाणा के सारे प्रान्त में बिजली पहुंच चुकी है लेकिन मेरे हल्के में कई गांवों से शिकायतें आती हैं कि बिजली बहुत जल्दी चली जाती है और रात के सद टयूबवैल बन्द हो जाते हैं जिसके कारण जमींदारों की फसल सूख रही है। घरों में भी बिजली न होने के कारण दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मरा सुझाव है कि फरमाना गांव में एक सब–स्टेशन और दूसरा भटगांव गांव में लगाया जाये। इन दोनों के लग जाने के बाद वहां के जमींदारों का जो नुक्सान हो रहा है वह ठीक हो जायेगा और जमींदार फसल की ठीक समय पर पानी भी दे सकेंगे।

टयूबवैलों के विषय में कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे इलाके के अन्दर जो नहरी पानी के लिए जो नालियां हैं जिनसे नहरों का पानी दिया जाता है, अगर उसे साथ–साथ टयूबवैल की नाली का पानी गुजर जाता है तो जमीदारों को दुगना खर्चा डाल दिया जाता है यानी पानी का आबयाना लग जातता है। एक तो बेचारे जमींदार का टयूबवैल का खर्च पड़ गया,

दूसरे नहरी पानी का आबयाना पड़ गया। असर टयूबवैल का पानी नहर के खाल से गुजरता है तो तिगुना खर्चा पड़ता है। इसलिए जमींदारों को इस खर्चे से रियायत मिलनी चाहिए ताकि जमींदार अपनी पैदावर को बढ़ा सकें और इस खर्चे से बच सकें।

कुछ बातें में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट के विषय में भी कहना चाहता हूं। यह मैं मानता हूं कि हमारे हरियाणा प्रान्त में सड़कों को प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है परन्तु मेरे अपने हल्के में एक गांव ऐसा है जो अभी तक रेविन्यू रिकार्ड में भी नहीं है। उस गांव का नाम छोटा खांडा है। वह दूसरे गांव से आकर सन् 1955 में बसा था। वहां पर अब प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है, वह तहसील सोनीपत में आता है। उस गांव के अन्दर सड़क जानी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाने का टारगेट फिक्स किया हुआ है उसका फायदा उस गांव के लोग भी उठा सकें। इसी प्रकार से एक दूसरा गांव है रामपुर जो कुंडल गांव के साथ ही है उसमें भी सड़क वगैरह बनाने का सरकार की तरु से अभी तक कोइ प्रोग्राम नहीं आया है। इसलिए उस गांव तक भी सड़क जरूर निकाली जानी चाहिये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. चांद राम पदासीन हुए)

चेयरमैन साहिब मैरे एरिया में सोनीपत मंडी बहुत मशहूर मंडी है। इसके आसपास के बीस–तीस मील के लोग इस मंडी में ही अनाज और गुड आदि बेचने के लिए आते हैं। इसलिए मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जब तक वहां एक–एक और दो–दो

किलोमीटर की सड़कें नहीं बनती हैं तब तक जमींदारों को अपनी फसल सोनीपत मंडी में लाने में कठिनाई होती है। ये छोटे–छोटे टुकड़े हैं ये जरूर बनने चाहिए। जैसे बीदरान गांव से सेहरी, निरथान से सेहरी और खांडा से भदाना। इन गांवों की सड़कें बन जाने से वहां के जमीदारों की कठिनाई दूर हो जायेगी।

चेयरमैन साहब मेरे हल्के में खरखौदा भी एक बड़ा मशहूर कस्बा है। वहां पर अग्रेजों के टाईम से एक स्कूल और एक हस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है। वे बिल्डिंगज अब बिल्कुल गिर चुकी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन बिल्डिंगज को पी.डब्लू. डी. डिमार्टमैंट नये सिरे से बनाये क्योंकि वह अब मुरम्मत होने के काबिल भी नहीं है। अगर मुरम्मत ही कराना चाहते हैं तो भी जल्दी से जल्दी की जाये ताकि वहां पर जो बच्चे पढ़ते के लिये जाते हैं उनकी दिक्कतें दूर हों।

हमारी सरकार ने इस डिवेल्पमैंट के दौर में कई जगहों पर रैस्ट–हाउसिज की तामीर की है। मैं भी सरकार से इल्तजा करूंगा कि हमारे यहां भी खरखौदा में एक पी.डब्ल्यू.डी. का रैस्ट हाउस बनाया जाये ताकि वहां पर जो मिनिस्टर्ज या अफसर जायें वे आराम से ठहर सकें।

इरीगेशन की भी मेरे हल्के में कई गांव में बड़ी किल्लत है। मेरे हल्के में भटगांव गांव जिसमें अंग्रेजों के समय में 52 मोरियां हुआ करती थीं और वहां एक मिसाल मशहूर है कि

भटगांव का जीना तो केवल अढाई दिन का काफी। वहां पर आजादी के बाद श्री बुलगानिन आये, श्री ख्रुश्चेव आये। उस गांव में सबसे पहले बिजली गई थी। जब उस गांव में बिजली गयी तो हरियाणा में किसी भी गांव में बिजली नहीं थी अब उस गांव में सारी मोरियां बन्द हो चुकी हैं और वहां पर टयूबवैल कामयाब होते नहीं हैं। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वहां पर नहर के पानी की जो कमी है इसको दूर किया जाये। दूसरे इस साल बारिश न होने के कारण से नहर के पानी की बड़ी आवश्यकता है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर उस एरिया में जो नहर चलती है उसको लगातार एक महीने तक चलने दिया जाये क्योंकि जो एक हफ्ते की टर्न रखी है उससे जमींदारों की फसलों को पूरा पानी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए एक महीने तक नहर चलनी चाहिए।

हमारे यहां गोरड गांव से ड्रेन नम्बर आठ गुजरती हैं। डेढ़ बरस पहले वहां पर एक पुल की तामीर होनी शुरू हुई थी। उस पुल का कुछ साढ़े चार लाख रूप्ये का एस्टीमेट था। वह पुल पहले बनना शुरू हो गया था परन्तु बाद में बीच में ही छोड़ दिया गया। अब यह तो मुझे पता नहीं कि उसका ठेकेदार भाग गया या महकमें की कमी की वजह से वह नहीं बन रहा है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो काम पहले शुरू किया गया है उसको पहले पूरा किया जाये। इस पुल के न बनने से जनता की बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

चेयरमैन साहब हमारी सरकार ने एक योजना बनायी है कि ड्रेन्ज के पानी को नहरो में डाल कर रेतीले औ बरानी इलाकों को पानी दिया जाये। मेरे अपने हल्के में भी छोटी–छोटी ड्रेन्ज हैं। एक ड्रेन खरखौदा से पीपली तक है उस ड्रेन से पीपली गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन में हरि साल पानी भरा रहता हैं। इसलिए वहां से कोई ड्रेज निकाली ताकि उन पानी को ठीक जाये ढंग से यूटेलाइज किया जा सके।

जहां तक एनीमल हैसबेंडरी का ताल्लुक है हमारे हरियाणा में पशु पालन का पेशा हमेशा से रहा है। इसलिए गांव में पशुओं के हस्पताल होने बहुत जरूरी हैं। गांव में पशु बीमार होते हैं तो हास्पिटल न होने के कारण बड़ी दिक्कत आती है। अगर आजकल के जमाने में बीमारी से किसी का एक पशु मर जाये तो गरीब आदमी या जमींदार को दुबारा खरीदना मुश्किल हो जाता है। आजकल के जामने में एक पशु की कीमत कम से कम डेढ़–दो हजार रूपये से कम नहीं है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे इलाके के जो खरखौदा और भटगांव, बड़े–बड़े गांव हैं और जिनमें पाँच–पाँच हजार तो वोट हैं और 10–10 हजार की आबादी है, एक–एक वैटरनरी हास्पिटल जरूर बनाया जाये। वहाँ पर हर साल काफी नुक्सान इस हास्पिटलज के न होने के कारण होता है। इसके अलावा कुंडली गांव है, रोहट है, बहुत बड़े–बड़े गांव है, यहां भी बैटरनरी हास्पिटल खोले जाने चाहिएं।

खान्डा में और फरमाना में जो छोटे–छोटे हास्पिटल चल रहे हैं, उनको बड़ यिका जाना चाहिए।

इंडस्ट्रीज में भी हमारी स्टेट में काफी तरक्की हुई है। हसमें कोई शक नहीं है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरा इलाका जोकि दिल्ली से सिर्फ 6 मील के फासले पर है और बाड्र पर है, उस इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाये। वहां पर दिल्ली के नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा फैसिलीटीज मिल सकती हैं। वहाँ पर मार्किट भी अच्छी मिल सकती है। इसलिये मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम की जाये। यदि ऐसा किया जाये तो हरियाणा की हर इंडस्ट्रियल एस्टेट से ज्यादा, वहां पर इंडस्ट्रीज कायम हो सकती हैं। खरखौदा और दिल्ली बोर्डर के बीच 6 मील का एरिया पड़ है। वहाँ पर जमीन भी सस्ती है और सीधी सड़क भी जाती है। रेलवे स्टेशन भी पास–पास हैं। सोनीपता और साँपला का स्टेशल वहाँ से 10–11 मील है। मेरे विचार से इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं हो सकता। सरकार वहाँ पर सरवे कराये और इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम कराये तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं सरकार से एक बातत फिर प्रार्थना करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करवायी जाये।

ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि उसने जो सारी ट्रान्सपोर्ट अपने कब्जें में ली है और सरकार द्वारा सारी

बसिज चलायी जा रही हैं, यह एक बहुत बढ़िया कदम है। मैं आज से नहीं लगातार तीन साल से अपने हल्के के बारे में कहता आ रहा हूं। खरखौदा से दिल्ली के लिये दिन भर में केवल दो बसें चलती है। आप वहाँ कभी देखिये, लोग सुबह–सुबह ही अड्डे पर अपने सामान ओर बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं। उनके लिये वहाँ पर पीने के पानी का भी कोई इन्तजाम नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर आपको ज्यादा बसिज चलानी चाहिएं ताकि उनको वहाँ से जल्दी जाने–जाने की सुविधा मिल जाये और वे अपने घर जाकर विश्राम आदि कर सकें। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि खरखौदा से दिल्ली तक की बसों का जितनी जल्दी अरेंजमैंट हो सके, सरकार करने की कृपा करे। फरमाना से दिल्ली की सर्विस भी बहुत कम है। वहाँ पर कितने ही ऐस डेली पैसेन्जरज हैं जो कि दिल्ली में सर्विस करते हैं और रोजाना आ–जा सकते हैं। इससे स्टेट का रेवैन्यू भी बढ़ेगा। सोनीपत से लामपुर बोर्डर वाया खरखौदा और सोनीपत से बीदरान वाया ककरोई, खेड़ी के लिये भी मैं प्रार्थना करूंगा कि बसिज चलायी जायें।

एजुकेशन के बारे में मैं अर्ज करूं, मेरे हल्के में दो–तीन गाँव ऐसे हैं जहाँ पर मिडल स्कूलों की निहायत ही आवश्यकता है। तहसील सोनीपत मे ंसलामसर माजरा और ककरोई वगैरा में प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल तक अपग्रेड कर दिया जाये। इससे गाँव वालों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। स्कूलों की बिल्डिंगज के बारे में जैसे मैंने बताया कि खरखौदा के अलावा

ऐसे भी कई गांव है जिनमें बिल्डिंगें ही गिर चुकी हैं वहाँ पर कई स्कूलों की छतें गिर चुकी हैं और बच्चों के नीचे बदने का अन्देशा है। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इन स्कूलों की जल्दी से जल्दी मुरम्मत करवायेः गवर्नमैंट हाई स्कूल, खरखौदा, गवर्नमैंट हाई स्कूल, भदाना, गवर्नमैंट हाई स्कूल, नाहरी, गवर्नमैंट हाई स्कूल, भटगांव, गवर्नमैंट हाई स्कूल, गोरड़। ऐसा गांव भी मेरे इलाके में है, जहां पर कि लोगों ने 50 एकड़ जमीन अपनी तरु से सरकार को दी हुई है। एजुकेशन डिपार्टमैंट हर साल उसकी इन्कम ले जाता है और गांव वाले बेचारे देखते रह जाते हैं। अगर उनको मुरम्मत के लिये पैसा ही दे दिया जाये तो वह स्वयं मुरम्मत करवा सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इन स्कूलों की बिल्डिंगों की मुरम्मत अपने महकमें द्वारा ही करवा दें तेा बड़ी मेहरबानी होगी। सेहरी में गर्ल्ज स्कूल को दो साल पहले अपग्रेड किया गया था .....

श्री सभापतिः आप कितना समय और लेगे?

श्री केवर सिंह दहियाः 10 मिनट और लूंगा। सेहरी गांव का गर्ल्ज स्कूलल प्राईमरी से मिडल तक अपग्रेड किया गया था लेकिन अभी तक भी वहाँ पर स्टाफ नहीं पहुँचाया गया है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप वहाँ के लिये जल्दी से जल्दी स्टाफ भिजवा दें ताकि गाँव वाले उस अपग्रेउेशन का फायदा उइा सकें।

इसमें कोई शक नहीं कि हैल्थ डिपार्टमैंट ने बहुत काम किया है और बहुत से हास्पिटल डिस्पैंसरियां खोली हैं। मैडीकल कालेज रोहतक मे जो तरक्की हुई है, वह भी बहुत अच्छी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में खरखौदा गाँव जो कि अंग्रेजों के जमाने से बड़ा मशहूर है, और जिसकी पुरानी बिल्डिंग की एक ईट भी बाकी नहीं है, को जल्दी से जल्दी बनवा दें। भटगांव, भदाना, नाहरी और सिलाना गाँवों में भी हास्पिटल या डिस्पैसरियां खोली जायें क्योंकि इस गाँव वालों की तरफ से आपके पास कोई रिप्रेजैटेशन भी आ चुका है, इसलिये मैं हैल्थ डिपार्टमैंट से यह इल्तजा करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इस बात की तरफ ध्यान दे।

पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से वाटर वर्कस की दो–तीन स्कीमें मेरे हल्के के लिये मन्जूर हुई हैं। खरखौदे के लिये भी यह स्कीम मन्जूर हुई है। हैल्थ मिनिस्टर साहब इस बारे में फरमाना मे डिक्लेयर भी करके आये हैं। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इन स्कीमों पर काम शुरू करवायें।

हाउसिंग लोन के बारे मे मेरी यह प्रार्थना है कि गांवों मं यह लोन और ज्यादा दिये जायें सरकार ने एक मौडल विपेज स्कीम बनायी है और उसके अधीन 4–5 गाँवों को ही सिलैक्ट किया है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जब कभी भी इस तरह की कोई योजना बनायी जाये, बड़ी सूझ–बूझ से बनायी

जाये। यह योजना किसी ऐसे इलाके में नहीं बनानी चाहिए जैसे कि जमुना का एरिया है और जिसमें फ्लड आता रहता है। इस योजना को किसी आम रास्ते पर जी.टी. रोड या किसी ऐसी सड़क पर जहाँ पर कि लोगों का ज्यादा आना जाना हो, बनाना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसे देखकर उसका फायदा उठा सकें। यदि किसी गाँव की पंचायत के पास फंड हों तो उसे पहले मौडल विपेज बनाना चाहिए। अगर एक साल में बहुत कम मौडल विपेज बनाने की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सब लोगों की सन्तुष्टि हो सके। इससे हरेक इलाके में मौडल विपेज देखने को मिलेगा और दूसरे गाँव वालों को उत्साह मिलेगा कि वे भी अपने पैसे लगाकर इस तरह से मौडल विपेज बना सकें।

शैडयूल्ड कास्ट्स और बैकवड क्लासिज के लिये सरकार ने अपनी तरफ से जितनी सुविधायें दी जानी चाहिएं थीं, देने की कोशिश की है। उन्हें लोन भी दिय हैं, उनके स्कालरशिप्स भी बढ़ाये हैं और उन्हें दे भी रही है लेकिन मैं समझता हूं कि इस महंगाई के जमाने में और इस बढ़ती हुई आबादी के हालात को देखते हुए सरकार द्वारा जो कि रियायतें दी गयी हैं, थोड़ी हैं। मैं अपनी तरफ से सरकार को यह तजवीज करूंगा कि अगर सबके लिये ऐसा कर दें तब तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर सबके लिये नहीं तो खासतौर से हरिजनों में बाल्मीकियों और धनिकों के लिये कम से कम मिडल स्कूल तक, जैसे दिल्ली प्रान्त में है, जो बच्चे किताबें—कापियाँ और वर्दी आदि

का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको स्टेट की तरफ से फ्री दी जायें। यह सुविधा उनको अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें कोई लम्बी चौड़ी रकम का सवाल नहीं है। साल में सिर्फ एक बार उन्हें दो–तीन किताबें देनी होती हैं, दो–तीन वर्दियां, खाकी कमीज और नीकर ही, उसके लिये काफी हैं। हमने देखा है कि अगर बच्चों के पास नीकर है तो कमीज नहीं है और अगर कमीज है तो नीकर नहीं है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिनकी इन्कम अच्छी है, वह खुद ही यह चीजें नहीं लेगा, बाकी सब बच्चों को कम से कम मिडल तक फ्री किताबें कापियाँ और वर्दी दी जानी चाहिए।

लेन की एप्लीकेशन्ज के बारे में मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि लोन के लिये जो एप्लीकेशन्ज आती हैं, उनको सीरियल–वाईज लगाया जाये और एक–एक करके सह लोगों की टर्न आने पर लोन दिया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि उसमें आप सक्रूटीनी करो। जिनको जरूरत होती है, वही बेचारे लोन के लिये एप्लाई करते हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सब एप्लीकेन्टस को लोन दिया जाना चाहिएं

हरिजनों को जो 900 रूप्या की ग्रान्ट मकान के लिए दी जाती है मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि वह सबको मिलनी चाहिए। जितनी दरख्वास्तें आएं उन सभी को ग्रांट मिलनी चाहिएं जिनके पक्के मकान हैं, या जिसका एक कोठा भी पक्का है वह तो एप्लीकेशन देगा ही नहीं। दरख्वासत तो वही देगा जिसके

पास रहने के लिये कच्चा झोपड़ा भी नहीं है। दिल्ली प्रान्त में दस–पन्द्रह साल से यह स्कीम चली हुई है और वहां जितनी भी दरख्वास्तें आए उनकी सीरियल में लगा दिया जाए और सभी को ग्रान्ट दी जाए।

श्री सभापति: दिल्ली में तो 1500 रूपया दिया जाता है।

श्री कंवर सिंह दहिया: पहले तो नौ सौ रूपया देते थे अब 1500 कर दिए होंगें।

अब मैं एक्लाएमेंट की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पास कई हरिजन लउ़के आते है और कहते है कि उनको दस–दस साल हो गए हैं लेकिन उनका कोई प्रोमोशन नहीं किया गया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी चैकिंग करवाई जाए और जिनकी प्रोमोशन डयू है उनको प्रोमोशन दिलवाया जाए। हरिजनों में बहुत से लड़के हैं जो कि मैट्रिक पास हैं लेकिन उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे कुछ ही घर होंगे जिनको सौ, दो सौ और चार सौ रूपए महीने की आमदनी होगी लेकिन ज्यादातर घर ऐसे हैं जिनके यहां एक भी लड़का बरसरेरोजगार नहीं है और उनका कोई सोर्स आफ इन्कम भी नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि जो हरिजन लड़के मैंट्रिक पास है उनकी चैकिंग कराई जाए और उनको रोजगार दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और कहना चहता हूं कि यह बिली पास होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): चेयरमैन साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं तो इस पूरे सैशन में जो हमारे देश में इतनी बड़ी घटनी घटी है, उसके बारे में दो शब्द एप्रिसिएशन के भी नहीं कह सकी हूं।

श्री सभापति: चन्द्रावती जी आप बोलेंगी कितना?

श्रीमती चन्द्रावती: मुझे वैसे तो ब्रीफ बोलने की आदत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही खत्म करूं। मैं कुछ बातें अपने हल्के के बारे में कहूंगी। चेयरमैन साहब, यह एप्रोप्रिएशन बिल जो 3678674789 रूपए का है, मैं इसके हक में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं वित्तमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। यह ठीक बात है कि हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा डिवलेपेमेंट के काम हुए हैं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले यू.पी. विधान सभा की सुबारडिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के कुछ भाई आए थे, वे पूछते थे कि यह क्या राज है कि हरियाणा में इतनी तेजी से डिवैल्पमेंट हुआ है। यह ठीक है कि इस डिवैल्पमैंट का क्रेडिट कांग्रेस सरकार को जाता है लेकिन इसकी एक खास वजह यह भी है कि जिस तरह से दूसरे प्रान्तों की लीडरशिप टाउन डोमिनेटिड है, वह बात हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में एक–दो को छोड़कर ज्यादातर छोटे टाउन्ज हैं जिनका कि रूरल आउटलुक है। हमारे यहां रूरल बयास लीडरशिप में है और उसी के कारण ज्यादा डिवैल्पमेंट हुआ है और इसका क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है। मुझे इस बात की

बहुत खुशी है कि हमारे जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके बच्चों के लिए कैम्प मे एक स्कूल खोला गया। मैं इस बात पपर बधाई देना चाहती हूं कि सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है। मैं मजदूरी के बारे में कुछ और सुझाव भी देना चाहती हूं। हमारे जो मजदूर हैं उनको अगर सेविंग की आदत डलवा दे ंतो बहुत अच्छा रहे। होता यह है कि एक मजदूर दस दिन काम पर जाएगा और फिर दोड़कर आ जाएगा चाहे वहां काम कितना ही हो। जब तक वह पैसा जो उसने कमाया है, खत्म नहीं हो जाएगा वह काम पर नहीं जाएगा। कई बार मजदूरों के बीच में ठेकेदार आ जाते है। जैसे राजस्थान से कुछ मजदूर आते है तो ठेकेदार पहले से उनको पैसा देकर अपना बना लेते हैं और वे बेचारे कर्ज से दबे रहते हैं। मैं चाहती हूं कि उनके नोटिस में यह बात लाई जाए। आप अपनी गुड आफिसिज से, इंफलूएन्स से उन बेचारे मजदूरों को बचाए जिससे कि उनका डिवैल्पमेंट हो सके।

अब मैं सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहती हूं कि अगर शिक्षा के अन्दर आमूल परिवर्तन नहीं किया गया तो देहात में दस साल में मैट्रिक पास लड़के–लड़कियां नहीं मिलेंगी। हमारे टीचर्ज आज बहुत ज्यादा डिस्सेटिसफाईड हैं, बहुत असन्तुष्ट हैं। मेरा कहना यह है कि अगर एक आध टीचर की गलती है तो उसकी सजा सबको नहीं मिलनी चाहिएं सरकार का यह फर्ज बनता है कि उनके असंतोष को दूर करे। अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो मैं समझती हूं कि शिक्षा का बहुत

बुरा हाल होगा और जो आजकल गांवो की तरक्की हो रही है वह तरक्की बेकार हो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के बारे में हम गौर से देखें, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए भ्रसक प्रयत्न करें यह ठीक है कि जिन लोगों की इक्नामिक हालत अचछी है वे तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे अच्छे नहीं बन सकते, वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं इसलिये वे प्राईवेट स्कूलों में जाते हैं। तो कुछ भी कारण हो उनके वहां जाने का, हमें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलो का स्टेन्डर्ड उतना ही ऊंचा बनाएं जितना कि प्राईवेट स्कूलों का स्टेन्डर्ड है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जा सकें। आज एक क्लर्क को टीचर से कम पैसे मिलते हैं लेकिन समाज में क्लर्कका सोशल स्टेटस अच्छा है और एक पढ़ाने वाले शिक्षक का नहीं है। हमें चाहिए कि हम उनका सामाजिक स्तर ऊंचा करें। मैंने एक सुझाव पहले भी दिया था और आज फिर मैं उसी बात को दुहराना चाहती हूं कि जब हम यह कहे हैं कि आठवीं तक शिखा मुफ्त है तो इसका मतलब यह है कि आठवीं तक सारी स्टेशनरी मुफ्त दी जाए। अगर सब लोगों के बच्चों को नहीं दे सकते तो कम से कम शिक्षक के बच्चों को तो अवश्य मुफ्त दें।

चेयरमैन साहब, मैं कुछ बातें अपने हल्के के बारे में कहना चाहती हूं। जहां ओबरा जैसे बड़े–बड़े गांव है। वहां पर

हैल्थ सेन्टर और मवेशियों का हस्पताल होना जरूरी है। एक बस स्टैड भी वहां पर होना चाहिये, शेडज भी होने चाहियें क्योंकि हमेशा ही सैकड़ों सवारियां वहां पर बैठी रहती हैं। मै मानती हूं कि हमारी प्रधानमंत्री के नाम से मेरे हल्के में एक नहर गइ है लेकिन उस नहर पर कई जगहों पर पुल नहीं है जिससे लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता हैं इसके लिये मैंने पाठक साहब को भी ध्यान दिलाया था। मेरे हल्के में तो ज्यादातर ऊंट भी हैं, वे तो एक छोटे से नाले को भी नहीं लांघ सकते तो नहर को पार करना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल और असम्भव है। इसलिये मैं सरकार से यह दर्खास्त करूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को आने–जाने में कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। चेयरमैन साहब, आगे चलकर मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से डेयरीज वगैरह की भी बहुत आवश्यकता रहती है उसी तरह से पशुओं के हस्पतालों की भी बहुत आवश्यकता है। जहां तक इवाईयों का सम्बन्ध है, कुछ जगहों पर तो ये आऊट आफ डेट हो जाती हैं और कुद जगहों पर मिलती ही नहीं हैं। हमारे पशुपालन के वजीर साहब तो अभी यहां पर बैठे नहीं है तो मैं उनसे कहना चाहती थी कि कोई इस तरह का प्रबन्ध किया जाए कि जहां पर दवाईयां की जरूरत नहीं है, वहां पर इवाईयां न भेजी जाएं और जहां पर जरूरत है, वहां और ज्यादा भेजी जाएं। दूसरी बात मैं आपको हैल्थ के बारे में, मैडीकल के बारे में बताना चाहती हूं कि टी.बी. पेशेटस के लिये बहुत कम हस्पताल है। मेरा यह सरकार को सुझाव है कि हर हस्पताल में एक टी.बी. के

इलाज के लिये वार्ड होना चाहिये। वैसे तो आजकल यह टी.बी. की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रह गई है। लेकिन इसके बावजूदयह बीमारी छूत फैलाती है और जहां इस पर पहले कन्ट्रोल नहीं होता था आज इस पर काबू पा लिया गया है। चेयरमैन साहब, जो भाई फौज में भरती होते है, उनकी आंखों में ज्यादातर कुकरे हो जाते हैं। वह डिजीज तो है नहीं मगर आगे आकर बन जाती है। तो मेरा सरकार को यह सुझाव हैं कि इस तरह के अस्पताल जरूर होने चाहिये ताकि इस तरह की बीमारियों की रोकथाम हो सकें। वैदिक डाक्टर का नाम लेते हुए मुझे अफसोस होता है। डाक्टर तो कह देते हैं कि इन्जेक्शन नहीं लेना तो वे कहते हैं कि नहीं ले जो। इसी तरह से मेरे गांव में भी एक वैद्य हैं, जोकि बहुत शरीफ आदमी हैं, भले आदमी हैं, पर उन्हें आता–जाता कुछ नहीं। मैं सरकार से कहना चाहती थी कि अगर सरकार वैद्यों की डिस्पेन्सरी रखना चाहती है तेा सरकार को इसके लिये अगल डिपार्टमेंट रखना चाहिये जिससे लोगों को होम्योपेथिक का, एलोपेथिक का ज्ञान हो सके। आगे चलकर मैं आप से यह कहना चाहती थी कि सरकार ने विलेज बनाने के लिये और कन्टरी माडल पलेनिंग के लिये एक बोर्ड बनाया है और मिस्टर चक्रवर्ती उसके इन्चार्ज हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि गांवों 2 में और दूसरी जगहों पर जो गन्दगी होती है, वह न हो। मैंने एक बार गोहाना के लिये कहा था कि वहां पर बहुत गन्दगी होती है, उसकी तरफ तो सरकार ने ध्यान दे दिया और अब वाहं पर कोई ऐसी गन्दगी नहीं है। इसी

तरह से दादरी का भी हल्का है। अभी–अभी मुख्यमंत्री साहब वहां पर गये थे। वहां का थोड़ा सा रास्ता चौड़ा हुआ है, यह बड़ी खुशी की बात है चेयरमेन साहब, मैं गन्दगी के बारे जिक्र कर रही थी, मैंने अकसर देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी पब्लिक स्थानों को गन्दा करते हैं तो इस चीज के बारे मे ंजब तक हम स्कूलों में नहीं बतलाएंगे, शिक्षा नहीं देगे तब तक आम आदमी में इस सुधार की आदत नहीं आएगी। मैं तो यह कहती हूं कि यह आदत बचपन से ही सिखानी चाहिये। इस प्रकार सरकार को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिये। अगर इस ओर ध्यान न दिया जाए तो स्लम्ज हो जाते हैं। ठीक है जिस तरह से हमने इलैक्ट्रीसिटी और सड़कों के प्लान का, डिवैल्पमैंट का काम किया है, उसी तरह से हमको गांवों की गन्दगी को भी दूर करने के उपाय करने चाहियें।

श्री सभापति: आप कितना टाईम और लेंगी ओर मेम्बरों ने भी बोलना है।

श्रीमती चन्द्रावती: बस, मैं अभी दो मिनट में समाप्त करती हूं। चेयरमैन साहब मैं एक बात कहना चाह रही थी कि अभी–अभी जो भाई शहीद हुए हैं, उनके बारे में मैं फख्र से कह सकती हूं कि अगर हम इतिहास के पन्ने उलट कर देखें तो हम देखेंगे कि हिन्दुस्तान में वीरता की कमी नहीं है। कमी रही है तो लीडरशिप की, अब हमारी प्रधानमंत्री की लीडरशीप में हमारे जनरलों को इतिहास बनाने का मौका मिला। हमने देखा है कि हम वीरता में किसी से कम नहीं रहे है। मुझे यह कहते हुए गर्व

महसूस होता है कि मेरे हल्के में संडावा, भिवनोई, गरवा और करटीया बीमा आदि गांव में लोगों को वीरता के लिये पुरस्कार दिय गयें इसी तरह मेरे देहात में, मेरे गांव के एक आदमी उमेद सिंह को भी वीरचक्र मिला है। दादरी में, भी एक वीरचक्र ओर महावीर चक्र मिला है लेकिन मेरे गांव में जिस आदमी को वीरचक्र मिला है, मैंने वहां के एस.डी.ओ. को पूरा था, उसका नाम अभी तक उनके पास नहीं है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिस तरह से हमारे जवानों ने हौंसला दिखाया है, बहादुरी के साथ देश की शान के लिये लड़े हैं। उसी तरह से हमको चाहिये कि हम उनके परविार के लोगों की रखवाली करें। हमारे एक रिवाज था कि अगर कोई विधवा, या वार–हीरौ की विधवा की दूसरी शादी कर दी जाए तो उसे कभी भी वह दर्जा नहीं मिलता जो उसकी पहली वाईफ को होता है। इसक लिये मैं सरकार से कहूंगी कि इन विधवाओं को सरकार की तरफ से मदद दी जाए ताकि वे अपने आप पर निर्भर रह सके।

चेयरमैन साहब, एक और बात यह कहना चाहती हूं कि सरकार की जो एडवर्टिजमेंट की पालिसी है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि हरियाणा के अखबारों को बढ़ावा मिला है। दरअसल उनको मिलना भी चाहिये जोकि हमारे डिवेल्पमेंट के काम को लोगों तक पहुंचाते हैं लेकिन एक दो अखबार ऐसे भी हैं जो क्लेम तो बहुत करते हैं लेकिन न तो राइटिस्ट हैं न लेफटिस्ट हैं वे तो केवल इनटलक्चुअल

एक्स्पलायटरज हैं और उनकी एक दो कापियां बिकती हैं लेकिन उनको एडवर्टिजमैंटस मिलती है। मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि अगर कोई सही बात की बजाये गलत बात होती हो तो उसके ठीक तरह से देख लें।

मैं सिर्फ एक और बात कहूंगी। बडुआ मेरे हल्के का बहुत बड़ा गांव है और इसी तरह से सिवानी भी एक बड़ा गांव है। बडुआ में इतना बड़ा गावं होते हुए मैंने वहां न कोई डिसपैंसरी देखी है और न कोई डाक्टर। सिवानी का यह हाल है कि वहां कभी इवाईयां आजाती हैं कभी नहीं। हैल्थ मिनिस्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि इसकी तरु ध्यान दें। मलेरिया का जो हमारा स्टाफ है यह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने थोड़ी लापरवाही शुरू कर दी है। वे शायद यह समझते हैं कि अब मलेरिया खत्म हो गया है। मेरा अनुरोध है कि इस तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। यह बात तो ठीक है कि पिछली बार जैसे ही मैंने मिनिस्टर साहब के ध्यान में इस बात को लाया था वैसे ही मिनिस्टर साहब और डायरेक्टर साहब ने इस तरफ ध्यान दिया। मुझे आशा है कि इस रोग को खत्म करने के लिए सरकार ध्यान देगी। इतनी बात कहते हुए मै आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(इस समय श्री बनवारी राम बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति: पहले राव दलीप सिंह बोलेंगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रभु सिंह): चेयरमैन साहब, यदि एक लेडी मैम्बर को मौका मिलता है तो क्या एक हरिजन मैम्बर को मौका नहीं मिलेगा?

राव दलीप सिंह (कनीना): चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले उन शहीदों का जिक्र करूंगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपने खून का बलिदान दिया है और जिन शहीदों ने सरहदों की रक्षा करते हुए अपना पवित्र खून बहाया।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे शहीदों ने यह साबित कर दिया है कि पैटन टैक, सैवर जैट और एन्ट्रप्राइज जहाज में आज वह शक्ति नहीं है जो शक्ति भावनाओं मे है, जो शक्ति विचारों में है। मुझे सोलजर बोर्ड के दफतर से पता चला है कि अकेले महेन्द्रगढ जिले में 72 कैयुलटीज हुई हैं। जिला महेन्द्रगढ़ एक छोटा सा जिला है जिसमें आबादी के लिहाज से सब से ज्यादा कैयुलटीज हुई हैं। जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है सारे भारतवर्ष में महेन्द्रगढ़ ही एक ऐसा जिला है जहां के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। लेकिन जिला महेन्द्रगढ़ में डिवैल्पमेंट का जैसे काम हो रहा है उसे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं इस बजट को काला बजट कहूं तो गलत नहीं होगा।

आप देखेंगे रोड्ज के बारे में 16 करोउ़ 80 लाख रूप्ये खर्च किये जा रह है जबकि महेन्द्रगए में 40 लाख भी नहीं किये जा रहे हैं। हिसार में तीन करौड़ से ज्यादा और करनाल जिले में दो करोड़ से ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं लेकिन महेन्द्रगढ़ जिले में केवल 30 लाख रूपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो प्रोजैक्टस हैं जैसे मेजर इरीगेशन है और माइनर इरीगेशन है उसमें भी महेन्द्रगढ़ के लिये कोई खर्च नहीं किया जा रहा। ये सारी बातें राजनीतिक बदले की भावना पर आधारित हैं। जिस शहीदों ने हमारी सरहदों की रक्षा के लिये कुर्बानियां दी हैं ऐसे वक्त में अगर कोई सरकार या कोई अफसर उनके परिवारों के प्रति बदले की भावना रखता हो तो क्या उसे भारतीय नागरिक माना जा सकता है? जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर शहीदों के परिवारों के खिलाफ झूठे केस बनाये जा रहे हैं। 9 दिसम्बर को एक आदमी को टैलीग्राम आई कि उसके भाइ की देश की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अन्दाजा लगायें कि उनके परिवार को कितना धक्का पहुंचा होगा लेकिन उस परिवार को भी किसी झूठे केस में जेल में डाला गया। (आपोजीशन की तरफ से शेम, शेम की आवाजें) आज जिला महेन्द्रगढ़ के लोगों की बेइज्जती की जा रही है, उनके सर पर पत्थर की टोकरियां रखी जाती हैं, उनसे 14–14 घंटे काम लिया जाता है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि महेन्द्रगढ़ में एक एस.डी.ओं. हैं जो लोगों से ज्यादती करते हैं। मैंने इस बारे में गवर्नर साहब से भी कहा था। वहां 116 आदमी ऐसे हैं जिनकी कई–कई महीनों तक जमानतें

नहीं हुई, जेलों के अन्दर उनसे नाजायज काम लिया जा रहा है। वहां की सारी बार–एसोसियेशन ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वहां के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, इसको रोका जाये। इन हालात को देखते हुए आज यह आजादी बेमायनी है। (आपोजीशन की तरफ से शेम, शेम की आवाजें) तहसील महेन्द्रगढ़ में 227 आदमियों की जमानतें नहीं ली गई जबकि हरियाणा के और जिलों में आप देखेंगे कहीं पर ऐसे दो केस हैं कही चार केस हैं जिनकी जमानतें न ली गई हो। मुझे समय नहीं आती महेन्द्रगए जिले के साथ यह धक्का क्यों हो रहा है। जहां तक जेलों में काम करने का ताल्लुक है वहां महेन्द्रगढ़ सबसे आगे है, जहां कुर्बानी देने का ताल्लुक है वहां महेन्द्रगढ़ सबसे आगे है लेकिन बजट को देखें तो उसमें सबसे पीछे है। हरियाणा की आबादी 99 लाख है जिसमें 6 लाख 68 हजार महेन्द्रगढ़ जिले की है लेकिन इसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा देखते हुए कया आप इस बजट को समाजवादी कह सकते हैं? एक बैकवर्ड जिला जो हमेशा से कुचला जाता आया उसके लिये आज हमारा यह फर्ज बनता है कि उसके लिये हम डबल पैसा दें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के लिये तो यह एक काला एप्रोप्रिएशन बिल है, जी चाहता है कि इसको फाड़ कर फेंक दिया जाये।

महेन्द्रगढ़ में एक फैमिली प्लैनिंग का कैम्प लगाया गया और वहा 20/30 जीपें लाई गई। वहां ऐसे–ऐसे आदमियों के

आप्रेशन किये गये हैं जो 70/70, 80/80 वर्ष के है। एक बूढ़ा जो कि 80 वर्ष के करीब का था उससे मैंने पूछा कि आपने आप्रेशन क्यों करवाया है? उससे कहा मुझे अफसर ने कहा था कि तुम आप्रेशन करवा लो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा।

जो जवान शही हुआ उसकी बेवा के लिये इस सरकार ने क्या किया है? उसको पांच साल के बांड दे दिये जिनकी रकम उसे पांच साल के बाद मिलेगी। इस बारे में मैं खुद वहां के डी. सी. के पास गया था और पूछा था कि इस पांच साल के बांड को वह गरीब औरत क्या करेगी, उसको तो आज सहायता की जरूरत है। तो डी.सी. ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं हमारे पास तो गवर्नमैंट की ऐसी इंस्ट्रकशंज हैं। यहां पर जब चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा तो इन्हौंने बताया कि हम कैश देते हैं।

एक तरफ तो फैमिली प्लैनिग पर इतना खर्चा हो रहा है और दूसरी तरफ सरसों की फसल को बीमारी लगने से लोगों का करोड़ों रूपए का नुक्सान हो रहा है। उनको कोई सहूलत देने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे जिला महेन्द्रगढ़ में कोई बस स्टैड तो क्या कोई क्यू स्टैंड भी नहीं है जबकि दूसरी सब जगहों पर हरियाणा में 'ए' कलास के बस स्टैंड हैं। आप किसी भी स्कीम में देख सकते हैं महेन्द्रगढ़ को सब से पीछे रखा जाता है। मैं यह कहता हूं कि जब देश की सेवा के लिए आर्मी में हमस ब से ज्यादा कुरबानी करते हैं तो हमारे जिला को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ

कहना पड़ता है कि इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया दिया जाता बल्कि राजनैतिक बदले की भावना से हमरे इलाके को पीछे रखा जाता है और सब स्कीमें उसी ढंग से बनाई जाती हैं। टीचर्ज के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। टीचर्ज–नेशन बिलडर्ज होते हैं इसलिए उनके साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा अनएम्पलाएमैंट को दूर करने के लिए इस बजट में कोई गारन्टी नहीं दी गई है। आज जे.बी.टी. और बी.एड. करके पांच–पांच सालों से लोग घरों में बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्षा: राव साहब अब आप अपनी स्पीच बंद करें क्योंकि समय हो गया है।

राव दलीप सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है। बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): डिप्टी स्पीकर साहिबा सन् 1966 में हरियाणा का जन्म हुआ ओर सन् 1967 में हरियाणा में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद जो हकूमत हमारे हरियाणा में बनी .... (विघ्न)

Deputy Speaker: I would request the Hon. Member that he should not waste the time of the House.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा। जब आप चेयर पर होती हैं तो बार–बार यही बात कहती हैं।

Deputy Speaker: Now you are wasting the time of the House. Let the Hon. Member speak.

Sh. Satya Narain Singh: I want to raise a point of order .....

Deputy Speaker: I say, you cannot speak like that. What is your point of order?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है और आप इस बारे में पहले भी कई बार रूलिंग दे चुकी है कि जिस चीज पर बहस हो रही हो उसी पर ही बोला जा सकता है। अब इस वक्त एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है मगर वह हरियाणा की हिस्ट्री बता रहे हैं।

Deputy Speaker: It is for me to see whether he is relevant or not.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि सन् 1967 में हरियाणा के पहले इलैक्शन हुए और जो हरियाणा में उस वक्त हकूमत बनी उसका सब भाईयों को पता है कि वह किस तरह से बनी। मैं कहता हूं कि बुराई करने में भी हरियाणा सबसे अव्वल था और उस बुराई को दूर भी हरियाणा ने ही किया है। उस वक्त की हकूमत ने बूढ़े आदमियों की पैन्शन

बन्द कर दी और स्कूलों में फीसें लगा दीं। चो. चांद राम जी को भी पता है, वह भी उस वक्त मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी हरियाणा में शिक्षा के लिए स्कूल अपग्रेड हुए थे और वह जैसे हुए थे किसी भाई को भूले नहीं है। पता नहीं उनको आज अपनी बातें भूल गई हैं जो आज हाउस में बैठकर प्रचार करते हैं कि शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। मुझे याद है कि उन्होंने अपने वक्त में पैसे ले ले कर स्कूलों को अपग्रेड किया, कुछ तो सरकारी तौर पर पैसों की कण्डीशन रखी हुई थी और कुछ उन्होंने वैसे लिए थे। बहादूरगढ़ का बाई–इलैक्शन जब आया तो उस वक्त चौ. चांद राम जी ने भी कुछ स्कूल अपग्रेड करवाए थे और जो उनकी मिनिस्ट्री के बनने से पहले स्कूल अपग्रेड हुए थे उनको डाऊनग्रेड कर दिया गया था। उन लोगों ने जो हरिजनों को सहूलतें दी वह भी किसी से भूली हुई नहीं हैं। चौ. चांद राम जी उन्हीं बुराइयों को देखते हुए हकूमत को छोड़कर आ गए थे। चौ. हरद्वारी लाल जी ने तो कमाल ही कर दिया था। (विघ्न)

Sh. S.P. Jaiswal: Madam, is the Hon. Member speaking on the Appropriation Bill or on Ch. Chand Ram and Ch. Hardwari Lal?

Deputy Speaker: He is speaking on the Appropriation Bill. He is referring to someing.

Sh. S.P. Jaiswal: He is referring to Ch. Hardwari Lal and Ch. Chand Ram. This is nothing to do with the Appropriation Bill.

Deputy Speaker: I would request the hon. Member that he should speak on the Appropriation Bill.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: मैं सनृ 1967 के बजट को अब के बजट के साथ कम्पेयर कर रहा हूं।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा आप हमारी बात तो सुनती नहीं हैं वह क्या बोल रहे हैं?

Deputy Speaker: I would request the Hon. Member that they should not address the Chiar like this. After all there should be some decorum in the House.

चौ. दल सिंह: वह डैकोरम कैसा है? यह हमारा भी हक है, अगर कोई गलत बात करे तो हम चेयर के नोटिस में ला सकते हैं।

Deputy Speaker: I have to see whether the hon. Member is relevant or not. You please take your seat.

Ch. Dal Singh: If something wrong is being said or done then it is our duty to point it out to you.

Deputy Speaker: Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: भाई दलसिंह को पता नहीं है कि जिस वक्त गड़बड़ हो रही थी और आनन्द साहब की कोठी पर मीटिंग हो रही थी तो चौधरी साहब ने क्या अलफाज कहे थे। उस वक्त कुरप्शन बहुत चलती थी जो कि अब दूर कर दी गई है। सन् 1968 में जिस वक्त एक चुनाव हुए और हमारी हकूमत बनी उसने

जो जो काम किए वह हरियाणा की जनता से भूले हुये नहीं हैं। मैं यहां हाउस को बताना चाहूंगा कि उस वक्त कुछ भाई खादी बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए बड़े उतावले थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पांच तक पकड़े कि मुझे खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलता हुआ अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी चीजें किस तरीके से हुई हैं। आज हरियाणा में जब इतनी तरक्की हुई है, हर लिहाज में तरक्की ही तरक्की दिखाई देती है तो पता नहीं वह नुक्ताचीनी किस बिना पर करते हैं। आज हरियाणाा का कोई आदमी अगर बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाए तो लोग उसे मिल कर खुश होते हैं और हरियाणा की तरक्की की तारीफ करते हैं। मुझे को मालूम नहीं कि इतनी तरक्की होते हुए भी मेरे दोस्त कैसे नुक्ताचीनी करते हैं। उनको अपनी कारनामों को नुक्ताचीनी करते वक्त नहीं भूलना चाहिए। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए यह कहना चाहता हूं कि जबसे यह सरकार बनी है उस समय से हरियाणा ने जो तरक्की की है उतनी किसी ने नहीं की है और इसका सारे देश में चर्चा होता है।

उपाध्यक्षा: आपका टाइम हो गया है आप बैठ जायें। मैंने गिलोटिन एप्लाई करना है और मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है।

लोक कार्य मंत्री (श्री रणसिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस में एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने हुये मुझे खुशी है इस बात

की कि लगभग बहुत सारे मैंबर साहिबान ने इस वर्ष के बजट की सराहना की हैं। इसमें कोई शक की बात भी नहीं है कि हमारे प्रांत का जो इस साल का बजट है इससे अच्छा बजट और कोई हो नहीं सकता। बहुत सारे साथियों ने अपनी तकरीरों में सड़कों के निर्माण का जिक्रकरते हुये इस बात की बड़ी सराहना की कि हरियणा में सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसके साथ ही कुछ विरोधी दल के मैंबर साहबान ने कुछ गलत तरीके से सोचते हुये सड़कों के निर्माण के बारे मे अपने विचार प्रकट किये हैं। कइयों ने तो यह कहा कि सड़कों का निर्माण बाद मे मुकम्मल होता है लेकिन व टूटने पहले लग जाती हैं। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने इस किस्म की गलत बातें कही हैं। उन्हें सच को सच मामना चाहियें था और इतने तेज निर्माण की सराहना करनी चाहिये थी। हरियाणा में जिस तरह से सड़कें बन रही हैं और जितनी तेजी से बन रही हैं उससे ज्याद अच्छी सड़कें बन नहीं सकती और ही इससे अधिक तेज बन सकती हैं। सदन के माननीय सदसय चौ. दल सिंह जी वहां बैठे हैं। इन्होंने पिछले सैशन में जिक्र किया था कि सड़कें बनती बाद में हैं लेकिन टूटती पहले हैं। मैंने तब भी हाउस में कहा था कि आप मेहरबानी करके उन तमाम सड़कों की लिस्ट मुझे दें जो बनते समय ही या बनने से पहले ही जैसे कि वह कहते हैं टूट गई हैं लेकिन वह दे नहीं सके थे। एक दिन वह मेरे दफतर मं किसी काम के लिये और किसी के तबादले के सिलसिले में मुझसे मिलने आये थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि तबादले की बात बाद में करना पहले

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सड़कों की लिस्ट मुझे आप दें जो टूटती पहले हैं और बनती बाद में है। वह कहने लगे कि अब तो उनको याद नहीं है घर जाकर लिख कर भेज देंगे। वह यहां हाउस में बैठे हैं आप उनसे पूछ लें कि आजतक उन्होंने मुझे लिख कर नहीं भेजा है। चौ. चांद राम जी भी बैठे हैं इन्होंने भी यही बात कही थी और अब भी कह रहे थे कि सड़कें बनती बाद में हैं और टूटती पहले हैं। इस हाउस के एक और माननीय सदसय संत हरद्वारी लाल जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा आपकी मारफत सदन के किसी भी सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे बतायें कि कौन सी सड़कें हैं जहां पर घटिया काम हुआ है और टूटती पहे हैं और बनती बाद में हैं। आप जानते है कि मुख्यमंत्री जी बड़ी फाराख–दिली के साथ बार–बार इस सदन में कहते है कि जा भी अच्छा सुझाव आयेगा चाह विरोधी दल की तरु से आये या औरों की तरफ से आये उसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, मानेंगे और पूरा करेंगे। मैं भी कहता हूं कि आप बतायें कि कौन सी वे रोडज हैं जिन पर घटिया काम हो रहा है या हुआ है लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें करने से कोई ुायदा नहीं। मुझे अफसोस है कि कल चौ. चांद राम कह रहे थे कि बसंतपुर से खेड़ी लखासिंह रोड का निर्माण बंद कर दिया हैं। मुझे हैरानी है कि उनको इस बात का पता ही नहीं है हालांकि वह इनका अपना हल्का है। वह कह रहे थे कि कही से सड़क बन रही है ओर कही से बन्द हो रही हैं। मैं कहता हूं कि बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बसंतपुर से खेड़ी

लखासिंह रोड बन रही हैं। मुझे अफसोस है कि उन जैसे पुराने मैंबर जो कई सालों से आते रहे हैं कभी हारते भी रहे हैं और जीतते भी रहे हैं ऐसी गलत बात करें। उनको सच को सच कहना चाहिये और इस काम की सराहनी करनी चाहिये। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मजदूर को कम पैसे देते हैं। लेकिन वह अपने वक्त की बात को भूल गये जब औरत को पौने दो रूपये और आदमी को सवा दो रूपये मजदूरी देते थे। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के रिकार्ड मे यह बात है कि जब वह मंत्री होते थे तो ऐसा होता था लेकिन आज हरियाणा में किसी मजदूर को भी तीन रूप्ये से कम मजदूरी नहीं मिलती है। हरियाणा मिनिमम बेजिज ऐक्ट के अधीन किसी मजदूर को जो रोड पर काम करता है तीन रूपये से कम पेमैंट नहीं की जा सकती लेकिन यह तो पौने दो रूपये औरत को देते रहे है। हमने ता यह कर दिया है कि चाहे मर्द हो या औरत तीन रूपये से कम नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूं कि हम चार रूपये भी देते हैं साढ़े तीन रूप्ये और तीन रूपये भी देते है। लेकिन यह इस बात को देखकर दिये जाते है कि आउट पुट कितनी है। फिर भी तीन यप्ये से कम चाहे औरत हो या मर्द किसी को नहीं मिलते हैं। इनके वक्त से तो हमने मजदूरी दुगनी कर दी है। मैं हाउस का ज्यादा वक्त न लेता हुआ यह कहना चाहता हूं कि सड़कों का काम हरियाणा में निहायत तेजी के साथ और शानदार तरीके से हो रहा है और निहायत अचछी क्वालटी की सड़कें बन ही हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल जी की सरकार बनी थी उस वक्त हरियाणा के कुल 5650

किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कं थीं लेकिन आज यह माइलेज दुगनी हो गई है औ हरियाणा में इस वक्त आज तक 11 हजार किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। उस वक्त हरियाणा के कुल 1500 गावं पक्की सड़कों से जुडे हुए थे लेकिन आज तीन हजार से ज्यादा गांव है जो पक्की सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1973 की शाम तक कोई भी गांव हरियाणा प्रांत के अन्दर ऐसा नहीं होगा जो कच्ची सड़क पर होगा। (थम्पिंग) चांद राम जी ने एक बात यह भी कह दी कि सड़कों की मेनटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको मालूम ही है ओर सब जानते है कि न सिर्फ सड़कों के निर्माण का काम तेजी के साथ हो रहा है बल्कि जो पुरानी सड़कें हैं उनकी देखभाल और मेनटेनैंस का काम निहायत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। पटियाला से नरवाना सड़क और पटियाला से कैथल सड़क की हालत, यदि आप इन सड़कों पर सफर करके देख लें फिर आपको पता लग जायेगा कि पंजाब की रोडज का हाल कया है और हरियाणा की सड़कें कितनी शानदार हैं। पंजाब से हरियाणा की हद में आते ही पता चल जाता है कि यह हरियाणा की सड़क है क्यों कि गाड़ियों बड़ी स्मूथली बचली हैं और हिचकोले नहीं लगते हैं। उधर तो 20/25 मील से ज्यादा रफतार से गाडियां नहीं चल सकती हैं। महेन्द्रगढ़ में हुये एक ट्रक ऐक्सीडेंट का जिक्र उन्होंने किया था। वास्तव में ऐक्सीडेंट ड्राईवर की गलती की वजह से हुआ था। हमने इस बात की जांच कराई और यह मालूम होने पर कि ड्राइवर का कसूर था उसी दिन उसे

नौकरी से निकाल दिया। इन शब्दों के साथ मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुये हाउस की आश्वासन दिलाता हूं कि सड़कों के निर्माण का काम, पी.डब्ल्यू.डी. की दूसरी बिल्डिंगज के निर्माण काम और गोडाउनज के निर्माण का काम निहायत अच्छे ढंग के साथ हो रहा है और ऐसा अच्छा काम हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रान्त में नहीं हो रहा है।

चौ. दल सिंह: आन ए प्वायंट आफ परसनल एकसपलेनेश। वजीर साहब ने मेरा नाम लेकर दो तीन बातें कहीं और कहा कि मैंने उनको चिट्ठी लिखने के लिये कहा था। यह बात दुरूस्त है और मैंने बजट की डिसकशन के वक्त पर भी अर्ज कर दिया था और अब भी उनके नोटिस में ला देता हूं कि वे कौन सी सड़कें हैं और अगर उनको हरियाणा की जनता से हमदर्दी है तो वह उन सड़कों को देख लें। फिर इन्होंने कहा कि मैं इनके पास ट्रांसफर के लिये गया था। ट्रांसफर इन्होंने नहीं करी है बड़ी खुशी की बात है .....।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है यह तो स्पीच शुरू हो गई है।

चौ. दल सिंह: मैं दो तीन सड़कें बता देता हूं जहां सब–स्टैंडर्ड काम हुआ है। जुलाना से लजवाना, लजवाना से नन्दगए ओर उचाना से पाहलुआं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आप लिख कर दे दें।

चौ. दल सिंह: अच्छा जी, लिखकर दे दूंगा।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको याद होगा, जब आप चेयर पर बैठी थीं .....

उपाध्यक्षा: आप बैठ जाएं।

चौ. चांद राम: मैं भी दो मिनट में पर्शनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा: आप इसके बाद बोल लेना।

चौ. चांद राम: मैं इसलिए अब चाहता हूं ताकि यह मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के बाद जवाब दे दें। इन्होंने नाम लेकर कहा है .....

उपाध्यक्षा: आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन वाली बात तो नहीं।

चौ. चांद राम: इन्होंने कहा है कि एक मजदूर को पांच रूप्ये देते हैं और दूसरे को तीन रूपये देते है .....

उपाध्यक्षा: आप बैठ जाएं, अब वित्तमंत्री साहिबा बोलेंगी।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर काफी साथियों ने हिस्सा लिया और अपने–अपने विचार सदन के सामने रखें। 3 अरब, 67 करोड़ के लगभग डिमांड्ज की ऐप्रोप्रिशन सदन के सम्मुख विचाराधीन है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे यह कहने में खुशी होती है कि 1972–73 ाक साल हरियाण के प्रगतिशील इतिहास में बहुत ही प्रगतिशील वर्ष है क्योंकि सड़कों का निर्माण, सिचाई का पानी तथा पीने का पानी की योजनाएं अन्तिम चरण में पहुंचने वाली हैं। राव दलीप सिंह जी ने महेन्द्रगढ़ जिले के बारे में कहा कि वहां प्रगति के कार्य नहीं हो रहे। यह बात सही है कि हरियाणा की प्रति के लिए, सभी तब्कों के लिए कार्य किया है, चाहे जिला महेन्द्रगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे गुड़गांव जि का क्षेत्र हो, कोई भी बैकवर्ड क्षेत्र हो, उसकी प्रति के लिए हमने पर्याप्त सुविधाएं दी हैं और बैकवर्ड जगह की कमी को पूरा करने की चेष्टा की है। समय हो गया है, इसलिए मैं अपना स्थान लेती हूं।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will not take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Deputy Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved -

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB SUGRCANE (REGULATION OF PURHASE AND SUPPLY) HARYANA AMENDMENT BILL, 1972

Agriculture Minister (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to introduce the Punjab Sugrcane (Regulation of Purhase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1972.

I also beg to move –

Punjab Sugrcane (Regulation of Purhase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved -

That the Punjab Sugrcane (Regulation of Purhase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कंसीड्रेशन करने के लिए जो बिल हाउस के सामने इनट्रोड्यूस किया है उसके स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रोजन में लिखा है।

> "In the meeting of the Governors and the Chief Ministers with the Finance Minister of the Government of India, it was decided to raise additional money for the relief of Bangla Desh refugees by imposing nominal tax/duty/surcharge.
>
> It has, therefore been decided that in addition to the tax payable under section 17, there shall be paid by or on behalf or a sugr factory a surcharge at the rate of two percentum on the amount of such tax."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एंड रीजनज पढ़ने से पता चलता है कि 2 परसेट सरचार्ज फैक्ट्रीज पर लगाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बिल का बड़ा स्वागत करताहं अगर यह टैक्स सरमायेदारों, पूंजीपतियां और कारखानेदारो पर लगे। कहते तो यह बड़ी लुभावनी बातें हैं। कहते हैं पूंजीपतियों पर लगाएंगे लेकिन लगाते हैं उपभोक्ताओं पर। कंज्युमर्ज की कमर तोड़ी जाती है, उनके कन्धों पर ज्यादा से ज्याद बोझ डालने की कोशिश की जाती हैं। इसमें लिखा है कि 2 परसैंट टैक्स लगा रहे हैं और वह क्यों लागा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि बंगला देश से जो शरणार्थी आये हैं उन पर भारत सरकार का खर्चा हुआ है, उस खर्चे को मीट करने के लिए यह टैक्स लगा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा मैंने पहले कहा है, हमें प्रसन्नता होती अगर यह टैक्स पूंजीपतियों, कारखानदारों या सरमायेदारों पर लगता। जहां तक रिफयूजियों का ताल्लुक है, वे तो अपने घरों को जा रहे हैं। अब तक 25 लाख रिफयूजी वापिस जा चुके हैं और रोज तकरीबन अढ़ाई लाख लोग वापिस जा रहे हैं, जैसा कि अखबारों की रिपोट्र्स से पता चलता है। ये रोज तारीफ करते है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर हवाई जहाजों के जरिए, ट्रांस्पोर्ट के जरिए लोग वापिस भेजने शुरू कर दिए हैं। जब लोग अढ़ाई लाख की स्पीड से वापिस जार हे हैं तो एक महीन में 70 लाख के लगभग शरणार्थी अपने घरों को जा रहे हैं। आज 17 तारीख हो गई है, गवर्नर साहिब से बिल को असैंट मिलते–मिलते 18–19 तरीख हो जाएगी और इस महीने की

आखिरी तारीख तक लोग और कम हो जाएंगे। इसलिए इस टैक्स का कोई फायदा उन लोगों को नहीं होगा। यह तो इन्होंने अनावश्यक प्रयास किया है जो बिल हाउस में ले आए हैं।

इसके अतिरिक्त मैं चीनी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। जहां तक चीनी का प्रश्न है, जंग बन्द हो जाने के बाद चीनी सस्ती हो जानी चाहिए थी। गरीब आदमी विशेषकर चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको खाने के लिए फल नहीं मिलते। गुड, चीनी खाकर गुजारा करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता है कि हमें इस बिल के औब्जैक्टस के बारें में कुछ समझ नहीं आया। ये बे–मौसमी बिल क्यों ले आये हैं? मैं यह समझता हूं कि चीनी के बारे में सरकार बुरी तरह से फेल रही है क्योंकि ये चीनी के भाव कंट्रोल नहीं कर सकी, गरीब आदमी इतनी मंहगी चीनी खरीद नहीं सकता। नारा यह दिया जाता है कि गरीबी हटाएंगे और मंच पर खड़े होकर मगरमच्छ के के आंसू बहाये जाते हैं और कहते है कि हम गरीबों के गम में सूख रहे हैं। चौ. रणी सिंह जी ने कहा था कि 26 जनवरी तक हरियाणा की तमाम कच्ची सड़कें पक्की सड़को में कन्वर्ट हो जाएगी। चौ. रण सिंह का महकमा पी.डब्ल्यू.डी. का है और मुख्यमंत्री साहब को उनके लिए बड़ी हमदर्दी है इसलिए वह उनके लिए बड़े परेशान हैं। गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए जब ये विचार करते हैं तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर करते हैं। इतनी इनको हमदर्दी है! मैं डिप्टी

स्पीकर साहिबा, कहना चाहता हूं कि मास्टर बनाररसी दाद जी कोई मंत्री नहीं हैं परन्तु इनको मंत्रियों से ज्यादा सुविधाए प्राप्त हैं। घर में ही इन्होंने एयर कंडीशनर लगवा लिया है .....

श्री बनारसी दास गुप्ता: अगर न हुआ तो?

श्री मंगल सैन: कभी घर में तो आपने बुलाना नहीं। अगर नहीं होगा तो इंकार कर देना। (हंसी)

श्री बनारसी दास गुप्ता: डाक्टर साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं। मेरा घर रोहतक से सिर्फ तीस मील है।

श्री मंगल सैन: मास्टर जी, भिवानी का मैंने चप्पा–चप्पा देखा हुआ है। मैं कभी भी आ धमकूंगा, मेरा क्या है?

तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाह रहा था कि क्यों जनता को झांसा दिया करते हो? आज चीनी का भाव तीन सौ रूपये क्विंटल हो गया है। उसको ही कंट्रोल करने की कोई बात सदन में इन्होंने की होती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह इनके बस की बात नहीं है क्योंकि बड़े–बड़े पूंजीपति देश भर में इनके फाईनेन्सर हैं। आप कहेंगी कि मैं विधान सभा में क्या कह रहा हूं लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता (घंटी की आवाज) बहिन जी, आप घंटी बजाकर मुझे रोक नहीं सकती। यह फर्स्ट स्टेज है, जितना चाहूंगा मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्षा: हाउस में पांच बिल हैं। इस तरह से तो और टाईम बढ़ाना पड़ेगा।

श्री मंगल सैन: मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस कमेटी में मौजूद था। मैंने प्रौमिज किया है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्षा महोदया, मेरी प्रार्थना है कि कोई भी सम्मानित सदस्य यह नहीं कह सकता कि चेयर सर्वाधिकार सम्पन्न नहीं है। यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ..... (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्षा महोदया, आपके अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता लेकिन उन नियमों में हमें भी कुछ अधिकार हैं।

Deputy Speaker: If you are relevant then I can allow you. But you cannot say like this that I cannot stop you.

Sh. Mangal Sein: I am perfectly relevant. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा था कि मेरे मित्र भजन लाल जी ने यह जो बिल सदन में रखा है इसके बारे में ये यह भी बता दें कि इससे कितना लाभ इनको होने वाला है। अगर अनावश्यक बात हो तो क्या फायदा? आप बढ़ते हुए भाव को रोकते तो लोग समझते कि आप सचमुच समाजवाद में आशा करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल हमारे सम्मानित कृषि मंत्री जी ने सदन में इंट्रोड्यूज किया है यह बहुत साधारण सा बिल है। मैं नहीं समझता कि इस बिल के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी की आवश्यकता थी और डाक्टर साहब इतना लम्बा चौड़ा भाषण करते। चीनी की बात करते–करते डाक्टर साहब एकयर कंडीशन की बात पर पहुंच गए। इसमें मुझे रलेवैन्सी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन उपाध्यक्षा महोदया, मैं प्रार्थना करूं कि यह बिल बहुत साधारण सा है। यह बात डाक्टर साहब की ठीक है कि कोई भी टैक्स, कोई भी कर यदि लगता है तो वह अन्त में कंज्यूमर को उपभोक्ता को भरना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु यह अधिकार इतना साधारण है और एक बड़े नेक काम के लिए यह लग रहा है इसलिए इस पर हमें गिला नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि एक बड़ी भारी समस्या भारतवर्ष के सामने आई और इतनी भारी संख्या में शरणार्थी यहां आए जिसकी कोई मिसाल नहीं। यह ठठीक है कि वे अब जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद सबके सब अपने घरों में वापस चले जाएंगे लेकिन क्या उनके ऊपर, उनके बसाने में या दूसरी बातों पर जितना खर्च हुआ वह उनके जाते ही मेक–अप हो जाएगा? आज हालांकि लड़ाई खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी सुरक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है और लोग उदारता के साथ दे रहे हैं। तो मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए सदन के सम्मानित सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत साधारण सा बिल है, बहुत बड़े नेक काम के

लिए है, जितना खर्च इस प्रौबलम को मीट करने के लिए हुआ है उसमें इससे एक सहायत मिलेगी और तमाम स्टेटस के अन्दर ऐसा हुआ है। जैसे पिछले दिनों सदन ने सेल्ज टैक्स के ऊापर अतिरिक्त 2 परसैट टैक्स लगाया था इसी प्रकार से यह अधिभार भी पहले से लगे हुए टैक्स का 2 परसैट होगा। तो मैं चाहूंगा कि यह पास कर दिया जाए और इसके लिए सदन का अधिक समय खर्च न किया जाए।

उपाध्यक्षा: आनरेबल मैम्बर्ज को टाईम देने से पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि हाउस के सामने चार–पांच बिल हैं और बोलना भी बहुत से मैम्बर्ज चाहते हैं। चेयर का जहां तक ताल्लुक है वह तो जितने समय तक चाहो बैठ सकती है लेकिन आप अपनी कंबिनियन्स देख लीजिएगउ। अगर सभी बोलना चाहते हैं और समय भी पूरा लेना चाहते हैं तो समय बड़ा लें। .....

श्री मंगल सैन: मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी न करें आप 6 बजे हमसे पूछना।

उपाध्यक्षा: अभी पांच बिल है।

श्री मंगल सैन: वे छोटे–छोटे हैं।

उपाध्यक्षा: खैर, अब जो भी मैम्बर बोले वह तीन मिनट से ज्यादा न बोले।

चौ. चांद राम (बबैन, एस.सी.): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे एक आनरेबल मैम्बर श्री बनारसी दास गुप्ता ने अभी–अभी कहा कि यह बिल साधारण है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह देखने में ही साधारण है। साथ ही साथ उन्होंने यह बात भी मानी है कि प्रत्येक कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है और उपभोक्ता पर पड़ने से प्राइसिज बढ़ती हैं। आखिर उन्होंने यह बात मान ली। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिल के स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है:–

> ".... It has, therefore, been decided that in addition to the tax payable under section 17, there shall be paid by or on hehalf of a sugar factory a surcharge at the rate of two perecentum on the amount of such tax".

ठसका मतलब है कि शुगर फैक्टरी देगी। मैं तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन आदमियों में से हूं जो कीमतों को चैक करना चाहते हैं। कीमतों को बएने से रोकने का एक ही तरीका है कि जितनी कंज्यूमर गुडज इंडस्ट्रीज हैं, जो उपभोक्ता का माल पैदा करती हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। जब तक उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक प्राइसिज चैक नहीं हो सकती। कैपिटलिस्टिक इकौनोमी वाला कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कीमतें कम हों।

अमेरिका को ही देख लीजिएगा, वहां स्काई हाई प्राइसिज हैं। सरमायेदार सोसायटी में कीमतों पर कंट्रोल हो ही नहीं सकता।

श्री बनारसी दास गुप्ता: हमारे यहां तो तकरीबन राष्ट्रीयकरण है।

चौ. चांद राम: आपने तो मुझे याद दिला दी। आप तो कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी हैं। आप शायद बम्बई वाले इजलास में शामिल थे। वहां फैसला हुआ था कि शुगर केन की जितनी मिलें हैं उनका राष्ट्रीकरण किया जाए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे यहां स्टेट के अन्दर चीनी की तीन मिलें हैं। दो हमारी को–आप्रेटिव मिलें हैं जो फार आल प्रैक्टिकल परपजिज सरकारी मिलें ही हैं चाहे वहां मिस–मैनेजमैंट ही होता है। सहकारी मंत्री तो कहते हैं कि जबसे इन्होंने नामजद बोर्ड बनाया है तबसे ये बड़े फायदे में चली हैं। यह बात हमारे को–आप्रेटिव मिनिस्टर साहब ने मानी है। इसका मतलब तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह हुआ कि जब यह सरकार टूट जाएगी और ये मंत्री हट जाएंगे क्योंकि ये इलैक्टिक हैं तब सरकार भी उसी तरह से अच्छी चलेगी जिस तरह से म्यूनिसिपल कमेटी तोड़ने के बाद सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा काम करता है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन मिलों में अगर फायदा होता है तो उसका फायदा जनता को भी होता है। किसी एक आदमी की जेब मे वह पैसा नहीं जाएगा यदि डिविडैन्ड तक्सीम होगा और अगर फायदा न भी हो तो तब भी कोई बात नहीं। इस प्रदेश में एक ही मिल प्राईवेट सैक्टर में है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो जनरल सैक्रेटरी साहब को बड़ा समाजवादी समझा था और सोचता था कि बेचारे की चलती नहीं क्योंकि यहां एक आदमी की हकूमत है। आज तो यहां सारे हरियाणा में वन मैन रूल है। इन्होंने उस प्राईवेट मिल के मालिक को 6 साल क लिए कांग्रेस मैम्बर की हैसियत से राज्य सभा का मैम्बर बनाया। आज वह आल इंडिया शुगर सिंडिकेट का प्रधान है। शुगर की जो पालिसी है उसके कंट्रोल करन में उस आदमी का हाथ है। अब सुना जाता है कि उसके लड़के को जमुनानगर से कांग्रेस टिकट मिलेगा। इस बात का जनता में कड़ा रौला मच रहा है।

गृहमंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): कांग्रेस के टिकट के लिए तो बहुत लोग ऐप्लाई करेंगे, इसलिए इस तरह की बातें करने से क्या फायदा?

चौ. चान्द राम: आप तो नर्म से आदमी हैं, आपका मेरा क्या झगड़ा? झगड़ा होगा तो भी सोचेंगे जब मैदान गर्म होगा।

श्री के. एल. पोलवाल: मैं तो सलाद दे रहा हूं।

चौ. चांद राम: अमीर आदमी को यदि टिकट देते हो तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ा कयों मारेगा? डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो दो परसैन्ट लेना चाहते हैं इसकी बजाए इस मिल को नैशनलाइज कर दिया जाये तो अच्छा पैसा मिल सकता है।

आज यह सरकार कीमतों की बात करती हैं पहले सरकार मिलों से चालीस परसैन्अ चीनी लेती थी और अब 60 परसैन्ट लेनी शुरू कर दी है। जब से सरकार ने 60 परसैन्ट लेनी शुरू की है तभी से चीनी के भाव साढ़े तीन रूप्ये किलो का हो गया। पहले चीनी का भाव डेढ़ रूपये किलो था। जब इस चीनी पर कन्ट्रोल हुआ तो सरस्वती शूगर मिल में साढ़े पांच लाख बोरी चीनी जमा थी और वह चीनी उस टाइम की बनी हुई है जबकि जमीदारो से साढ़े सात रूप्ये क्विंटल के हिसाब से गन्ना लिया गया था। इस चीनी के बनाने मे जो भी मजदूरी वगैरा लगी थी वह भी दे दी गयी थी क्या यह जस्टीफिकेशन है कि उसी चीनी को साढ़े तीन रूपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। यह सारा रूपया किस की पाकेट में जायेगा? यह सारा रूपया एक व्यक्ति की जेब में जायेगा। अगर तीस रूपये फी बोरी के हिसाब से मुनाफा लगाया जाये तो भी एक करोड़ और 65 लाख रूप्ये बनता है।

अभी श्री बनारसी दास जी यह तो मान ही गये हैं कि वह दो परसैन्ट का जो टैक्स लग रहा है यह भी उपभोक्ता पर ही पड़ेगा (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई इररेलेवन्ट नहीं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्षा: मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप इररेलेवेन्ट बोल रहे हैं परन्तु आपको केवल तीन मिनट का टाईम दिया गया था, अब आपको छः मिनट हो गये हैं।

चौ. चांद राम: यदि मुझे बीच में दखल नहीं दिया जाता तो मैं तीन मिनट में ही अपनी स्पीच खत्म कर देता परन्तु कुछ ची में टोका–टाकी हो जाने के कारण ही कुछ अधिक समय लग गया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं इसी फेवर में था कि जल्दी से जल्दी ऐसे मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

एक मैंबर: अब भी तो आप कांग्रेस में आना चाहते हैं।

चौ. चांद राम: ऐसी बातें बीच में करने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अगले इलैक्शन में जीत कर आ जायें तो बड़ी अच्छी बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा जमना के परले तरफ यानी जमना के दूसरे किनारे से यू.पी. का एरिया शुरू हो जाता है। वहां मेरठ और सहारनपुर जिले में काफी शुगर मिल्ज हैं। उस इलाके में शूगर केनसैस तीन आने मन का है परन्तु हमारे यहां डेढ़ आने का मन है। इस बिल के अनदर डेढ़ करोड़ मन गन्ना पिलता है। इससे आप अन्दाजा लगायें कि यू.पी. के और हमारे सैस में कितना फर्क है। यह सैस सन् 1953 से चला आ रहा है यानी 18 साल से यही चला आ रहा है। इस प्रकार से यह मिल काफी मुनाफा कमा रहा है। इसलिए इस विषय में मुझे एतराज है और कांग्रेस पार्टी की पालिसी के खिलाफ भी है। अगर इस मिल का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो सरकार को काफी मुनाफा होगा ओर जो पैसा एक आदमी की जेब में जाता है वह सरकारी खजाने मे ंजायेगा। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस का

जो टैन प्वांयट प्रोग्राम है उसके मुताबिक सरस्वती शूगर मिल का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यह सरकार जब एक मिल मालिक को नाराज नहीं कर सकती है तो और इन्डस्ट्रीज को कैसे नैशनलाइज कर सकती है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस मिल का राष्ट्रीकरण किया जाये ओर आम जनता को फायदा पहुंचाया जाये।

(इस समय चौ. रणबीर सिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब आप दो–तीन मिनट ही बोलें।

चौ. रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया मैं कम से कम समय लेने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं आपसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि मैं इस विधेयक से बाहर नहीं जाऊंगा। यदि मैं विधेयक से बाहर नहीं जाता हूं तो मुझ पर तीन–चार मिनट वाली पाबन्दी नहीं लगनी चाहिए।

उपाध्यक्षा: वैसे तो आपका हक है। आप एक घंटा भी बाल सकते हैं परन्तु हाउस का टाईम भी तो देखना है।

चौ. रणबीर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा यह तो आपको मालूम ही है कि अगर समय बढ़ाने की जरूरत भी पड़े तो बढ़ाया जा सकता है। मैं पंजाब गन्ना (क्रय तथा प्रदान विनिमय) हरियाणा विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे कइ एक मानयोग दोस्तों ने उन बातों का भी जिक्र किया जो इस विधेयक में नहीं थी। इस विधेयक के अन्दर कर लगाने का मामला है और

वह कर भी उनके लिए जो बंगला देश के शरणार्थी भाई हिन्दुस्तान के अनदर पाकिस्तान के दरिन्दों के भगाये हुए हैं। इन शरणार्थियों ने हिन्दुसतान में शरण ली थी। उनके इंतजाम का भार हिन्दुस्तान की सरकार पर पड़ा इसलिए हमारे प्रदेश की भी कुछ जिम्मेदारी बढ़ी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारा प्रदेश तो वह प्रदेश है जिसने दूसरे के हितों के लिए कमी अपनी जान की परवाह नहीं की है। यह तो थोउ़े से पैसों का ही मामला है। हमारे प्रदेश के जवानों ने सारे हिन्दुस्तान में अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। हिन्दुस्तान की लड़ाई के इस इतिहास में एक ऐसा खुशकिस्मत बहादुर हमारे प्रदेश का है जो आज भी जीवित है, जिसको परमवीर चक्र मिला है। यह मेजर होशियार सिंह है। इसी प्रकार से और भी सैंकड़ों जवान हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे हालात पैदा किये है कि जो शरणार्थी भाई हमारे देश के अन्दर आये थे वे अपने घरों को वापिस जा सकें। इस करके लगाने पर हमारे प्रदेश के किसी भाई को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह एक मामूली सा कर है। अगर इस कर के देने में कोई मुश्किलात भी हों तो भी हमें दे देना चाहिए। जिस प्रदेश के लोग अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं उनके लिए यह पैसा तो बहुत छोटी सी चीज है। उपाध्यक्ष महोदया पाकिस्तान के फौजी हाकिमों ने बंगला देश के अन्दर कितने ही भाईयों को परेशान किया और बीस–तीस

लाख भाईयों को मौत के घाट उतार दिया। वहां के फौजियों ने हजारों बहनों की इज्जत लूटी। पाकिस्तान के फौजियों ने अपने देशवासियों के साथ जो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, बहुत भद्दा व्यवहार किया है। यह दुनियां के इतिहास में पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब आप बिल पर ही बोलें।

चौ. रणबीर सिंह: मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं शरणार्थियों के बारे में कह राह हूं। उपाध्यक्षा महोदया आप अगर यह चाहती हैं कि मैं कम से कम समय लूं तो आप बीच में न बोलें। बीच में बोलने से मेरा काफी समय चला जाता है। मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पाकिस्तान के फौजियों ने इतना घोर अन्याय किया है उनके मुकाबले में हमारे देश में जो बंगला देश के शरणार्थी आये हैं उनकी बड़ी से वा की है। उनको हमारे प्रति यह विश्वास भी रहेगा कि हमने उनके लिए कितनी भारी कुर्बानी की है।

अगर आज उन भाईयों के लिए पैसे की जरूरत है तो हम पैसा भी देंगे लेकिन हमारे देश के फौजियों ने जो कारनामें किये हैं और जिस ढंग से वे चले हैं वह दुनियां के इतिहास में निराला ही रहेगा। हमारे किसी भी फौजी जवान के खिलाफ या अफसर के खिलाफ बंगला देश के किसी भी निवासी को कोई गिला नहीं है। हमारे किसी जवान या अफसर ने उनकी इज्जत पर

हाथ नहीं उठाया और जिन पाकिस्तान के फौजियों ने हाथ उठाया था उनके हाथ काटे और इस बात क लिए भी मजबूर किया कि वे एक लाख के करीब फौज हथिहार डाले। अब उन शरणार्थी भाइयों को उनके घरों को वापिस भेजना भी शुरू कर दिया है। काफी बड़ी तादाद में चले गये हैं और कुछ चन्द महीनों में सभी चले जायेंगे। अगर कोई भाई इस कर के खिलाफ बात कहे तो अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा काम जब हमारे देश के लोगों ने किया और अब इस मामूली पैसों के लिए इनकार करें तो हमारे लिए शोभा की बात नहीं उपाध्यक्षा महोदया, जैसे चौ. चांद राम जी ने जिक्र किया कि शुगरफैक्टरी नैशनलाईज होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि वह नैशनलाईज होगी। वह तो पार्टी का फैसला है जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है। जब वह सारे हिन्दुस्तानी की शुगर फैक्ट्रीज पर लागू होगा तब यहाँ भी होगा। मैं चाहूं या न चाहूं, चौ. चांद राम जी चाहे या न चाहे, तब शूगर फैक्ट्री को नैशनलाईज होने से नहीं बचा सकते। ऐसा वक्त अवश्य आयेगा और वक्त से पहले कभी कोई चीज नहीं आती। वह वक्त आयेगा और उसके लिऐ हमें फिजा पैदा करना होगा। जहाँ तक चीनी के भाव बढ़ने का ताल्लुक है, मैं सरकर से यह कहूंगा कि उसे इसे कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चीनी का भाव आज काफी ऊंचा जा रहा हं उसको नीचे लाना होगा। पहले 40 प्रतिशत चीनी सरकार की मारफत बँटती थी लेकिन अब 60 प्रतिशत चीनी सरकार की मारफत बँटेगी। इस हालत में सरकार पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आती है। जहाँ सरकार लोगों से और टैक्स ले,

वहाँ खासतौर से चीनी के भाव का इंतजाम अच्छे ढंग से रखे और भाव को न बढ़ने दे ताकि देश की ओर शोभा बढ़ सके।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिली पर बोलते हुए डाक्टर मंगल सैन और चौ. चांद राम जी ने बड़े जोशीले लैक्चर दिये। अपोजीशन के पास सिवाय नुक्ताचीनी करने के और गलत बातें कहने के और कोई काम नहीं है।

श्री मंगल सैन: कया गलत कहा है?

श्री भजन लाल: डाक्टर साहब गलत यह है कि या तो इस बिल को आपने पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है तो इसे समझने की कोशिश नहीं की है। इस बिल की मंशा सिर्फ एक ही है कि इसके द्वारा बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों की सहायता के लिये टैक्स लगाया जा रहा है। यह टैक्स किसान पर या आम आदमी पर नहीं लगेगा बल्कि यह टैक्स परचेज टैक्स पर लगेगा। परचेज टैक्स का मतलब यह है कि खरीददार पर। जो माल खरीदता है उस पर यह टैक्स लगेगा। किसी किसान पर इस टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। पहले आपको इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद लैक्चर भाड़ना चाहिए था।

Deputy Speaker: The Hon. Minister should address the Chair and not Members.

श्री भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहने जा रहा था कि इस बिल का मंशा किसी किसान पर टैक्स लगाने का

नहीं है। जैसे पहले फैक्ट्री ओनर यदि 50 पैसे परचेज टैक्स देता था तो अब उसे एक पैसा और टैक्स देना पड़ेगा। यह टैक्स तो एक अच्छे काज के लिए लगा रहे है इसलिए इनको चाहिए था कि इसको सपोर्ट करते रहे लेकिन इन्होंने सपोर्ट करने के बजाये इसकी मुखालफत की है।

इसके साथ ही साथ चीनी के भाव की बात का जिक्र किया गया कि चीनी के भाव बहुत बढ़ गए है। चीनी के भाव के बारे में मैं बताऊ कि सरकार के द्वारा हर एक गांव डिपों खोले गए है जहां पर चीनी का रेट दो रूप्ये किलो है। स्टेट में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर सरकार ने चीनी का डिप्पों नहीं खोला हो।

चौ. चांद राम जी ने एक बात और बड़े जोर से कही कि शूगर मिलो का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जिस मिल की यह बात कर रहे हैं वह पिछले कई सालो से प्राईवेट मिल के तौर पर चली आ रही है। आज से नहीं पिछले बीस साल से यह आनरेबल मैंबर भी हाउस के अन्दर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे है और मिनिस्टर भी रहे है। यही नहीं यह महकमा भी इनके पास रहा है। अब इनका राष्ट्रीयकरण करने का समय था। उस वक्त तो ये सो रहे थे और अब उसके बारे में लम्बी चौडी बातें करते है। हमारे प्रान्त में तीन शूगर मिले है। जिनमें से दो सरकार की है और एक प्राईवेट है। प्राईवेट मिल का काम बड़ा संतोषजनक है।

इसके अलावा सरकार ने किसान के गन्ने का भाव 11 रूपये क्विंटल कर दिया है सारे हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश को छोड़कर और कही भी गन्ने का यह भाव नहीं है। बाकि सब जगह गन्ने का भाव इससे बहुत थोडा है। केवल हरियाणा और मध्यप्रदेश में ही गन्ने का भाव 11 रूपये क्विंटल है। सारे हिन्दुस्तान में केवल स्टेटें हरियाणा और मध्यप्रदेश ही ऐसी है जिन्होंने की गन्ने का भाव किसान और मिल के हित में 11 रूपये क्विंटल किया है।

मैं हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दें। धन्यवाद।

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab sugarcane (Reggulation of Purchae and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will not take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

The Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Sh. Bhajan Lal): Madam, I beg to move –

That the Punjab sugarcane (Reggulation of Purchae and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab sugarcane (Reggulation of Purchae and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab sugarcane (Reggulation of Purchae and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

THE HARYANA OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT)

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 1972.

I beg to move –

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 1972 Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 1972 Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 1972 Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Clause 2

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): मैडम, इसमें एक टाइपिग की गलती हैं आफ्टर सैक्शन 4, इसमें 'ए' कैपिटल लिखा हुआ है जबकि यह छोटा होना चाहिए।

उपाध्यक्षा: यह ठीक हो जायेगा।

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

The Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to move –

That the Haryana Official Language (Amendment), Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Official Language (Amendment), Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Official Language (Amendment), Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MAKETS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1972

Agriculture Minister (Sh. Bhajan Lal): Madam, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) bill, 1972.

I also beg to move –

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will not take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

The Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Sh. Bhajan Lal): Madam, I beg to to move –

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved -

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB TOWN IMPROVEMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1972

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed): Madam, I beg to introduce the Punjab Town Improvemet (Haryana Amendment) Bill, 1972.

Madam, I also beg to move –

That the Punjab Town Improvemet (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved -

That the Punjab Town Improvemet (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

EXTENTIONS OF TIME OF THE SITTING

Deputy Speaker: I extend the time of the House by one hour. I hope, the House will agree to i.

Voice: Yes.

THE PUNJAB TOWN IMPROVEMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1972 (RESUMPTION OF DISUSSION)

श्री मंगल सैन (रोहतक): लोकल बाडीज मिनिस्टर साहब ने यह पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल इन्ट्रोड्यूज किया है और उसे कन्सिड्रेशन के लिए भी मूव किया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो आब्जैक्ट है वह यह है कि म्युनिसिपल कमेटी की लिमिटस में कुछ इलाके ऐसे हैं जोकि स्लम एरिया है या प्रापरली डिवैल्प नहीं हो सकते, जिसका विकास नहीं हो सकता तथा नगरपालिका उसकी सम्भाल नहीं सकती, उन इलाकों को सशक्त करने के लिए, स्ट्रेग्थन करने के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्राविधान में लाया गया और उपाध्यक्ष महोदया, यह इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट एक अच्छे काम के लिए हुआ करते थे। इस ट्रस्टों के चेयरमैन ऐसे आदमी हुआ करते थे जोकि रिटायर्ड इंजीनियर होते थे या इस किस्म के व्यक्ति होते थे जो इन प्रोबलम्ज का समझते थे और उनको हल करने में सक्षम होते थे। लेकिन राजनीति ने ज्यों–ज्यों अपना स्वरूप बिगाड़ना शुरू किया, पंजाब और हरियाणा ज्यों–ज्यों गंदले होने शुरू हुए, त्यों–त्यों इन इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों को पोलिटिकल ब्राईबरी का रूप दे दिया गया। जो पोलिटीकली असंतुष्ट होते थे, जिनको शासन में हिस्सा नहीं मिल पाता था, और आनन्द नहीं लूट सकते थे, मिनिस्टर नहीं बन सकते थे जिनको यह कह दिया जाता था कि कैबीनिट का साइज बढ़ जाएगा, जनता में आलोचना बए जाएगी तो ऐसे लोगों को ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया जाता था। मुझे याद है आप भी पंजाब में अपर हाउस की डिप्टी चेयरमैन थीं और तब से मैं देख रहा हूं कि आप डिप्टी ही चली आ रही हैं। हम तो

चाहते हैं कि भगवान करे स्पीकर साहब किसी जगह पर चले जाएं और आप स्पीकर बनें।

उपाध्यक्षाः मैं चेयरमैन भी रही हूं।

श्री मंगल सैनः आप तभी बनी होगी जब कोई चेयरमैन मिनिस्टर बन गया होगा। हां मुझे याद आ गया आप उस वक्त चेयरमैन बनी थीं जबकि सरकार कपूर सिंह मिनिस्टर बन गए थे। आप उस समय डिप्टी चेयरमैन थी। डिप्टी स्पीकर साहिबा क्या करें, डालडा का जमाना है याददाश्त कमजोर हो जाती है। उस समय भी इस चीज का विरोध होता था और उस विरोध के परिणामस्वरूप, अब तो वह मनमानी करने वाला व्यक्ति जिनका नाम सरदार प्रताप सिंह कैरों था, जिसे दास कमीशन की वजह से मजबूर होकर हटना पड़ा था, इस संसार में नहीं रहा, उनके पीछे से मैं कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति यह सिखाती है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी चचा नहीं करनी चाहिए उसके गुणों का अवश्य याद करना चाहिएं प्रताप सिंह कैरों के बाद कामरेड रामकिशन चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने जो पोलिटीकल फिगर्ज थी उनको हटा दिया। उपाध्यक्ष महोदया, हमने भी 1967 में, जिसे श्री बनारसी दास गुपता काला समय कहते हैं, पता नहीं क्यों काला समय कहते हैं। मेरा रंग काला है इस कारण से वह काला समय कहते हैं लेकिन उनका रंग भी तो काला है, मेरे रंग और उनके रंग में कोई फर्क तो है नहीं फिर भी वह अपने समय को काला नहीं कहते।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): डाक्टर साहब, चौ. रणबीर सिंह आज काला कोट पहन कर आए हैं अब और कुद मत कहना।

श्री मंगल सैनः वह तो हाउस में काला कोट पहनकर आए हैं लेकिन आप तो काला कोट पहल कर भिवानी जाया करना (व्यवधान)। डिप्टी स्पीकर महोदया, इन इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों का जो असली परपज था वह तो इन्होंने उनमें राजनीति घुसेड़कर समाप्त कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने ऐसे आदमियों को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया हुआ है जिन्हें इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के स्पैलिंग तक नहीं आती। मेरे ऐसे दोस्त चेयरमैन बने हुए हैं जो जनता के नुमाइंदे हैं। इन्होंने एम.एल.एज. का इन ट्रस्टों का चेयरमैन बनाया हुआ है। यह लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं लेकिन पूंजीपतियों को चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान कराते हैं। बंसी लाल जी ने तो नामिनेशन का हर जगह काम शुरूकर दिया है। कहीं मार्किटिंग बोर्ड में नामिनेशन करते हैं कही किसी और बोर्ड में नामिनेशन करते हैं। मेरे को भी कहा कि रोहतक के मार्किटिंग बोर्ड में एक–आध मैम्बर आपका भी ले लेंगे लेकिन बाद में कहा कि मजबूर हैं, नहीं ले सकतें डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको अगर कुर्सी न मिले तो नींद नहीं आएगी। यह कहते हैं कि अगर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कोई स्कीम बनाकर भेजे तो गवर्नमैंट को पहले पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उसे ड्राप करने का अधिकार नहीं था, उसको आलटर नहीं कर सकती थीं लेकिन यह अधिकार अब ये ले रहे

हैं। इसलिए अब मैं इनसे एक ही अश्योरेंस चाहता हूं कि इसकी आड़ में यह किसी की पोलिटीकल विकटीमाईजेशन नहीं करेंगे कि फलां का मकान किसी स्कीम में आता है तो उसको गिरा दो यह नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं बंसी लाल जी अपनी तबीयत के मालिक हैं, दिलदारा हैं। मौज आए तो चाहे कोई हाथी निगल जाए लेकिन जिससे थोड़ा सा भी नाराज हुए उसकी खैर नहीं। अभी ये सिरसा गए थे वहां पर किसी ने शिकायत कर दी कि फलां स्कूल पर जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। बस फिर क्या था आपे से बाहर हो गए। खूब नाराज हुए। यह कर दो वह कर दो, जेल भेज दो। तो मैं बंसी लाल जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इस अधिकार का मिसयूज नहीं करेंगे।

श्री बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, डाक्टर साहब ने सिरसा की कोई चर्चा की उसके बारे में मुझे तो पता नहीं और न मेरे नोटिस में कोई बात है लेकिन जहां तक ये आश्वासन चाहते है। मैं आपकी मारफत सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस पावर का इन अख्तियारात का कोई मिसयूज नहीं करेगी।

चौ. दल सिंह (जुलाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा एमैंडमैंट) बिल 1972 में संशोधन करने के लिए यह बिल पेश किया गया है जहाँ तक मैं समझता हूं इस बिल का मुद्दा यह है कि गवर्नमैंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि जिसके जरिये वह किसी स्कीम को रिजैक्ट कर

सकती हो या उसमें कोई संशोधन ला सकती हो। लेकिन अब इस बिल के जरिये वह पावर अपने हाथ में लेने जा रही है। जिसके जरिये वह किसी स्कीम को रिजैक्ट कर सकेंगी और उसमें संशोधन कर सकेगी। तो मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यह जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बने है यह वाकई कुरप्सन की जीती जागती मिशाल है। आप यह जानकर हैरान होगे कि यह ट्रस्ट पोलिटिकल बेसिज पर बनाए गए है। जींद के अन्दर एक सवा साल से एक इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट बना हुआ है और उसका जो चेयरमैन है वह कमेटी का भी चेयरमैन है काम तो इनका कोई होता नहीं। ओवरसीयर को साथ लिया कहीं डोला नाप लिया, कही पर फीता लगा दिया। बस यही इनका काम है। शाम को चक्कर लगा आए। सौदे बाजी कर ली और अपनी जेबे पैसों से भर ली, सिवाये इन बातों के इनको और कोई काम ही नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने तो अधेरगर्दी मचा रखी है, जिसकी जमीन चाही, एक्वायर कर ली या सौदेबाजी कर ली। तो होता क्या है कि जमीन छुडवाने के लिये पहले वहां भेंट करो और फिर यहां करो। इसलिये यह जो इस बिल में आश्वासन दिया है। परमात्मा करे उनकी वृद्धि ऐसी ही रहें। हमें कोई एतराज नहीं। मैं यह कहता हूं कि इस हाउस में इस तरह के आश्वासन तो बार–बार दिये जाते हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं इसके साथ ही इस बिल की पुरजोर मुखलिफत करता हूं।

Shri S.P. Jaiswal (Karnal): Madam Deputy Speaker, I rise to support the Punjab Town Improvement (Haryana

Amendment) Bill, 1972. The object of the Bill is good but I wish the Hon. Minister would stretch his power a little further and instead of wanting only to cancel or suspend some fo the schemes put forward by the Improvement Trusts he should exercise the power of abolishing Improvement Trusts altogether. Madam, the Improvement Trusts are in direct conflict with the local Municipal Committees and if you go to the towns a few towns, we have in Haryana you will se the havoc played by the Improvement Trusts in the towns. Madam, if you go the the foreign countries, ou will find that in every countryc even in a country like Russia, they maintain their old traditional structure of towns at at the expence of the State. But the effort here seems to be to demolish all the old structures and in their place bring out new ugly straight-line structures. Madam, the Municipal Committees have their own bye-laws by which they can highly improve the towns and the Improvement Trusts are really not necessary to function within the area of the Municipal Committees. This is over-lapping. Eitherr they should abolish the Municipal Committees or if the Municipal Committees are to exist then these Improvement Trusts must go, in any case, atleast from the area of Municipal Committees. I would request my Hon. Friend the Minister for Local Bodies to consider this.

I would draw the attention of the Hon. Minister to one more fact.

Haryana was formerd in the year1966. It is now 1972 and even after six years it is still the Punjab Town Improvement Act with which we are dealing. It is high time to convert it into Haryana Town Improvement Act.

Madam, with all emphasis at my command I would request the Hon. Minister to give consideration to my suggestion, namely, either the Improvement Trusts which are also a seat of extreme corruption, should be abolished altogether or in any case, their jurisdiction should be taken away from the Municipal Committee areas so that these two do not inter-lap.

चौ. जय सिंह राठी (नौलत्था): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का बिल हमारे सामने आया है। इस पर आप अगर लिबरली ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इसके मायने यह हैं कि जिनको हमने यह पावर दी है उन पर हम ट्रस्ट करें और कहें कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप जरूर इम्प्रूवमैंट तो कहीं पर हो नहीं रही है सिर्फ ट्रस्ट ही ट्रस्ट दिखाया जा रहा है और वह भी सरकार को दिखाया जा रहा है कि हम आपके ट्रस्ट पर पूरा उतर रहे हैं। हर आदमी की कोई न कोई ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ काम करूं। इस बिल में सरकार ने थोड़ी सी गल्ती की है तो यह शोभा की बात नहीं है मैंने आगे भी एक बार कहा था कि जो एम. एल.ए. चुनकर आते हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिये क्योंकि होता यह है कि कभी वे एस.डी.ओ. को सलामी दें, कभी डी.सी. साहब को सलामी दें, तो यह कोई शोभा की बात नहीं है। फिर एक एम.एल.ए. समझता है कि मैं ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, डी.सी कौन होता है मेरे काम में दखल देने वाला, और उधर डी.सी. साहब समझते हैं कि एम.एल.ए. मेरे काम में दखल देने वाला कौन होता है इस तरह से आपस में रिलेशन्ज

खराब हो जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इस पर गौर करेगी कि वह सिकी भी एम.एल.ए. को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं बनायेगी और किसी ऐसे भले आदमी को, शरीफ आदमी को, इम्प्रूवमैट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाए जोकि इसके बारे में कुछ जानकारी रखता हो। हर आदमी कुछ न कुछ ख्वाहिश करता है। चीफ मिनिस्टर की भी ख्वाहिश होती है, एक तो लोगों को तंग करने की और दूसरा पैसा कमाने की। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नहीं समझ सका कि सरकार अच्छे लायक आदमियों को इम्प्रूवमैट ट्रस्टों के चेयरमैन क्यों नहीं बनाती। मैं भी इसके बारे में कोई इतना ज्ञान नहीं रखता। पर जहां पर भी मैं देख रहा हूं जितने अन–क्वालीफाईड लोग हैं, जिनको इस काम का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, वे चेयरमैन बना रखे हैं। अभी मैं और कुछ दूसरे मैम्बर साहिबान बारह चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे और उन्हें यह कह रहे थे कि आप चौ. रणबीर सिंह, जोकि बड़े पुराने पार्लियामैन्टेरियन हैं, बउ़े काबिल आदमी है, उनका आप कोई फायदा नहीं उठा रहे है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी तवज्जुह का मोहताज खड़ा हूं। इन्होंने कहा कि आपका मतलब है कि उनको वजीर बना लूं। मैंने कहा मेरा मतलब यह नहीं है। फिर यह कहने लगे कि अगर मैं अक्लमंद आदमियों को वजीर बनाता तो मुझे चीफ मिनिस्टर कौन रहने देता? (हंसी)

अब मैं अपने पानीपत के इम्प्रूवमैट ट्रस्ट के चेयरमैन की बात बताता हूं। कुछ लोग पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट

लिखवाने गये लेकिन रिपोर्ट लिखी नहीं गई। वहां पर जिसे यह इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कहते हैं वह इम्प्रूवमैट ट्रस्ट तो है नहीं वहां तो सरकारी ट्रस्ट है। जहां भी कुछ करने के लिये जमीनें ली जाती हैं उसमें भी हेराफेरी होती है फिर आगे जो कुछ उन जमीनों में बनना होता है उसमें भी हेराफेरी होती है। यह तो हालात चल रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब गये थे वहां .....

एक आवाज: आपको भी तो बताया होगा कि मैं आ रहा हूं प्रोग्राम आया होगा?

चौ. जय सिंह राठी: नहीं जी मेरी यह खुशकिस्मती कहां कि मुझे ये बतायें कि मैं आ रहा हूं। जिस साइट पर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट वालों ने कोई स्कीम बनानी थी ये उस साइट पर गये। वह साइट कुछ लोगों की मुशतरका जमीन है उसको आप तब तक नहीं ले सकते जब तक उसकी डिवीजन न हो जाये। आपको पता है कि इसके पीछे भेद क्या है? भेद यह है कि चन्द आदमियों ने यह वतीरा बनाया हुआ है, इधर के पैसे उस जेब में, आ जाते हैं और उधर के पैसे इस जेब में आ जाते हैं (शोर) (श्री बनारसी दास गुप्ता की तरफ से विघ्न) आप बैठे हैं मुझे तो सिर्फ टोपी ही नजर आ रही थी जिनकी मेरे से ज्यादा पक्का रग हैं।

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रभु सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये किसी बिल पर बोल रहें हैं या कोई भाषण दे रहे हैं?

चौ. जय सिंह राठी: अब बताओ हम क्या कर सकते है? इनको यह भी नहीं पता कि मैं किस बिल पर बोल रहा हूं? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ यही एक अर्ज करूंगा कि किसी भी ट्रस्ट के चेयरमैन या मैंबर अप्वांयट करने से पहले सरकार को यह देखना चाहिये कि वह किस किस्म का आदमी है कहीं उसकी ख्वाहिश दूसरों की हैरासमैंट करने और पैसा कमाने की तो नहीं है। अगर कोई पहले से ऐसा चेयरमैन है तो मैं कहूंगा कि उसको हटाओ। सरकार अगर कही पर कोई खर्च करती है तो वह उसके बाप–दादा का पैसा नहीं यह तो जनता का पैसा है, जनता का पैसा खर्च करके सरकार किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा अन्त में मैं फिर यही बात कहूंगा कि जनता के खून पसीने की कमाई का दुरूपयोग न किया जाये और अगर कोई आदमी करता हो तो उसे आगे न आने दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे कुछ साथियों ने इस बिल के बारे में बोलना चाहा लेकिन बजाये बिल के और सारी चीजों के बारे में बोलते चले गये। कोई जेब में हाथ देता रहा, कोई कहता रहा कि चेयरमैनों की काबलियत कुछ नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे जितने भी चेयरमैन हैं नकी काबलियत और तजुरूबा किसी और से कम नहीं है और वे उन पोस्टों को होल्ड करने के काबिल हैं

जिन पर वे काम कर रहे हैं। जहां तक अमैंडमैंट का ताल्लुक है इस पर किसी ने एतराज नहीं किया है इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will not take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

The Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed): Madam, I beg to move –

That the Punjab Town Improvemet (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab Town Improvemet (Haryana Amendment) Bill, be passed.

चौ. चांद राम (बाबेन एस.सी.): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा मन तो नहीं था कि मैं इस बिल पर बोलूं लेकिन मेरे भाई मंत्री महोदय ने कहा कि चेयरमैन बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत काम कर रहे हैं। काम तो तब होगा जब फंड होंग, फंड है नहीं ट्रस्ट के पास। मुझे मालूम है एक–दो चेयरमैन जो एम0एल0एज. भी हैं वे शिकायत करते थे कि ट्रस्ट को जितना बजट मिलता है वह तो स्टाफ की तनख्वाहों में ही खर्च हो जाता है। इस चीज को अपन मालूम कर सकते हैं। जहां तक चेयरमैन को एप्वांयट करने का ताल्लुक है सरकार को चाहिये कि आदमी की काबलियत को ही देखकर उसे किसी ओहदे पर लगाना चाहिये,ऐसा नहीं होना

चाहिए कि किसी आदमी को खुश करने के लिये उसे चेयरमैन बना दिया जाये। रोहतक का जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बना था किसी टाईम मैं भी उसका मैंबर थां उसके जो चेयरमैन है वह शहर के सबसे बड़े लैडलार्ड हैं। वह लैंडलार्ड कैसे बना? हमारे यहां कायदा है कि किसी गांव की शामलात जमीन जो बंटी नहीं हे उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है जितना भी वह चाहे। जब पार्टीशन हुई तो जो 3/4 वेकेन्ट प्लेसिज थीं उन पर बस इस आदमी ने कब्जा कर लिया और पटवारी के रिकार्ड में भी दिखा दिया कि यह जमीन उसके कब्जें में है। सन् 1947 में वही जमीन दो आने गज हुआ करती थी जो आज इतने ऊंचे भाव पर बिक रही है। सरकार अब जो इस बिल में संशोधन लाई है उसका परपज यह है कि पहले सरकार को किसी स्कीम को रद्द करने की पावर नहीं थी, अब यह ऐसा करने की पावर लेने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है अगर सरकार किसी ज्यादती को राकती है। जिस ढंग से इन्होंने चेयरमैन या मैंबर बनाये है वह बड़ा अजीब है। एक आदमी हरिजन मैंबर है जो दस नम्बरी बदमाश है उसको ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। एक आदमी की मंत्री महोदया ने एफ. ए. तक तालीम बनाई, उसके पास अगर एन्ट्रैंस का भी सर्टिफिकेट हो तो मैं मान जांऊं

श्री खुरशीद अहमद: वह तो आपके ही दोसत हैं, हमने तो आप जैसे ही उनको समझा था।

चौ. चांद रामः जिस दिन वह चेयरमैन बना था उस दिन ट्रस्अ के खिलाफ उसके दो मुकदमें चल रहे थे। एक सड़क हमने कहा था कि 50 फुट चौड़ी होनी चाहिए ओर आज तो हमारा चीफ टाऊन पलैनर है उसने भी वह मन्जूर कर दी थी। सन् 1937 से यह स्कीम थी और वह ऐरिया टाऊन प्लैनिंग के लिए डिक्लेयर हो गया हुआ था लेकिन उस अनबिल्ट एरिया में अनऔथोराईजड मकानात बनवाए गए, किसी का भी नक्शा कमेटी से मन्जूर नहीं करवाया गया और वह जो 50 फुट मन्जूरशुदा सड़क थी वह 17 फुट हो गई। अब जिस इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का चेयरमैन 50 फुट चौड़ी सड़क को 17 फुट कर दे उससे केसे उम्मीद की जा सकती है कि वह शहर की तरक्की करेगा। जिसके खुद ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमें चल रहे हों उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। वह हमें कहते हैं कि आप नुक्ताचीनी करते हैं, भाई नुक्ताचीनी करते हैं तो उसका क्या इलाजज है। इलाज तो विधान में लिखा हुआ है कि हर पांच साल के बाद इलैक्शन होंगे, इसलिए हम अगर हाउस में ही आपकी कमजोरियों को जाहिर न करें तो फिर कब करेंगे, यह तो हमारा राईट है और अपोजीशन में होते हुए फर्ज भी है। जिस ढंगसे आप काम कर रहे हैं हमने उसको कम से कम लोगों के ध्यान में तो लाना है। आप कहते तो हैं कि हम इम्प्रूवमैंट करेंगे लेकिन करते आप उलटा ही। डिप्टी स्पीकर साहिबा भला बिल्ली भी दूध की रखवाली कर सकती है। यह कहते हैं कि समाजवाद लाएंगे। मैं कहता हूं एक लैंडलार्ड जिसको आपने चेयरमैन बना दिया है वह कैसे अपनी जमीन देगा। बाकी आपने

धक्का शाही करनी है तो बेशक करते जाओ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री खुरशीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहिबा हमने बिल्ली को रखवाली के लिए इसलिए रखा हैं क्योंकि जो उससे बड़े–बड़े हैं उनको हम रखना नहीं चाहते।

(At this stage Shri S.P. Jaiswal rose to speak.)

Deputy Speaker: Do you want to speak, Mr. Jaiswal?

Shri S. P. Jaiswal: Madam, I just want ot bring one point to the notice of the Government.

Deputy Speaker: All right.

Shri S.P. Jaiswal: Madam, I have nothing to say about the Chairman about which the other Hon. Members have spoken a great deal. The one thing is obvious from the object clause of this particular Bill; that is,that the Government is not satisfied with the manner in which the schemesare made out by the Improvement Trusts. Obviously if they had been satisfied, they would have allowed the Improvement Trusts to have their way. Madam, the reason is not far to see. There is great deal of corruption in the Improvement Trusts. Previously when these Improvement Trusts were in exercise, the method and mode of corruption was that the Improvement Trustsused

to notify a particular scheme, then the people whose land was to be covered by the scheme were contacted individually and money was extracted out of them and then the scheme was dropped on the plea that the Improvement Trust did not have enough money. Now, another method is being adopted; that is, that a scheme is notified, promulgated and a great deal of portion of the town which should have been allowed to remain as it is being pulled down, demolished or acquired and reconstructed and when the time of reallotment comes, any amount of money is madeout. This is the second method that is being adopted now.Obviously, the Government are seized of the matter and they are taking power in their hands to drop any scheme or to change its purpose in public interest.

चौ. लाल सिंह: आन ए प्वयंट आफ आर्डर, मैडम! मैडम या तो हमको भी बोलने का टाईम मिलना चाहिए और नहीं तो इसको पास कर देना चाहिए।

Deputy Speaker: This is no point of order.

Shri S.P. Jaiswal: Madam as I was saying, this obviously with the object that the schemes which are being brought forward by various Imporvement Trusts with the pure object of indulging in corruption are thwarted by the Government. That is why I rose to support and welcome this Bill.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill be passed

The motion was carried

THE HARYANA RURAL SNAITATION BOARD BILL,1972

Health and Local Government Minister (Shri Khurshed Ahmend) : Madam, I beg introduce the Haryana Rural Sanitation Board Bill, 1972

Madam, I also beg to move-

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved-

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill be taken into consideration at once.

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब यह बिल हमें कल मिला तो इसको मैंने पढ़ा और मुझे लीगल रिमैंबरैंसर के डिपार्टमैट की अकल को देखकर हंसी आई। अब इन भाईयों को कुछ समझ आई है इसलिए दो अमैंडमैंटस ट्रैयरी बैंचिज की तरफ से आ गई हैं। उसके बावजूद भी इसके अन्दर सारी की सारी गलतियां भरी हुई हैं। इसके सैक्शन दो में लिखा है:

"regulations" Means regulations made under section 8 of this Act;

और यह लफ्ज सक्शन 8 की सब–कलाज 3 में इस्तेमाल किये हुए है:

> "(3) The Board may be regulations to be made with the previous sanction of the Government, prescribe conditions of service of the staff."

यह लफ्ज एक जगह इस्तेमाल किए हुए हैं और कानून के मुताबिक जो लफ्ज एक जगह पर डिफाइन किया हुआ है उसको दोबारा डिफाईन करने की जरूरत नहीं होती। आगे जाकर सैक्शन 7 में लिखा है:

> "7. No. defect in the appointment of any person acting as Chairman or member shall be deemed to vitiate any Act ....."

अब इससे यह नहीं पता लगता है कि यह एक्ट हम एक्ट को कहते हैं या उस आदमी के एक्ट को कहते हैं: इसमें ए कैपिटल लिखा हुआ है आगे यह लिखा है:

> ".....or proceedings of the Board if such act or proceedings are otherwise in accordance with the provisions of this Act".

इसके अन्दर एक्ट की एक भी बड़ी है। इससे भी यह अल्ट्रावायरस हो जाएगा और यह इन्फ्रकच्युअस है। इसी तरीके से इन्होंने सैक्शन 11 की बजाए सैक्शन 10 दे दिया है। दूसरी कलाज पांच

की बजाए यह 4 सबस्टीच्यूट कर रहे हैं। तो यह टैक्नीकली और लिट्रली इसके अन्दर मिसटेक्स हैं। वैसे तो इनके पास आर्डीनैंस लाने का बड़ा अच्छा तरीका हैं इस लिए बजाए इस बिल को इस तरीके के लाने के इसको अच्छे ढंग से तैयार करके बाद में लाना चाहिए। वैसे तो जिस तरह से इन्होंने इस तरह से पहले एक्ट बनाए हैं इसका भी मुद्दा यही है कि कोई न कोई भाई नाराज हुआ हो तो उसको इसका मैंबर बना देंगे ताकि उसे टी.ए. और डी.ए. मिलता रहे वरना इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। पानी वगैरह की सुविधा के लिए पहले ही यरल डिवैल्पमैंट बोर्ड बना रखा है। लेकिन वहां पर काम कुछ होता नहीं इसकी भी हालत उसी तरह से ही होगी। उनके पास पैसा कोई नहीं होगा सिर्फ उनकी तरखाहें वगैरह देने का ही काम चलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अव्वल तो इसको बनाएं ही नहीं और अगर बनाना ही है तो इसको ठीक शेप देकर बनाएं ताकि अच्छा काम चल सके।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहिबा हरियणा रूरल सैनिटेशन बिल आज विचाराधीन है। श्री बंसी लाल जी के राज्य को दुनिया इनकी कई बातों के लिये याद करेगी। शायद ट्रेयरी बैंचिज वाले सोचते हौंगे कि इसलिए करेगी कि उन्होंने बिजली के खम्बे लगवा दिए घर घर सड़के पहुचा दी अब अग्रेजों का वक्त था तो वह भी यही किया करते थे लेकिन बंसी लाल जी के कामों को जनता इसलिए याद करेगी कि उन्होंने हर महकमें को कोई न कोई बोर्ड ठोस दिया है। बिजली का डिपार्टमैंट है

इलैक्ट्रिकसिटी बोर्ड है और उसमें सब्र नहीं आया तो माईनर इरिग्रेशन बोर्ड बना दिया। इतना ही नही हरियाणा रूरल बोर्ड बना दिया, हाउसिंग बोर्ड बना दिया और अब हरियाणा रूरल सैनीटेशन बोर्ड बना रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके आब्जैक्टस एंड रीजनज तो लुभावने लगते हैं कि ग्राम क्षेख में पीने का पानी देने के लिये और सीवरेज के इन्तजाम के लिये पहले कोई बन्दोबस्त नहीं था। खैर इन्होंने आज 25 साल के बाद यह बात तो मान ली है और बहन ओम प्रभा जी यह बात सुन रहीं हैं मुख्य मंत्री के बाद इनका ही नम्बर आता है नम्बर दो हां यह दूसरी बात है कि कुछ तबीयत नहीं मिलती मन नहीं मिलता (हंसी) तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक बात तो इन्होंने मान ली कि इनको 25 साल हो गये जनता को बहकाते हुये कि हम आपका कल्याण करेंगे आपका विकास करेंगे (स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विघ्न) आप खुरशीद साहब क्या रनिंग कमैंटरी कर रहे हैं जब हम करेंगे तो आप उछलकूद करोगे (हंसी) तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह बोर्ड बना रहे हैं और इसका चेयरमैन जैसे कि सिंगोल साहब ने कहा किसी डिसीडैंट को किसी नाराज होने वाले को जो सींग मारता इधर से उधर जाने वाला हो या किसी रूठे हुए को बना देंगे (विघ्न) चौ. चांद राम जो यह जाने से पहले दो घंटे के लिये ही किसी को बना देंगे और उसका मन राजी कर देंगे (हंसी) तो मैं कहना चाहता हूं कि सदन में मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें कि कोई एम.एल.ए. उसक कोई रिश्तेदार और कोई पोलिटीकल आदमी इसका चेयरमैन नहीं होगा। कोई टैक्नीकल आदमी हो हम उसे

कबूल करने के लिए तैयार हैं और कोई इंजीनियर हो या चीफ इंजीनियर हो या ऐसे किसी जिम्मेदार ओहेदे से रिटायर आदमी को लगा दें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन अगर किसी सींग मारने वाले के सींगों के डर से किसी को लगा दें तो यह ठीक नहीं। फिर कहते है कि इसके 9 नान आफीशल मैंबर होंगे और चेयरमैन को मिला कर 10 होंगे यह भी सरकार ही भर्ती करेगी। उसी तरीके से भर्ती होंगे जैसे दूसरे बोर्डो में भर्ती कर रखे है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो भगवान से डरो। वह ऊपर बैठा हुआ आपके सब काम देा रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस बोर्ड में पोलिटीकल आदमी भर्ती न करो (विघ्न) फिर डिप्टी स्पीकर साहबा, इन सब साहबान को बाकायदा अलौंसिज भी मिलेंगे मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। इसमें ऐसे लोग भी लिये जा सकते हैं जो बिना पैसों के काम कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि जब कीाी चेयरमैन गैर हाजिर होगा तो गवर्नमैट देखेगी कि कौन चेयरमैन बनाना है। क्या यह डैमोक्रेसी के तरीके हैं जो यह अपना रहे हैं? मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि श्री बंसी लाल जी उनके मन्त्रिमण्डल के जो लोग हैं उनके मिजाज में डैमोक्रेटिक ढंग नहीं है और वे डैमोक्रेट नहीं हैं और इनको जमहूरियत में अकोदा नहीं है। यह नहीं चाहते कि कोई सयाना आदमी आगे आ जाये और अगर वह आ जायेगा तो इनके इशारे पर नहीं नाचेगा यह इनको डर रहता है। यह देखते हैं कि फलां आदमी इनके इशारे पर नाचेगा इसलिये वही चेयरमैन होना चाहये। इसके बाद आप देखें

कि पहले ग्राम सभा इनको रिक्वैस्ट करेगी कि उनको यह फैसिल्टीज दी जायें उसके बाद ये सोचेंगे और इसकी मर्जी पर होगा कि ये यहां सुविधायें दें या न दें काम करें या न करें। इन्होंने बीच में यह लिख दिया है कि सब्जैक्ट टू दि अवेलेबिल्टी आफ फंडज जहां उनकी कोई अपनी बात होगी वहां तो फडज अवेलेबल हो जायेंगे बाकी के लिए कह देंगे कि फंडज नहीं है। यह बात हमें इसलिये कहनी पड़ती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब देहात में दौरा पर जाते हैं तो एक हारे हुए आदमी के बारे में कहते हैं कि इसी को अपना एम.एल.ए. मानो जो यह कहेगा वही मैं करूंगा। अपोजीशन वालों के हल्के में जाकर कहते हैं कि विकास के काम नहीं होंगे अगर इसको लेकर आयें और किये हुये काम भी उल्ट हो जाएंगे और कर देंगे। इसी तरह से इसमें भी यही होगा कि जिन गांव ने इनको वोट नहीं दिये होंगे तो उनके विकास के काम के लिये कह देंगे कि फंडज अवेलेबल नहीं है। हमने जब इसके आब्जैक्टस पढ़े तो बड़े खुश हुये कि इनको आखिर 25 साल के बाद गांव की सुध लेने का ख्याल आ गया है और ग्रामीण जनता का ख्याल आ गया है कि उनको पीने का पानी मिलना चाहिये और उनके लिए सैनीटेशन का, सीवरेज का बन्दोबस्त होना चाहिये। लेकिन जब बीच में इनकी अगर–मगर पढ़ी तो बहुत दुख होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिये था कि हर गांव में यह फैसिल्टीज दी जायेंगी लेकिन यह यहां नहीं किया है। फिर कहते हैं कि उनका किया कोई काम अगर गल्त होगा तो अदालत में

नहीं जा सकेंगे। क्या आप डेस्पौट बनना चाहते हैं? अभी–अभी तमाम दुनिया ने देखा है कि एक तानाशाह था उसने गुस्ताखी कर दी तो उसका यह अंजाम हुआ कि आज वह घर में नजरबंद है। मैं आपसे कहता हूं कि आप तानाशाह बनने की कोशिश न करो और यह जो अदालतों के दरवाजें हैं यह खुले रखने चाहियें। हम जितने लोग यहां बैठे हैं कानून बनाते हैं। हो सकता है कि किसी कानून में गलती रह जाये कोई भूल रह जाये। अगर अदालत उस भूल का सुधार कर देती है तो इसमें क्या बुरी बात है। यह तो अच्छी बात है। लेकिन यह कहते हैं कि अगर कोई काम बोर्ड से गलत हो गया और कोई अदालत में जाना चाहे तो ऐसा करने के लिये दो महीने पहले इजाजत लेनी होगी सरकार से। वे लोग सरकार के और उनकी सरकार तो इजाजत कौन देगा? सरकार ने ही चेयरमैन बनाना है सरकार के ही मैंबर होंगे इसलिये यह बिल्कुल अटपटी बात लगती है। यह बातें जमहूरियत में चलने वाली नहीं हैं जिनको आप चलाना चाहते हैं। इसमें मजेदार बात यह है कि जब तक चेयरमैन और मैंबर इनके मन्जूरेनजर रहेंगे बोर्ड चलता रहेगा लेकिन जब किसी सुबह बंसी लाल जी का मिजाज बिगड़ गया टैम्प्रामैंट बिगड़ गई तो उनकी खैर नहीं बोर्ड खत्म कर दिया जायेगा और कोई अपील दलील नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि उनको निकालते हुये कोई कारण तो उनको बताओ और यह ही कह दो कि आप नालायक थे सुपात्र नहीं थे, उस समय आपको मजबूरी में ले लिया था अब वह मजबूरी नहीं रही दबाव नहीं रहा इस लिये अब आपको चलता कर रहे हैं। कोई

तो उसको मौका देना चाहिये बोर्ड के लोगों को कि किस लिये उनको निकाला जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि वजीर साहब इन बातों का जवाब देंगे जो मैंने कही हैं। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौ. रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा रूरल सैनीटेशन बोर्ड बिल, 1972 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा देहात में रहता है और जैसे मंगल सैन जी ने भी कहां कि 25 साल तक हम उस समस्या के बहुत थोड़े अंश को छोड़ कर पीने के पानी की समस्या के हल की तरफ नहीं आ सके हैं। आप यह भी जानते हे कि भगवान सबको हवा और पानी देता है लेकिन कई जगह हवा तो ठीक है मगर पानी पीने लायक नहीं। हवा और पानी की सबके लिये बराबर जरूरत है। हवा के बाद पानी दूसरी जरूरत है जिसके बगैर इनसान जिन्दा नहीं रह सकता। आज हमारे देश में बहुत बड़ी फीसदी तो मैं नहीं कहता लेकिन फिर भी 40/50 फीसदी गांव ऐसे हैं जहां पर मिलने वाला पानी पीने के लायक नहीं है। अगर कहीं मिलता भी है तो वह बड़ी मुश्किल से मिलता है। उपाध्यक्षा महोदया, जिस इलाके को मुख्यमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है, उसके पड़ौसी इलाके भिवानी में 31 वर्ष पहले जाने का मौका मिला था, वहां पर मीठा पानी नहीं था। मीठे पानी का मतलब कोई शर्बत नहीं है। मेरे जैसा कोई भाई जो शहर में रहता है और जिसको कड़वे

पानी का तजर्बा नहीं है, वह शायद मीठे पानी का मतलब न समझे .....

चौ. जय सिंह राठी: (गृहमंत्री की तरफ इशारा करते हुए) आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। क्या कोई मैम्बर हाउस में सो सकता है?

एक आवाज: वे ध्यान से सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं।

चौ. रणबीर सिंह: आप जरा ध्यान से सुनें, इसमें रस आएगा।

चौ. जय सिंह राठी: चौधरी साहब, हम तो आपसे ही रस चाहते है।

चौ. रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि पीने के पानी के लिए वर्षा बहुत कम होती है, जो थोड़ा बहुत पानी पड़ता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के लिए एक कुण्ड बनाते हैं। खासतौर पर हिसार जिले में कही–कहीं एक आध गांव में ऐसा कुंड मिलता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है। बड़ा खेद है कि देश के आजाद होने के 25 साल बाद भी पीने का पानी अपने प्रदेश को न दे सके, यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए हमारी वित्तमंत्री महोदया ने एक अन्दाजा लगाया है जिसका जिक्र उन्होंने अपने अभिभाषण में किया है। इन्होंने पैसे का अन्दाजा लगाया है

कि जहां पीने का पानी नहीं मिलता वहां कितने पैसे की जरूरत है। इन्होंने 80 करोड़ रूपया बताया है। सड़कों का काम बहुत बड़ा है, इसी तरह बिजली के तार बिछाने का काम भी बहुत था जो कि पूरा हो गया। पीने का पानी देने के लिए 80 करोड़ रूपया चाहिये। यह कोई छोटी रकम नहीं है। हरियाणा प्रदेश अभी साढ़े पांच साल का बच्चा प्रदेश है, बड़े–बड़ प्रदेश भी अपनी कमाई में से रूपया बचाकर इस तरफ खर्च नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूरी है कि पानी की समस्या जरूर हल होनी चाहिए। जो ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें बेअथाह रूपया आता है बेअथाह हिसार–किसाब है– जैसे एल.आई.सी. या दूसरी फाइनेशियल कारपोरेशन्ज हैं इनमें हर साल बड़ी तादाद में पैसा आता है, करोड़ो रूप्या इकट्ठा होता है, इसको हम इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकें तो मसला हल होने में सहायता मिलेगी लेकिन उपाध्यक्षा महोदया, इस पैसे का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक कानूनी तौर पर हम अलहदा बोर्ड न बनायें। समय बीतने के साथ–साथ इस देश में जहां और कई चीजों में क्रांति आई है वहां देहातों में रहन–सहन में भी एक क्रांति आई है। आपको ज्ञान है, आज से कुछ साल पहले हर गांव के आस–पास ऐसी 'बणी' होती थी जिसमें ग्रामीण बहनें बहार जाकर शौच से फारिग हो सकतीं थीं लेकिन अब वे बणियां नहीं रहीं सब जगह काश्त कर दी गई है। ठीक है, अनाज बहुत जरूरी है, अनाज की प्राप्ति के लिए यह जरूरी था कि जो बंजर जमीन पड़ी हो उसमें खेत बनाये जाएं और अनाज पैदा किया जाए। लेकिन इसके साथ–साथ दूसरी

समस्याएं पैदा हो गई – टट्टी पेशाब जाने के लिए कोई जगह नहीं रही। उपाध्यक्षा महोदया खास तौर पर हरियाणा में बहनों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई तो बाहर खेत में जा सकते हैं अगर उनको खेत मिल जाए, लेकिन जो बहनें खेत में नहीं जातीं उनके लिए बड़ी समस्या है। अगर वे सवेरे–सवेरे किसी के खेत में घुसें तो लड़ाई लड़ने वाली बात हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्धेरे मे ंआना जाना वैसे भी अच्दा नहीं समझा जाता। इसलिए मेरी आपके द्वारा प्रार्थना है कि बहनों के लिए कम्युनिटी–लैटरीन जैसी कोई चीज बनायें। जिला स्तर के मुख्य स्थानों पर जहां हाई स्कूल होते थे उनमें पहले तीन–सौ, चार–सौ के लगभग बच्चे पढ़ा करते थे? लेकिन अब आकर आप देखें, जहां भी हाई स्कूल है, हर गांव मे सात–सौ से आठ–सौ तक बच्चे पढ़ते हैं जिससे बच्चों के टट्टी पेशाब जाने की समस्या पैदा हो गई है। अगर गवर्नमैंट लैटरीन न हो तो गांव के आस–पास गन्दगी फैलती है और शिक्षा का प्रसानर बढ़ाने वाली कोई बात नहीं रहती क्योंकि जहां गन्दगी होगी वहां पढ़ाई नहीं होती। मैं मानता हूं कि पानी के लिए रूपया चाहिए और कम्युनिटी लैटरीन के लिए पैसा चाहिए जैसा कि बिल की क्लाज 20 के अन्दर लिखा है, इसमें लोगों से पैसा लेने की बात है। लेकिन सरकार के जो स्कूल हैं उनमें लैटरीन बनवाने के लिए पैसा देने–लेने की बात नहीं हो सकती क्योंकि बिल में स्कूलों के लिए कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जब यह बिल पास हो जाए उसके बाद सबसे पहले यह काम करें कि कम्युनिटी

लैटरीन गांवों में और स्कूलों में बनवाई जाएं ताकि जो बच्चे छः–सात घंटे पढ़ते हैं, उनको टट्टी जाने की सुविधा हो और वे आसपास गन्दगी न फैलाएं। हमारी प्रधानमंत्री ने समयानुसार यह नारा लगाया है कि देश में डिवैल्पमेंट के काम करने के लिए काफी रूपया चाहिए, औजार चाहिएं, लेकिन सफाई के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। सफाई के लिए यह जरूरी है कि स्कूलों में कम्युनिटी लैटरीन बनायें, मैं मानता हूं कि बहनों के लिए लैटरीन बनवाने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप कितना समय और लेंगे।

चौ. जय सिंह राठी: आपको डिप्टी स्पीकर साहिबा का कहना मानना चाहिए। (व्यवधान)

चौ. रणबीर सिंह: मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, इससे पहले नहीं बोला, जितना समय चाहिए उतना समय दें। (व्यवधान)

चौ. रणबीर सिंह: उपाध्यक्षा महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस काम के लिये हमें पैसा चाहिए और सरकार ने 80 करोड़ रूपये का जिक्र किया है। इसके अलावा दूसरे कामों के लिए और ज्यादा चाहिए, सौ करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। अगले पांच सालों में शायद दो सौ करोड़ चाहिए। उपाध्यक्षा महोदया, इसके साथ–साथ एक बात और मैं कहूंगा। क्लाज 20 के अन्दर जिक्र किया गया है कि किसी भी स्कीम के ऊपर हुए खर्च को बोर्ड ग्राम पंचायत से हुए फैसले के अनुसार वसूल करेगा और

यदि वह पैसा न दे सके तो लोकल अथौरटीज लोन्ज ऐक्ट, 1914 में दी गई विधि के अनुसार उस पेसे को बोर्ड ग्राम पंचायत से रिकवर कर सकेगा। उपाध्यक्षा महोदया, मुझे भी पंजाब के अन्दर पानी का काम काज चलाने का मौका मिला था। उस वक्त मैंने देखा था कि कई इलाकों में खासतौर पर कांगड़ा जिला के पहाड़ी इलाकों में जहां पानी का इन्तजाम किया गया था वहां पंचायत वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे अदा कर सकें। तो मैंने तो उस वक्त यह कहा था कि एक आध जगह पैसे की बिना पर पीने के पानी की जरूरत बंद करना लोगों के साथ सबसे बड़ा धोका होगा और हमारा प्रदेश इस तरह की बात में साझीदार नहीं हो सकता। तो मैं अपने मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे बेशक इस प्रोविजन को इस बिल में रख लें लेकिन कभी इस्तेमाल न करें। देहात के अन्दर जहां सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत होगी वहां ग्राम सभा के पास पैसा नहीं होता। इसलिए जहां पैसा नहीं होगा या वह पैसा न दे सके तो वहां पीने का पानी बंद कर दिया जाए या दूसरी सहूलियतें बंद कर दी जाएं, यह बात ठीक नहीं है। इसके अलावा, उपाध्यक्षा महोदया, जिस क्लाज का सिंगोल साहब ने जिक्र किया था उसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर हमारे इस विधेयक के बनाने वाले भाई मंत्री महोदय या सरकार के किसी दूसरे आदमी का मन्शा यह है कि यह क्लाज रख करके हम असैम्बली के मैम्बर के ऊपर औफिस आफ प्रौफिट अपनाने वाली पाबन्दी को हटवा सकेंगे तो वह गलत है। यह बात तब तक नहीं होगी जब तक हम दूसरा

कानून पास न करें। उपाध्यक्ष महोदया, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं और सदन भी जानता है कि हम कितने जल्दी लोगों के पास जाने वाले हैं। (व्यवधान) डाक्टर साहब तो दूसरी बात करते हैं। हमें अपने काम और गुण लोगों के सामने रखने होंगे। खैर, मैं कह रहा था कि अगर उनको डार है तो वह कागजी डर है। सिंगोल साहब इसका कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। जब तक जो मैम्बर्ज के ऊपर पाबन्दी है उस पाबन्दी हटाने के सिलसिले में कानून में तबदीली न की जाए उस वक्त तक कोई ऐसा आदमी इसका चेयरमैन या मैम्बर नहीं बन सकता जिसको चुनाव लड़ना हो। तो इसमें काहे की घबराहट? इसके लिए तो कानून पास करना होगा और कानून पास नहीं होगा सदन के चुनाव से पहले। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब तक डिसक्वालिफिकेशन वाली बात हम रीमूव न करें उस वक्त तक जो डर सिंगोल साहब ने जाहिर किया है वह निराधार है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको ज्यादा इंतजार में नहीं रखना चाहता। मैं तो पहले ही खत्म कर देता अगर आप पहले टाईम दे देती। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह मानता हूं कि इससे बढ़िया बिल शायद ही इस सदन के इतिहास में पहले आया हो। क्योंकि यह बड़े नेक काम के लिए आ रहा है इसलिए हम सबको इसकी ताईद करके सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

उपाध्यक्षा: इसके पहले कि मैं दूसरे आनरेबल मैम्बर्ज को टाईम दूं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या हाउस का टाईम बढ़ाना है? हमारे पास केवल आधा घंटा बाकी है। मैंने इस बिल को पास करना है ओर इसमें दो अमैंडमैंटस भी हैं। अमैंडमैंट पर भी मैम्बर्ज बोल सकते हैं। तो आप अब बताएं कि क्या करना है? (व्यवधान) या तो यह हो सकता है कि जो भी मैम्बर बोलें वे दो–दो मिनट बोलें। (व्यवधान) (बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हुए) अभी देा अपोजीशन के मैम्बर बोल चुके हैं। अगर आपने बोलना हो तो मैं पहले श्री दया कृष्ण जी से कहूंगी कि वे केवल तीन मिनट के लिए बोलें। (व्यवधान).....

श्री दया कृष्ण (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल जो सदन के सामने पेश है यह इतना अच्छा है कि शायद ही इससे अच्छा कोई और बिल आद तक यहां पेश हुआ हो। जिन्होने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, जो इसकी तह में गए, जिसके दिमाग में यह आइडिया आया मैं उन सबका हजार–हजार धन्यवाद करता हूं और उनकी दाद देता हूं। आप जानती हैं और आपने देखा भी है कि देहातों का कितना बुरा हाल है। पानी और सीवरेज का आपको किसी भी देहात में कोई इंतजाम नहीं मिलेगा। आप जानती है कि 80 फीसदी आबादी देहातों में रहती है। अगर 80 फीसदी जनता की हालत खराब हो तब हम नहीं कह सकते कि हमारे हरियाणा की हालत सुधरी है। यह बिल वाटर–सप्लाई के लिए और सीवरेज के लिए इंतजाम करने जा रहा

है। यह निहायत जरूरी है और इसकी कोई मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। जहां तक वाटर सप्लाई का ताल्लुक है हरियाणा में इसकी बेहद कमी है। जिस रफतार से हम चल रहे हैं उस रफतार से अगर वाटर सप्लाई का काम चलता रहता तो चालीस साल में यह काम पूरा होता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बोर्ड के बनने से पांच साल में यह काम हो जाएगा। पहले कहते थे कि किसी को काला पानी हो गया है। काला पानी आज हमारे हरियाणा में बहुत से गांव में है। बहुत से गांव हमारे हरियाणा में ऐसे हें जहां ब्रेकिश वाटर है, पीने का पानी नहीं है। मेरे हल्के में बहुत से ग्राम ऐसे हैं जहां बहुत कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। हरियाणा में रहते हुए वे काले पानी में रहते हैं। तो उनके इन्तजाम के लिए यह बिल बना है और बहुत ठीक बना है पानी इंसान के लिए बहुत बड़ी नसैसेटी है। जिस गांव के अन्दर पानी नहीं होता वहां न तो किसी का रिश्ता होता है, न आदमी की सेहत ठीक होती है तथा और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें आप जानती हैं। (व्यवधान) चूंकि मैम्बर साहिबान मुझे ज्यादा टाईम नहीं देना चाहते इसलिये मैं इतना कह कर ही आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्षा: श्रीमती शकुन्तला जी, अब आप बोलिए परन्तु दो मिनट से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगी।

श्रीमती शकुन्तला (साल्हावास ऐस.सी.): मैं दो मिनट से ज्यादा बोल भी नहीं सकती, आप चाहे जितना टाईम दे दें (हंसी एवं व्यवधान)

उपाध्यक्षा: अगर आप इस तरह से इन्ट्रप्शन करेंगे तो मुझे हाउस का टाईम बढ़ाना पड़ेगा।

श्रीमती शकुन्तला: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब तक आप इस चेयर पर बैठी हैं मुझे तो किसी चीज का गम नहीं। (हंसी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो हरियाणा रूरल सैनीटेशन बोर्ड बिल सदन में सरकार लाई है उसके विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूं। जिस मन्शा से यह बिल लाया गया है वह बहुत ही अच्छा है और ठीक समय पर यह बिल लाया गया है। यदि सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना ही करनी चाहिए परन्तु कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि हम सही चीज को भी गलत ढंग से इस्तेमान करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से बड़ा नुक्सान होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण हाउस के सामने देती हूं। आप एक छोटी सी सूई ले लीजिए अगर सूई से फटे हुए कपड़े को सीलेंगे तो वह बहुत ही लाभदायक रहेगी। यदि उसी सूई को आप गलत ढंग से इस्तेमाल करें तो उससे नुक्सान भी हो सकता है। इसी प्रकार से यह जो सैनीटेशन बोर्ड बनाया जा रहा है, अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया गया और इसके द्वारा अच्छे काम किये गये तो लोगों को काफी लाभ पहुचेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी इसमें पैसा लगाया जाये

उसकी सही ढंग से इस्तेमाल किया जाये। मेरा अपना इलाका तो बागड़ का इलाका है जहां पर पानी की बड़ी कठिनाई है। मेरे इलाके के गांव में तो पीने का पानी का प्रबन्ध जल्दी से जल्दी किया जाये। दूसरे गांवों में जो भी गन्दी बस्तियां हैं उनकी सफाई तो होगी ही साथ ही उनको अच्छे ढंग से भी बनाया जाना चाहिए खासतौर से हरिजनों की जो बस्तियां हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। शायद डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको देखने का भी मौका न मिला हो।

उपाध्यक्षा: मैंने बहुत गांवों को देखा है। मेरे पहले हल्के में 160 गांव थे।

श्रीमती शकुन्तला: फिर तो आप बहुत तजुरूबेकार हैं और आपको सारी चीजों का पता है। मैं तो उन गन्दी बस्तियों में पैदा हुई और उन्हीं बस्तियों में रहती हूं इसलिए मुझे उनकी कठिनाईयों का भली भांति पता है। वहां एक झोंपड़ी में कई–कई आदमी रहते हैं, उसी में रोटी बनाते हैं, वहीं पास से ही नाली बह रही है, वहीं पास ही गन्दगी भी पड़ी हुई है, वहां न बैठने की जगह है और न ही उनकी कोई आराम है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन बस्तियों की जल्दी से जल्दी सफाई करायी जाये।

मैं दोबारा भी यही कहूंगी कि इस बोर्ड का मंशा बहुत ही अच्छा है अगर इसमें काम करने वालों ने इसको अच्छे ढंग से

चलाया। इसलिए इसमें जो भी अच्छे सुझाव रखे गये हैं उनकी मैं हिमायत करती हूं और सहमति प्रकट करती हूं।

इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि कई दफा तो यह सरकार गलत बिल भी पास करा ले जाती है। हमारे विरोध करने पर भी पास कर ले जाती है।

उपाध्यक्षा: बिल को तो हाउस पास करता है।

श्रीमती शकुन्तला: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आजकल इस हाउस की तो वही हालत है जैसे कोई यह कहने लग जाये कि बकरे की तीन टांगें होती हैं उसी प्रकार से कांग्रेस के सदसय भी यहां कहने लग जाते हैं कि हां बकरे की तीन ही टांगे होती हैं। कोई कितना ही कहे कि बकरे की चार टांगे होती हैं परन्तु ये कांग्रेस के भाई तो यही कहेंगे नहीं तीन ही होती हैं। यहां पर यह कई बार मैजौरिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं और गलत बिल पास करवा ले जाते हैं। अब जो बिल हाउस के सामने है यह बहुत अच्छा बिल है। मैं इस बिल की ताइद करती हूं और यह पास होना ही चाहिए।

लाला बलवन्त राय तायल: (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हाउस के सामने हरियाणा रूरल सैनीटेशन बोर्ड का बिल यह सरकार लायी है। इस बिल के आने की बहुत जरूरत थी और यह सही टाईम पर लाया गया है। इस बिल को क्लाज बाई क्लाज पढ़ने से पता लगता है कि यह बहुत ही अच्छे ढंग से

ड्राफ्ट नहीं किया गया है क्योंकि इसमें कई एक कमियां रह गयी हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी की गयी है कि गवर्नमैंट जितनी भी पावर अपने पास रख सकती थी, रखने की कोशिश की है। इस बिल में सैनी टेशन बोर्ड को चेयरमैन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। जो भी चेयरमैन लगेगा वह सरकार की मर्जी से ही लगेगा। उसकी न कोई क्वालिफिकेशन दी है और न ही यह दिया है कि कौन उसको हटा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि हिन्दुस्तान में जो भी देहात हैं उनके अन्दर अब स्टैन्डर्ड बनता जा रहा है कि घरों में ही पानी का प्रबन्ध हो। इसलिए उन घरों का पानी जो गलियों में गिरेगा उसका भी निकास होना बहुत जरूरी है। उसका जिक्र इस बिल में आना चाहिए था परन्तु आया नहीं है। यह सरकार हर चीज बहुत जल्दी में करती है। मैं आपका ध्यान उस बिल की तरफ ले जाऊंगा जो पिछले सैशन में सरकार ने पास किया था। उस बिल का नाम था फरीदाबाद कम्पलैक्स बिल। उस बिल के अन्दर सारी पावर्ज ही अपने पास रख ली गई हैं। सरकार ने उस बिल में यह पावर भी अपने हाथ में रखी है कि जिस एरिया को चाहे ड्राप कर सकती हैं उस एरिया में तीन म्यूनिस्पिल कमेटीज हैं फरीदाबाद, पलवल और बल्लभगढ़। इन तीनों म्यूनिस्पिल कमेटीज को छोड़ कर वहां के आस–पास के 13 गांवों को लेकर एक कम्पलैक्स ऐरिया बनाया है। इसी प्रकार से यह जो सैनीटेशन बोर्ड बनाया है, इसकी जरूरत तो थी ओर बनना चाहिए

था लेकिन साथ–साथ यह भी देखना चाहिए था कि सरकार इतनी पावर्ज को अपने पास क्यों रखना चाहती है। अगर उस बोर्ड का चेयरमैन कोई रिटायड चीफ इंजीनियर या कोई टैक्नीकल मैम्बर नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं हो सकेगा। वहां का चेयरमैन वैसे ही कोई पोलिटिकल आदमी लगा दिया गया तो यह बिल एक मजाक बन कर ही रह जायेगा और कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

इस बिल में एक चीज और भी लिखी हुई है कि पंचायतों से तहसीलदार रिकसरी करेगा। अब सोचने की बात है कि जिस सैनीटेशन बोर्ड के अन्दर हरियाणा के छः हजार गाव होंगे उनके लिए काफी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। काफी लम्बा–चौड़ा एरिया है जिसे उसको कन्ट्रोल करना है। इन बातों का तो तब पता लगेगा जब इसके रूल्ज बनाये जायेंगे। इसलिये मैं अधिक न कहता हुआ यही कहूंगा कि एक तो जो इसके मैम्बर्ज और चेयरमैन होंगे उनकी क्वालिफिकेशन्ज ऐड की जाये दूसरे यह भी ऐड किया जाये कि वे कितने अर्से के लिए होंगे, कौन उनको हटायेगा। ये सारी चीजें बिल में आनी चाहिए।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह बिल अच्छा है और जनता की भलाई के लिए है। इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाये लेकिन एक दो सुझाव जो मैंने दिये हैं यह जरूर स्वीकर कर लिए जायें।

Shri S.P. Jaiswal (Karnal): Madam, Deputy Speaker, the object of this Bill is very highly laudable. There

can be no two opinions about it. I congratulate the Government for bringing forth this Bill. But at the same time I cannot refrain from saying that no Bill has been so badly drafted as this one. I do not want to go into the details of each clause but I would draw the attention of the Government, through you to the Statement of Objects and Reasons. Madam, the whole Bill talks about sewerage, sanitation and water supply. But the Statement of Objects and Reasons mentions about water supply and not others. Clause 39(1) seeks to take away the necessily, required by the Indian Registration Act regarding registration of sales, of appearance of the Chairman of this Board for the purposes of executing a document. I think this provision will not be effective because you cannot take away something from another Act by bringing a provision in this Act. Madam, I do not know whether the Rural Development Board which has been constituted by the Government was not competent to do the sewerage, sanitation or water supply development work in the villages. I think, it was. Even if it was not, a small addition could have been brought to the Rural

Development Board Act instead of having a separate Act. Madam this makes us feel that this may have been done with the object, which is not so obvious or patent.

Madam, it would be a sad day if the personnel to be appointed under the Bill are appointed because of their political association or political adventages or because of favours to be shown by the Government.

Madam, Deputy Speaker, I have also got my fears that this Bill may remain a paper project alone. In this connection I may draw your attention to the fact that in the towns, in a number of towns, where the water supply is there, there is no sewerage. If we have not got sewerage arrangements in towns then there is no use of water supply schemes. I do not know if this Bill is going to achieve the object of providing sanitation in the rural areas.

Madam, Deputy Speaker, I would like to submit, as I said in my address earlier, people in our country as a whole are, in fact, living under conditions which are not worth the cattles in certain oher countries. Sanitation is one of the important factors which goes about creating these circumstances. And if you walk about in villages, I have very few villages in my constituency, every village is dirty, filthy and needs sanitation very badly. Madam, at the same time I would suggest to the Government that the work agency which is sought to be nominated under this Bill, P.W.D., should not be nominated. I am aware of the fact that in the case of Hissar University, the Hon. Chief

Minister gave some instructions by which the P.W.D. was not resorted to for the construction of the Agriculture University there with the result that the work was very prompty executed. So, I would request the Hon. Chief Minister and the Government that they should in this case

also take similar measures by which private organizations who are competent for providing sanitation and water and are expect in this work should b engaged instead of the Public Works Department of the Government.

Madam, Deputy Speaker, I would also say that the towns should be given attention also, and those towns which do not have sewerage at present should also be given sewarge facilities.

Thank you.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): मैडम डिप्टी स्पीकर जहां हमारे हाउस के बहुत से मैम्बरों ने इस बिल के बारे में कुछ शकूक जाहिर किये हैं वहाँ उसके साथ ही साथ सबने इस बिल के आब्जैक्टस की तारीु भी की है। मैं उनको यही यकीन दिला सकात हूं कि इस बोर्ड में मैम्बरों या स्टाफ की गिनती बहुत ज्यादा रखने का कोई क्वैश्चन ही नहीं है। बोर्ड में आफिशियल या ना आफिशियल, कोई भी मैम्बर रखा जा सकता है। इसीलिये हमने इसमें क्वालीफिकेशनज की कोई खास लिमिट फिक्स नहीं की है। यह जरूरी नहीं है कि हम यहाँ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर या कोई ओर तजुर्बेकार आदमी न रख सकें। हम तजुर्बेकार आदमी ही रखेंगे। दो चार बातें, जो हमारे भाईयों ने यहाँ उठायी हैं, उमें कोई खास सीरियल बात नहीं है। आनरेबल मैम्बर्ज का एक आब्जैक्शान प्रिटिग एरर्ज के बारे में है। उसके लिये हम दो अमैंडमैंट्स ला रहे है।

यह बिल इसलिये जरूरी समझा गया क्योंकि रूरल एरियाज में न तो वाटर सप्लाई (पीने का पानी) है और न ही सीवरेज है, इसलिये जिन गांवों मं पीने का पानी दिया जाने वाला है, अगर उसमें सीवरेज न हो तो वहाँ बहुत गन्दगी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गाँव में मकान बनाना चाहे तो वह गन्दगी की वजहसे गाँव में न बनाकर, शहर की तरफ भागता है। यह बोर्ड इसलिये बनाया गया है ताकि गाँवों में गन्दगी दूर हो सके। मौजूदा कानून के तहत हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि हम गाँवों में सीवरेज दे सकें। अब यह बोर्ड दोनों चीजें–वाटर सप्लाई और सीवरेज को कम्बाईन करके बनाया गया है। इसके बनाने का एक कारण यह भी है कि बहुत सी ऐसी एजेन्सियाँ थीं जिनसे सरकार के पास मदद लेने का कोई तरीका नहीं था। जैसे एल.आई.सी. है, इससे हम पैसा लेकर लोगों को इस काम के लिये दे सकते है। हरेक गाँव में वाटर सप्लाई के लिये हमें 80 करोड़ के करीब रूप्या चाहिये। अगर हरेक गाँव में सीवरेज देते हैं तो अरबों रूप्ये की जरूरत है। इसके लिये यह जरूरी था कि हम यह बोर्ड बनाते और इसी मकसद के लिये यह बोर्ड बनाया गया है। यह बात बिल्कुल बे–बुनियाद और गलत है कि हम किसी को पोलीटिकल पैट्रोनेज देने के लिये यह बोर्ड बना रहे हैं।

शहरों के बारे में हमने फैसला किया है कि जहाँ सीवरेज की स्कीमें नहीं हैं, वहाँ बना ली जायें। जहाँ पर यह स्कीम पहले नहीं थी, वहाँ पर बना ली गयी हैं। वाटर सप्लाई की

स्कीम बहुत सी जगह तो हैं लेकिन जहाँनहीं थीं वहाँ इसे भी तैयार करवा दिया गया है। जहाँ पर म्युनिस्पिल एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत जल्दी ही वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमें दी जा रही हैं। गाँवों में भी इन फैसिलीटीज को एक्सटैंड करने के लिये यह जरूरी था कि हम यह बिल लाते और इसीलिये हमें यह बिल लाना भी पड़ा। इसकी प्रिटिग के बारे में एक–दो बातें कहीं गयी हैं। सिंगल साहब ने यह प्वांयट आउट किया था कि सैक्शन 7 में लफ्ज 'एक्ट' का 'ए' कैपिटल लिखा गया है और इसे छोटा होना चाहिए। वही 'एक्ट' का शब्द आगे भी दो जगह इस्तेमाल हुआ है। उन्हें देखने से यह पता चलता है कि यह एक प्रिंटिग मिस्टेक है। हम इसे सही कर लेते हैं। इसी चीज से बिल का सही मकसद हल हो जाता है। इसमें प्रिटिंग मिसटेक्स की वजह से हमें यह जरूर तपड़ी की अमैंडमैंट लायें और हम दो अमैंडमैंट ला भी रहे हैं। जो शकूक लोगों ने जाहिर किये हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ग्राम सभाओं से चार्जिज की रिकवरी के बारे में यह कहा गया है कि हो सकता है कि रिरकवरी न होने पर गाँवों में पीने को पानी देना रोक दिया जाये। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा अख्तियार नहीं दिया जा रहा है जिसके तहत गांव में पीने के पानी को रोकेंगे। सिर्फ इतना अख्तियार जरूर लिया जा रहा है कि हम उनसे चार्जिज वसूल कर सकें। केवल यही एक पावर हमने ली है। इसके अलावा, और कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके बारे में मैं जवाब दूं। मैं हाउस से यह उम्मीद करता हूं कि वह इसे पास करेगा और इससे एग्री करेगा।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: the House will not take up the Bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1.

Deputy Speaker: Question is-

The sub-clauses (2) and (3) of Clauses 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-2

Deputy Speaker: I have received notice of the following amendment to this Clause by Sh. Khurshed Ahmed, which will be deemed to have been read and moved. The Hon. Members may, however, discuss it while speaking on the Clause –

For sub-clause (b) of clause 2, substitute the following; namtely,

'(b) "bye-laws" mean bye-laws made under secton 10 of the Act;

(No Member rose to speak)

Deputy Speaker: Question is-

For sub-clause (b) of clause 2, substitute the following; namtely,

‘(b) “bye-laws” mean bye-laws made under secton 10 of the Act;

(No Member rose to speak)

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-3 to 37

That Clause 3 - 37 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-38

Deputy Speaker: I have received notice of the following amendment to this Clause by Sh. Daya Krishan. This will be deemed to have been read and moved. The Hon. Members may, however, discuss it while speaking on the Clause-

In part (a) of sub-clause (2) of clause 38, for figure ‘5’ substitute ‘4’

(No Member rose to speak)

Sh. Khursed Ahmed: Madam, I accept the amendment.

Deputy speaker: Question is –

That in part (a) of sub-clause (2) of clause 38, for figure ‘5’ substitute ‘4’

The motion was carried.

CLAUSE-39

That Clause 39 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-40

That Clause 40 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE-41

That Clause 41 stand part of the Bill.

The motion was carried.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, पांच–सात मिनट और लगाओ ये अखबार वाले तो जाने का नाम ही नहीं लेते। (हंसी)

चौ. जय सिंह राठी: ऐसा करो कि कुछ और कागज पढ़ने के लिए रख दो।

SUB-CLAUSE (I) OF CLAUSE 1

Deputy Speaker: Question is-

The sub-clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Health and Local Government Minister (Sh. Khurhed Ahmed): Madam, I beg to move –

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Rural Sanitation Board Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

7.25 P.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m., to Tuesday, the 18th January, 1972)